राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 04] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या: 09

मंगलवार,

18 फरवरी 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा संभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत पेंशन प्रकरण

120. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को कितने दिनों में पेंशन स्वीकृत की जाती है?

(2) विगत 5 वर्षों में कोटा संभाग में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन स्वीकृत करवाने व पेंशनरों के फिक्सेशन के कितने प्रकरण पेंशन विभाग में आये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन कब-कब प्रारम्भ की गई और पेंशनरों के फिक्सेशन कब-कब किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में कई प्रकरणों में पेंशन स्वीकृत करने व फिक्सेशन में विलम्ब हुआ है? यदि हां, तो सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) विगत 3 वर्षों में सरकार को पेंशन विभाग कोटा सम्भाग में अधिकारियों व कर्मचारियों की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? सरकार द्वारा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न स्थगित है।

(श्री अध्यक्ष)

श्री जौहरीलाल मीना।

प्रश्न संख्या 121

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न, श्री शंकर सिंह रावत।

जवाजा (ब्यावर) में 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना

122. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम का 220 के.वी. का जीएसएस बना हुआ है? यदि हां, तो उसकी विद्युत क्षमता कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ब्यावर से जवाजा 33 के.वी. जीएसएस जुड़ा हुआ है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जवाजा 33 के.वी. लाइन से ज्यादा जीएसएस जुड़े होने से आम जनता को सही वोल्टेज नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो सरकार को कितना टी एण्ड डी का नुकसान हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार आम जनता को सही वोल्टेज मिले एवं टी एण्ड डी के नुकसान से बचने के लिए जवाजा में 132 के.वी. जीएसएस बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। ग्रिड सब स्टेशन ब्यावर की 220/132 केवी क्षमता 300 एमवीए व 132/33 केवी क्षमता पर 100 एमवीए है।

(2) जी हां। 220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन ब्यावर से जवाजा फीडर जुड़ा है, जिस पर कुल सात 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित हैं, जिनकी कुल क्षमता 19.90 एमवीए है। सब स्टेशनवार क्षमता का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	33 केवी सब स्टेशन का नाम	33 केवी सब स्टेशन की क्षमता
1.	गोहाना	3.15 एमवीए
2.	शेखावास	3.15 एमवीए
3.	दुर्गावास	3.15 एमवीए
4.	काबरा	3.15 एमवीए
5.	राजियावास	3.15 एमवीए
6.	जवाजा	3.15 एमवीए
7.	बगड़ी	1.00 एमवीए

(ऊर्जा मंत्री)

(3) वर्तमान में उक्त 33 केवी फीडर से जुड़े सभी सब स्टेशन पर सही वोल्टेज मिल रहा है। फिर भी भविष्य में विद्युत भार में होने वाली वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्र में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन देवाता (जवाजा के नजदीक) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को अजमेर डिस्कॉम द्वारा पत्र क्रमांक 40 दिनांक 05.04.2019 को भेजा जा चुका है।

(4) जी हां। क्षेत्र के वर्तमान विद्युत भार एवं भविष्य में होने वाली भार वृद्धि के मद्देनजर जवाजा तहसील के समीप देवाता गांव में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन का प्रस्ताव तकनीकी एवं आर्थिक रूप से साध्य पाया गया है। इसके निर्माण हेतु संसाधनों की उपलब्धता व विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 33 के.वी. जवाजा, 220 के.वी. जी.एस.एस. ब्यावर से निकल रही है और इस लाइन पर 33 के.वी. के सात जी.एस.एस. जुड़े हुए हैं। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन 15 परसेंट है जो 9 परसेंट से ज्यादा होना चाहिए। 7 पावर हाउस जुड़े होने के कारण लाइनें बन्द हो जाती हैं और कहीं भी ट्रिपिंग आती है तो वोल्टेज कम मिलता है जिससे वोल्टेज रैगुलेशन से दो करोड़ की क्षति होती है। इसलिए 133 के.वी. जी.एस.एस. बनने से...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए। माननीय सदस्य, आपका प्रश्न क्या है? माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या वहां पर ट्रिपिंग आती है उस समस्या का समाधान करने के लिए आप विचार रखते हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया कि ब्यावर से जवाजा 20 किलोमीटर की दूरी पर है और देवाता में 132 के.वी. जी.एस.एस. लगाया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा लोटियाना में 33/11 के.वी. जी.एस.एस. स्वीकृत है जिसकी क्षमता 3.15 एमवीए है इसका कार्य भी जल्दी शुरू करवाकर 6 महीने में पूरा करा दिया जाएगा जिससे आपके ट्रिपिंग की प्रोब्लम दूर हो जाएगी।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): यह देवाता वाला जो आप बता रहे हो, यह कब तक हो जाएगा?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): देवाता का जैसा मैंने बताया, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर। इसका तखमीना वगैरह बना लिया गया है और जैसे-जैसे साधन उपलब्ध होंगे, इसके ऊपर विचार किया जाएगा।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): समय सीमा तो बता दो, साहब। समय सीमा ही बता दो कम से कम।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

झुंझुनूं शहर में अपूर्ण सीवरेज के कार्य को पूर्ण कराने की योजना

123. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) झुन्झुनूं शहर में वर्तमान में सीवरेज का कार्य कब से प्रारम्भ किया गया? उक्त कार्य कब तक पूर्ण होना था?

(2) उक्त शहर में सीवरेज लाइन डालने व एस.टी.पी.ए आदि का कितना कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितना कार्य शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: स्वायत्त शासन मंत्री जी।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) झुन्झुनूं शहर में आरयूआईडीपी तृतीय चरण के अन्तर्गत 237.50 करोड़ रुपये राशि का सीवरेज कार्य दिनांक 09.01.2017 से प्रारम्भ किया गया था। उक्त कार्य को दिनांक 29.03.2019 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था। अभी तक इस कार्य पर 148.51 करोड़ राशि रुपये व्यय हो चुके हैं। कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) झुन्झुनूं शहर में सीवर लाइन डालने एवं एसटी.पी.ए. के पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त सीवरेज कार्य दिनांक 30.06.2020 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। संवेदक द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण एक करोड़ इकरानवे लाख इकरानवे हजार सात सौ सत्तावन रुपये की शास्ति लगायी जा चुकी है। शास्ति कटौती का विवरण/प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने 237 करोड़ रुपये का वर्क आर्डर संवेदक को दिया और अभी तक खर्चा 148 करोड़ रुपये का हुआ है। आपने जो मुझे उत्तर दिया है उसमें लगभग सारे काम आपने पूरे बता दिये। कहीं 500 मीटर पाइप लाइन डालनी है, कहीं 400 मीटर डालनी है। इसका मतलब जो खर्चा होना था वह अधिकांश खर्चा हो चुका है। आपने उत्तर में यह फर्माया है कि इसमें 60 परसेंट शहर ही कवर होगा, 40 परसेंट शहर सीवरेज कार्य से वंचित रहेगा। आपके पास 189 करोड़ रुपये जो बचे हुए हैं उनको आप खर्च करके जो 40 परसेंट कार्य हैं उनको पूर्ण कराने का विचार रखते हैं क्या?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इस सीवरेज कार्य से 60 प्रतिशत शहर का ही कवरेज होगा। कोई भी ऐसी योजना जो बनाई जाती है उसमें पूरा का पूरा शहर कवर हो जाए ऐसी सीवरेज की योजना कहीं पर भी नहीं बनी है, लेकिन इसमें 60 परसेंट कवरेज तो हो रहा है और आगे भी कभी योजना ली जाएगी उसमें बाकी का काम किया जाएगा। यहां सवाल इस बात का आता है, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि बाकी पैसा जो बचा हुआ है उसका क्या करेंगे तो उसके लिए एडिशनल टेंडर निकाले गए हैं और 16500 हाउस कनेक्शंस उस टेंडर के मार्फत दिए जाएंगे।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): आपने थर्ड फेज के एसटीपीए के बारे में तो बता दिया कि उसको हम जून तक पूर्ण कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि फर्स्ट फेज में भी एक एसटीपीए निर्माणाधीन था, जिसका कार्य नहीं हुआ है और अभी तक आपने सिर्फ 300 कनेक्शन घरों में दिए हैं और 16 हजार समथिंग और देना बता रहे हो तो क्या यह सारी 189 करोड़ की राशि उन 16 हजार कनेक्शंस पर ही खर्च हो जाएगी? मेरा आपसे सब्मिशन यह है कि यह राशि जो बच रही है इसको क्या आप नये टेंडर कराकर जो 40 परसेंट हिस्सा शहर का बच रहा है, उसको सीवरेज के अन्तर्गत लाएंगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जितने भी काम प्रस्तावित हैं, चाहे सीवर लाइन के हों, चाहे सीवरेज पम्पिंग स्टेशन का हो, इसके साथ-साथ हाई-राइज टैंक के हों, 5-6 काम हाई-राइज टैंक के हैं, वाटर सप्लाई वगैरह हैं और ये सारे कोई कम्प्लीट

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

नहीं हुए हैं, ये कम्प्लीशन पर हैं तो उन पर खर्चा होगा तो कुल मिलाकर यह होगा। उसके अलावा अगर सेविंग होती है उसी में से 16500 हाउस कनेक्शंस लिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री राजेन्द्र राठौड़।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत किसानों के क्लेम की राशि

124. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना रबी 2019-20 के लिए ऋणी किसानों की अंतिम दिनांक क्या थी? अंतिम दिनांक तक कुल कितने ऋणी किसान प्रधान मंत्री फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में बीमा प्रीमियम राशि में राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के साथ बीमित किसान का भी अंशदान होता है? यदि हां, तो खरीफ 2019-20 व रबी फसलें 2019-20 में कुल कितनी प्रीमियम राशि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार एवं किसान ने विभिन्न बीमा कम्पनियों को जमा करवाई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनान्तर्गत क्लेम राशि का भुगतान खरीफ 2018-2019, 2019-2020 व रबी 2018-2019, 2019-2020 का बकाया है? यदि हां, तो कुल कितनी राशि का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना रबी 2019-20 के लिए ऋणी किसानों की अंतिम दिनांक 31 दिसम्बर 2019 थी। प्रधान मंत्री फसल बीमा पोर्टल पर 37 लाख 82 हजार ऋणी कृषकों का बीमा विवरण अपलोड किया गया है।

(2) जी हां। योजना अंतर्गत बीमा प्रीमियम राशि में कृषक द्वारा खरीफ फसलों में बीमित राशि का 2 प्रतिशत एवं रबी फसलों में 1.5 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम नियत है। बीमांकिक दर में से कृषक प्रीमियम राशि के अतिरिक्त शेष प्रीमियम राज्यांश एवं केन्द्रीयांश के रूप में समान अनुपात में सम्बन्धित बीमा कम्पनी को देय होता है।

मौसम सत्र खरीफ 2019 में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमानित कुल

(कृषि मंत्री)

केन्द्रीयांश प्रीमियम राशि रुपये 1 हजार 430 करोड़ 2 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा कुल राज्यांश प्रीमियम राशि रुपये 1 हजार 430 करोड़ 2 लाख जमा करवाई जायेगी। उक्त राज्यांश राशि में से 53 करोड़ 8 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है, शेष प्रीमियम राज्यांश दिए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। किसानों द्वारा राशि रुपये 361 करोड़ 87 लाख का प्रीमियम बीमा कंपनियों को जमा करवाया गया है।

मौसम सत्र रबी 2019-20 में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमानित कुल केन्द्रीयांश प्रीमियम राशि रुपये 685 करोड़ 85 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा कुल राज्यांश प्रीमियम राशि रुपये 685 करोड़ 85 लाख जमा करवाई जायेगी, जिसकी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। किसानों द्वारा राशि रुपये 348 करोड़ 51 लाख का प्रीमियम बीमा कंपनियों को जमा करवाया गया है।

(3) जी हां। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2018 में 2 हजार 397 करोड़ 6 लाख रुपये का बीमा क्लेम आंकलित हुआ था जिसमें से 2 हजार 210 करोड़ 78 लाख रुपये का बीमा क्लेम कृषकों को उपलब्ध करा दिया गया है। अनुमानित 186 करोड़ 28 लाख रुपये का बीमा क्लेम दिया जाना शेष है। रबी 2018-19 में 594 करोड़ 44 लाख रुपये का बीमा क्लेम आंकलित हुआ था जिसमें से 384 करोड़ 46 लाख रुपये का बीमा क्लेम कृषकों को उपलब्ध करा दिया गया है। अनुमानित 209 करोड़ 98 लाख रुपये का बीमा क्लेम दिया जाना शेष है। बीमा कम्पनियों को राज्यांश प्रीमियम राशि शीघ्र ही उपलब्ध करवाई जाकर शेष बीमा क्लेम का भुगतान करवाया जा रहा है।

खरीफ 2019 के उपज के समंक बीमा कम्पनियों को उपलब्ध करवा दिये गये हैं। बीमा कम्पनियों बीमा क्लेम गणना की कार्यवाही की जा रही है। मौसम सत्र रबी 2019-20 वर्तमान में प्रगति पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने खण्ड 2 में यह कहा है कि खरीफ 2019 की बीमा कम्पनियों के लिए देय प्रीमियम केन्द्रीयांश 1 हजार 430 करोड़ 2 लाख और राज्यांश 1 हजार 430 करोड़ 2 लाख, इसमें आपने सिर्फ 53 करोड़ 8 लाख का राज्यांश का भुगतान किया है। आपने कहा बाकी प्रक्रियाधीन है तो इस शेष राशि का जब तक भुगतान नहीं होगा, तब तक किसान को बीमा का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

क्लेम नहीं मिलेगा। क्या इस राशि का भुगतान आप किसान कल्याण कोष से करने की मंशा रखते हैं? और इसी के खण्ड 2 में, आपने आगे कहा है कि रबी 2019-20 में केन्द्रीय प्रीमियम 685 करोड़ 85 लाख एवं राज्य प्रीमियम 685 करोड़ 85 लाख, ये प्रक्रियाधीन है। ये प्रक्रिया कब पूरी हो जाएगी? आपने खुद ने ये कहा कि किसानों का प्रीमियम जो आपने लिया, 361 करोड़ एक और 348 करोड़ एक, यानी, किसान का पैसा तो बीमा कम्पनी के पास चला गया। ये राज्यांश आप कब तक जमा करा दोगे? ताकि किसान को बीमा का क्लेम मिल जाए। अगला सवाल मैं इसके बाद करूंगा।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि वर्तमान में 2168 करोड़ 77 लाख रुपये प्रीमियम लम्बित है पूरे राज्य का। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि जब से सरकार आई है। मैं थोड़ा पीछे से बता देता हूं खरीफ 2017 और रबी 2017-18, इसमें बकाया था, 208 करोड़ 79 लाख रुपये, जो हमने चुकता कर दिया। फिर, खरीफ 2018 का बकाया था 433 करोड़ 35 लाख रुपये, उसका भुगतान कर चुके हैं।

उसके बाद में रबी 2018-19 में 339 करोड़ 71 लाख रुपये का भुगतान आपको करना था, आपने बजट में भी देखा, वह भी हम कर चुके हैं। खरीफ 2019 में 53 करोड़ 8 लाख रुपये, कुल मिलाकर 1 हजार 94 करोड़ 94 लाख रुपये में से लगभग 980 करोड़ रुपये के गत वर्षों के लम्बित दायित्वों को पूरा कर दिया गया है।

अब आपने दूसरा प्रश्न किया कि जो बाकी देनदारी अभी है और हाल ही में जो टिड्डी दल का और जो वर्षा से प्रभावित जिले हैं। उनके बारे में आप बार-बार कल्याण कोष की बात करते हैं, कृषक कल्याण कोष की। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत कि पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य किसानों को लेकर चिंतित भी रहते हैं और कई सदस्य ऐसे भी हैं, पारीक साहब बैठे हैं, जो दिल्ली तक भी पूरी कोशिश करते हैं और इंश्योरेंस के बारे में काफी समझते हैं, लगातार सम्पर्क बनाये हुए हैं। जो 500 करोड़ रुपये लोन लिया है मार्केटिंग बोर्ड ने, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स से, उसमें 100 करोड़ रुपये आज जारी कर दिये गये हैं और 400 करोड़ रुपये लगातार, इस महीने में 15 दिन के टाइम पीरियड में जारी करके, 500 करोड़ रुपये इंश्योरेंस कम्पनियों को जमा करा दिये जाएंगे ताकि उनके खातों में पैसा चला जाए और इतनी ही राशि भारत सरकार भी जारी करेगी और हम चाहेंगे कि इस वित्तीय वर्ष और इस पूरे साल में जितना भी यह 1668 करोड़ का जो बकाया

(श्री लालचन्द कटारिया)

है, क्योंकि यह पिछले वाला जितना मैंने बताया, इसको हम पूरा करते हुए ला रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस वर्ष के अंदर जितने भी किसान, जो बाकी बचे हैं उनको भुगतान कर दिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, पिछली बार कितना भुगतान शेष था, प्रीमियम का, राज्यांश का, केन्द्रीयांश का आपने बताया, आपने भुगतान किया। मेरा सीधा सवाल है कि ये जो 1 हजार 430 करोड़ रुपये हैं, इसमें राज्यांश है। इसकी शेष राशि का भुगतान आप कह रहे हो कि आप 100 करोड़ रुपया जारी करोगे, किसान कल्याण कोष से और ओरियंटल बैंक से जो आप ऋण ले रहे हो, वो 2020-21 के लिए सिर्फ 81 करोड़ रुपये हैं। आप किस प्रकार इसको जमा करवाओगे, नम्बर एक बात।

नम्बर दो, अध्यक्ष महोदय, खण्ड 3 में आपने क्या कहा है। खण्ड 3 में, अध्यक्ष महोदय, यह जो बकाया है, खरीफ 2018 यानी, इसको दो वर्ष बीत गये। दूसरा बकाया है रबी 2018, यानी डेढ़ वर्ष बीत गया। इन दोनों का जोड़ मैं देखता हूं तो किसान का 392 करोड़ 80 लाख रुपया बकाया है, प्रीमियम की राशि इसमें जमा हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये राशि जो आपने खण्ड 3 में कहा है कि जो बकाया किसानों की राशि है, इस राशि का भुगतान आप कब कर दोगे? क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान में बकाया के रूप में सबको देखें तो लगभग 12 लाख किसानों का आज बकाया है, जिनको पैसा नहीं मिल रहा है।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 2018 खरीफ इसमें लम्बित थे 48 करोड़ 48 लाख रुपये, उसको हमने कृषक कल्याण कोष में कवर कर लिया है। रबी 2018-19 में 105 करोड़ 50 लाख रुपये थे, उसको भी हमने कृषक कल्याण कोष में कवर कर लिया है और खरीफ 2019, 1 हजार 376 करोड़, ये टोटल मिलाकर मैंने बताया कि 2168 करोड़ 77 लाख होते है, जो बकाया हैं, देने हैं। आपने जो संख्या बताई वह भी ठीक है।

मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि 500 करोड़ रुपये लोन लिया है, जो मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा हमको दिया गया है। उसका भुगतान इसी माह कर दिया जाएगा तो 500 तो हम करेंगे, 500 भारत सरकार का शेयर होगा, बाकी जो पैसा बचेगा 1668 करोड़ क्योंकि हम तो पूरा कवर करते हुए इस वर्ष तक आ गये, उसको हम कर रहे हैं।

एक जानकारी और देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के

(श्री लालचन्द कटारिया)

सचिव महोदय उदयपुर पधारे कल, उन्होंने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में राजस्थान को पहले नम्बर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है कल ही और हमारे जो कृषि आयुक्त हैं, वे आज भी उदयपुर में हैं और जो कमियां इस फसल बीमा में...

श्री अध्यक्ष: नहीं सुनना है। अगला प्रश्न। बैठे-बैठे बोलेंगे, अगला प्रश्न शुरू कर दूंगा मैं, आप मंत्री जी को सुनना नहीं चाहते हैं। यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): कल ही उन्होंने वह किया है, पूरी पारदर्शिता के साथ में, भारत सरकार का एक दल परसों फिर आ रहा है। एक दल से कल मीटिंग हुई है। टिड्डी दल के जो प्रभावित जिले हैं, उनमें तीन दल बनाकर वे गये हैं और भारत सरकार ने भी सराहना की है, अधिकारी लगातार सम्पर्क में हैं। जो पैसा बकाया है, उसको मैं खुद कह रहा हूं कि 1668 करोड़ रुपये की जो बकाया देनदारी है, वह इस वर्ष में पूरी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा टैक्निकल नहीं समझता हूं पर मैं एक साधारण, मैं इनकी तरफ से पूछ रहा हूं कि 2018 का रबी और 2018 का खरीफ, ये पैसा तो पिछली सरकार ने जमा करा दिया और उसके अगेंस्ट में पैसे बीमा कम्पनी दे रही है, कोई मेहरबानी नहीं कर रही है, एक।

आपकी सरकार जो 2019 की खरीफ आई और 2019 की जो रबी आई है, इसमें पैसा जमा कराया है क्या आपने दोनों में? खरीफ 2019 में भी और खरीफ आपके शासन में आने के बाद आई, इसमें आपने कोई पैसा राज्य सरकार को जमा कराया है क्या? और कराया है तो कितना पैसा अपना प्रीमियम का जमा कराया है वह बता दें, किसान ने कितना प्रीमियम जमा कराया है, वह बता दें और दोनों में कितना आया? वह बता दें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): नहीं, किसानों का जो पैसा जमा है वह तो मैंने बता दिया। वह तो उसमें है, पर मैं कहना चाहूंगा कि जो 2019 का भी मैंने कहा न 500 करोड़ रुपये कृषक कल्याण कोष से, रबी के अंदर 2018-19 में 105 करोड़ 50 लाख रुपये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 2018-19 छोड़ो, आप तो 2019 पर आ जाओ। आपकी सरकार आने के बाद में खरीफ में आपने क्या जमा कराया और रबी में क्या कराया? वह बता दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, लीडर के बाद भी आप बोलेंगे?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सर, खरीफ 2019, रबी का तो अभी आकलन हो रहा है। खरीफ, 2019 में अभी 1,376 करोड़ 94 लाख रुपए हैं और मैं घोषणा कर रहा हूं कि 100 करोड़ रुपये आज ही सरकार कंपनियों को जमा कराएगी और 400 करोड़ रुपये 15 दिन में जमा करा दिए जाएंगे और फिर भारत सरकार का शेयर आएगा उसमें और।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा कहना है कि इस सरकार के आने के बाद न खरीफ का पैसा जमा कराया, न रबी का शेयर जमा कराया इसलिए बीमा कंपनी इस किसान को कोई एक पैसे की भरपाई करेगी नहीं। करेगी कि नहीं? यह बताएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): यह भारत सरकार प्रमाण पत्र दे रही है इसका ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): है ही नहीं तो देगी कहां से बीमा कम्पनी, 31 दिसम्बर आपकी लास्ट थी, 31 दिसम्बर तक अगर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय, आप बैठें एक मिनट। एक मिनट बैठें तो सही आप। माननीय मंत्री जी, जो 2019- 20 के सम्बन्ध में पूछा है उसका जवाब दे दें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): 2019-20 का दिया है न मैंने, सर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): 2019-20 के लिए कह रहा हूं साहब, कृषक कल्याण कोष से 500 करोड़ रुपये सरकार दे चुकी है, यह घोषणा कर रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक सैकंड।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, अब यह अलग ढंग से लाएं। प्रश्न काल में लिमिटेशन है। प्रश्न काल की लिमिटेशन है।

बहिर्गमन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) मैं और मेरा दल सदन से वाकआउट करता है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्‌वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री मदन दिलावर।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): प्रश्न संख्या 125.

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर। अगला प्रश्न।

खाद्‌य सुरक्षा योजनांतर्गत सम्मिलित परिवार

126. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या खाद्‌य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में कितने प्रतिशत परिवारों को खाद्‌य सुरक्षा सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा वर्तमान में कितने प्रतिशत परिवार उक्त सूची में सम्मिलित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के अन्तर्गत कोटा शहर के हिस्से रामगंज मण्डी नगर व ग्रामीण क्षेत्र तथा खैराबाद व लाड़पुरा पंचायत समिति के कितने-कितने प्रतिशत परिवार खाद्‌य सुरक्षा सूची में सम्मिलित हैं तथा भविष्य में खाद्‌य सुरक्षा औसत प्रतिशत की दृष्टि से कब तक पूरा कर लिया जायेगा? क्या इस संबंध में सरकार ने कोई योजना बनाई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: खाद्‌य मंत्री जी, जवाब दें।

खाद्‌य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस सब्जैक्ट पर इसी सत्र में चर्चा हो चुकी है।

(1) भारत सरकार द्‌वारा राज्य में राष्ट्रीय खाद्‌य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 3(2) के अन्तर्गत जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश दिनांक 20 मार्च, 2015 के बिन्दु संख्या 17 के अनुसार खाद्‌य सुरक्षा योजना में नाम चयन की सीमा वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुपात में (ग्रामीण क्षेत्र) में 69.09 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 53.00 प्रतिशत) निर्धारित की गई है। सन्दर्भित आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 125.

श्री अध्यक्ष: हो गया। माननीय सदस्या, अगला प्रश्न आ गया। कोई अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ...वर्तमान में राज्य में कुल 1.11 करोड़ परिवार एवं 4.97 करोड़ यूनिट खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल है जो 2011 की जनसंख्या (6.86 करोड़) का 72.44 प्रतिशत है।

(2) रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोटा शहर के हिस्से रामगंज मण्डी नगर व ग्रामीण क्षेत्र तथा खैराबाद व लाडपुरा पंचायत समिति में खाद्य सुरक्षा सूची में चयनित परिवारों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने मेरे को बताया, 2011 की जनसंख्या के हिसाब से कुटुंबों की संख्या और यूनिट की संख्या बताई है और उन्होंने फिर प्रतिशत बताया है 2011 की जनसंख्या के हिसाब से तो फिर जो 1.11 करोड़ परिवार हैं और 4.97 करोड़ यूनिट हैं, ये कौनसे सन् के हिसाब से हैं? यह बताने की कृपा करें।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 2011 की जनगणना के अनुसार हैं ये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): नहीं है। माननीय, यह गलत है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह नहीं है और इसलिए नहीं है क्योंकि अभी परिवारों की संख्या लगभग 20% बढ़ गई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछना है कि जवाब आपको देना है? प्रश्न पूछिए न आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि रामगंज मंडी विधान सभा क्षेत्र का जो एरिया है जिसमें प्रतिशत के अनुपात में जो कम है जैसे कि कोटा नगर निगम का वार्ड नंबर-5, वार्ड नंबर-24, वार्ड नंबर-25 और खैराबाद पंचायत समिति और नगरपालिका क्षेत्र में 41.85 परसेंट है इसको वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से और वर्तमान परिवारों की संख्या के हिसाब से जो सरकार का देय है 53 परसेंट, 69 परसेंट...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते। प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ... वह करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य ने जो बताया है कि यह परसेंटेज का आधार है स्टेट का जो 69.09 प्रतिशत और अरबन में 53 प्रतिशत है। आप लोगों का जो अपने जिलेवाइज, अपने विधान सभा क्षेत्रवाइज गांवों का प्रतिशत है वह हमने निकालकर दिया है। आपका बोरावास का 85.52 परसेंट है। डोल्या का 86.25 प्रतिशत है, भंवरिया का 83.47 है और वार्ड नंबर-4 का जो कोटा नगर निगम में आता है 88.32 प्रतिशत है। वार्ड नम्बर-5 में जिसकी चर्चा की आपने, उसमें 35.65 है और वार्ड नंबर-24 में 41.94 है और 25 में 56.25 प्रतिशत है। खैराबाद पंचायत समिति में 61.48 प्रतिशत है जो एक सतत प्रक्रिया है। हमने जो नाम जोड़े हैं, अभी कोटा रूरल में वह करीब आपके 32,732 नाम जोड़े हैं और अरबन में 39,488 नाम जोड़े हैं। नाम जुड़ते भी हैं, नाम कटते भी हैं। दोनों प्रक्रिया सतत है, दस्तावेज के आधार पर नामों को हटाया भी जाता है और जोड़ा भी जाता है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी घुमक्कड़ परिवार ऐसे हैं जो एप्लीकेशन कहां देते हैं, कैसे देते हैं, यह नहीं समझते हैं। ऐसे ब्लाक के ब्लाक रैबारी हैं, भील हैं, गुर्जर हैं, गाड़िया लोहार हैं, साटिया है, ऐसे बड़ी संख्या में परिवार हैं जो खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अब उनसे हम अपेक्षा करें कि वे जाकर के दरख्वास्त दें, यह सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। अब प्रश्न पूछें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि उनके लिए कैंप लगाकर कब इस योजना में उनको शामिल कर लिया जाएगा?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कैंप लगते रहते हैं। आपको अगर स्पेशली है तो अभी जब विधान सभा सत्र समाप्त हो तब बता देना, कैंप लगवा देंगे। हम तो शिविर लगाते ही रहते हैं, अभी जयपुर शहर में लगाए हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): धन्यवाद। लगवा दें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री बाबूलाल कठूमर।

कठूमर के ग्रामीण क्षेत्रों में बसों का संचालन

127.श्री बाबूलाल (कठूमर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बाबूलाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर जिला अलवर में एनसीआर में बड़े कस्बे लक्ष्मणगढ़, कठूमर नगर सड़कों से जुड़ गये हैं तथा घाटा अलवर, देवी, धौलागढ़, सेजपुर व ग्रामीण क्षेत्र को जोड़कर जयपुर से कितनी बसें संचालित हो रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र को पूर्व की भांति जयपुर व अलवर से बस सेवा से जोड़ने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें प्लीज। अंकित नहीं होगा। माननीय परिवहन मंत्री जी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: आपने वाक आउट किया, बैठें आप प्लीज। अंकित नहीं होगा। परिवहन मंत्री जी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप बाहर गए थे। मैंने मदन दिलावर जी का प्रश्न पुकार लिया। आप बैठिए प्लीज। अंकित नहीं होगा। सीनियर लीडर हैं। I will deprive you. माननीय परिवहन मंत्री जी, जवाब दीजिए। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा आपके सामने। आपकी पार्टी के सदस्य हैं। आपके बाद इन्होंने प्रश्न पूछा कि नहीं पूछा? माननीय मंत्री जी। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय परिवहन मंत्री जी, जवाब दें। यह तरीका नहीं है। आप मन में आए जैसे स्पीकर पर आरोप लगाएं। यह तरीका नहीं है। आपको हाउस में बैठे रहना चाहिए, आप क्यों गए बाहर? अब अंकित नहीं होगा। माननीय मंत्री जी, जवाब दें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: परिवहन मंत्री जी, आप जवाब दीजिए।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी नहीं।

(2) जी हां। सरकार की घोषणा "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूरदराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर संचालन

(परिवहन मंत्री)

हेतु कार्यवाही प्रकियाधीन है एवं जयपुर से अलवर को जोड़ने हेतु लोक परिवहन सेवा योजना के अन्तर्गत जयपुर रीजन से 28 अनुज्ञा पत्र जारी किये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल (कठूमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, खेड़ली से कठूमर वाया लक्ष्मणगढ़-अलवर और कठूमर से जयपुर, यहां लक्ष्मणगढ़ रूट पर पचासों साल से लगातार बस चलती थी जो दस बार आती थी और दस बार जाती थी। जटवाड़ा से अलवर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मेरी आदत नहीं है बैठे-बैठे सुनने की। आप मन में चाहे जो स्पीकर पर आरोप लगाएं। जो चाहे आप जनता के बीच में गये, यह मेरी आदत नहीं है।

श्री बाबूलाल (कठूमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, घाटा बावर से जयपुर, आज की तारीख में एक भी बस नहीं चल रही है जो मंत्री जी ने मान लिया है। लक्ष्मणगढ़ में हमारे यहां पूरी कोर्ट है, डीवाईएसपी वहां बैठता है, एक्सईएन बिजली का वहां बैठता है। तहसील वहां है और तीन वर्ष से एक भी बस इलाके में नहीं है। मंत्री जी ने ग्रामीण बस के लिये कहा है। इन्होंने 28 ग्रामीण बसें चलाई हैं जो सभी जयपुर से अलवर हैं वाया शाहपुरा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री बाबूलाल (कठूमर): प्रश्न ही पूछ रहा हूं। हमारे इलाके में एक भी बस नहीं है। हमारे इलाके में जो खेड़ली से अलवर वाया लक्ष्मणगढ़ बस चलती थी और कठूमर से मंडावा जो लोकल बस चला करती थी, उनको यथावत वापस चलाने का इरादा है या नहीं?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही चिंता व्यक्त की है। मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि जो आपकी तीन साल से बसें बंद हैं, आज आप मेरे साथ आफिस में बैठ जाना, आपका सम्मान करते हुए उन बसों को जितना भी ज्यादा से ज्यादा चला सकते हैं, आपके रूट पर चलायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री मदन प्रजापत।

प्रारंभिक शिक्षा के समन्वित विद्यालयों के भवनों का रखरखाव

128. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रारंभिक शिक्षा में सत्र 2015-16 में विद्यालयों को समन्वित करने से विद्यालय भवन रिक्त हुए हैं और वे वर्तमान में अनुपयोगी हैं? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त भवनों का मालिकाना हक किसके पास है और उनके रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार है? बाड़मेर जिले में समन्वित करने से रिक्त हुए उक्त भवनों की वर्तमान स्थिति की विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त भवनों को भवनविहीन सरकारी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं व गैर सरकारी संस्थाओं अथवा सामाजिक संगठनों को रखरखाव, लीज या किराये पर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) जी हां। स्कूल शिक्षा विभाग में विद्यालयों के समन्वयन से रिक्त हुए विद्यालय भवनों का मालिकाना हक शिक्षा विभाग के पास है तथा रिक्त भवनों के रख-रखाव हेतु जिस विद्यालय में समन्वित किया, उस विद्यालय का संस्था प्रधान जिम्मेदार है।

सत्र 2015-16 में बाड़मेर जिले में विद्यालय समन्वयन प्रक्रिया में प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत 182 तथा माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत 383 विद्यालय भवन रिक्त हुए, जिनका विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "क-1" तथा "क-2" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। शिक्षा विभाग में समन्वयन से रिक्त विद्यालय भवनों को राजकीय विभागों को आबंटित किये जाने का प्रावधान है। दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट "ख-1" से "ख-3" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं और यह चिंता भी है कि भवन बनाने में बहुत समय लगता है और सैकड़ों भवन और

(श्री मदन प्रजापत)

विशेषकर शहरी क्षेत्र में किसी भामाशाह ने बनाए, दानदाताओं ने बनाए, सरकार ने भी बनाए...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, प्रश्न।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): जिनकी कीमत करोड़ों रुपया है। उनका उपयोग किसी दूसरे आफिस में या सरकारी कार्यालय में हो ताकि भवन खंडहर न हो। इतने शानदार भवन आज सून में पड़े हैं। उनमें दूसरे आफिस या उनको किसी न किसी तरह से उपयोग में लेने की मंशा है या नहीं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिलकुल सही फर्माया है कि 22 हजार से ज्यादा ऐसी स्कूलें मर्ज कर दी गई थीं जिसके कारण से यह भवन रिक्त हो गये। सरकार ने निर्देश भी दिये थे, इसके नियम भी बनाये कि कोई सरकारी विभाग इस तरीके से अगर बजट उपलब्ध है तो वह वहां किराये पर ले सकता है या बजट नहीं है तो भी हमने जिला कलेक्टर को अधिकृत कर रखा था कि उनको दे दिया जाये। मैं समझता हूं अभी जो R.T.E. नोर्म्स के विपरीत जितने भी विद्यालय हैं, उनकी सूची हमने उपखंड अधिकारी के माध्यम से कमेटी बनाकर और जिला कलेक्टर के माध्यम से हमने प्रस्ताव मंगाये हैं। चूंकि बीच सैशन में ठीक नहीं रहता, न बच्चे मिलते, न अध्यापक मिलते। अभी जो सैशन आ रहा है उसमें जितने विद्यालय जो R.T.E. नोर्म्स के विपरीत पिछली सरकार ने बंद कर दिये थे, जहां छात्र उपलब्ध हो जायेंगे, वहां हम खोलने का काम करेंगे और शेष के लिये यह जो सरकार की नीति बनाई गई थी, मैं समझता हूं कि यह आज की तारीख में पर्याप्त नहीं है क्योंकि ऐसे बहुत भवन हैं जो भामाशाहों एवं सरकार का बहुत पैसा लगकर बने थे। इसके लिये एक समग्र नीति बनाने की आवश्यकता है कि इन भवनों का कैसे उपयोग करें। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आपने जो कर दिया सो तो कर दिया लेकिन इसके लिये सुझाव दीजिए कि हम उन भवनों को कैसे उपयोग में लाएं जिससे इसमें जो गाढ़ी कमाई प्रदेश के लोगों की, सरकार की लगी हुई थी, वह ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आ सके।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती इन्द्रा।

शराबबंदी हेतु समिति का गठन

129. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में शराबबंदी पर रिपोर्ट देने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था? यदि हां, तो कब एवं उक्त कमेटी द्वारा क्या रिपोर्ट दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में नौजवानों में बढ़ती शराब की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए पूर्ण शराबबंदी लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां।

शराबबन्दी के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का विश्लेषण कर शराबबन्दी के सभी पहलुओं पर विचार करने हेतु समिति का गठन श्री सी.एस. राजन तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2013 को किया गया था। (परिशिष्ट-।) कमेटी द्वारा दिनांक 10.09.2013 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। (परिशिष्ट-2)

समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का सारांश -

समिति की यह सुविचारित एवं सर्वसम्मत राय रही कि शराबबंदी एक व्यावहारिक नीति नहीं है एवं राजस्थान में मद्यसंयम की नीति ही एकमात्र व्यावहारिक समाधान है।

(2) सरकार का वर्तमान में शराबबंदी लागू करने का विचार नहीं है। राज्य सरकार द्वारा आबकारी एवं मद्यसंयम नीति घोषित की गयी है जिसमें मद्यसंयम के प्रावधानों पर अधिक बल दिया गया है।

मद्यसंयम के तहत निम्नलिखित नीतिगत निर्देश महत्वपूर्ण हैं-

I. मदिरा दुकानों के खुलने व बन्द होने के समय की कठोरता से पालना।

II. मदिरा उपभोग को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों पर कठोर कार्यवाही।

III. अवयस्क व्यक्तियों को नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक।

(स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

IV. नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार।

V. सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन पर जुर्माना।

VI. दुकानों पर निर्धारित सूचना के अलावा विज्ञापन प्रदर्शित करने पर रोक।

VII. अवैध व हथकड़ मदिरा पर रोक।

अतः उपरोक्तानुसार मद्यसंयम के प्रावधानों के प्रभावी पालन करते हुए आबकारी नीति संचालित है जो आबकारी राजस्व की चोरी (ह्रास) को रोकती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि जैसे एक दुकान के अलग-अलग पाइंट बनाकर गली-मौहल्लों में शराब की बिक्री की जाती है, क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई कार्यवाही करेगी? दूसरा प्रश्न, जो कागजी कार्यवाही में तो दूर दर्शायी गई है लेकिन हकीकत में रोड के किनारे और आबादी के नजदीक अवैध रूप से ठेके चलाये जा रहे हैं, उनकी जांच कर क्या सरकार कार्यवाही करेगी? तीसरा, 8 बजे बाद जो चोरी-छिपे शराब बेचते हैं, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो तीनों प्रश्न माननीय सदस्या ने पूछे हैं, सूचना मिलने पर उन पर अविलम्ब कार्यवाही की जाती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक दुकान के लाइसेंस की तीन दुकानें चलना, यह इस हाउस में कई बार हम लोगों ने विभिन्न विषयों के माध्यम से उठाया है। पब्लिक के द्वारा भी आपके डिपार्टमेंट को कई बार यह लिखा गया कि एक काउंटर की उसकी स्वीकृति है और वह तीन-तीन जगह दुकानों को चला रहा है। यह जगजाहिर है और रिकार्ड पर है। हमें कोई सूचना देने की जरूरत नहीं, जो रिकार्ड आपके पास एकत्र है, उस रिकार्ड के आधार पर कार्यवाही करेंगे? एक। दूसरा, आप इसको सीमित करना चाहते हैं जो नोर्म्स आपके हैं कि इन-इन नोर्म्स को छोड़कर ही कोई आउटलैट दिया जा सकता है, क्या विभाग उसकी शत-प्रतिशत पालना कर रहा है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): शिकायत तो आती रहती है, इसमें कोई दोराय नहीं, शत-प्रतिशत पालना के लिये तो मैं हां नहीं भरता लेकिन जब-तब शिकायत आती है और जब-जब सूचना मिलती है तो उस वक्त कार्यवाही की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मिसाल के तौर मैं निवेदन करना चाहता हूं, कल आपने डाइरेक्शन दिये थे, यह डाइरेक्शन थे नियम 131 के तहत माननीय ओम प्रकाश जी हुड़ला के द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर मेरा जवाब था कि उस इंस्पैक्टर को तो 16 सीसीए का नोटिस दिया गया है और वहां का जो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज आफिसर है, उसको एक नोटिस दिया गया है। उस पर आपने यह डाइरेक्शन दिया था कि इसमें अविलम्ब कार्यवाही होनी चाहिये क्योंकि कॉल अटेंशन लगने के बाद में वह दुकानें निरस्त की गई हैं। इसमें कोई दोराय नहीं, वह बात सत्य थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आदेशों के अनुसार उस लक्ष्मीनारायण, तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, दौसा को 17 सीसीए के तहत आरोप-पत्र दे दिया गया है तथा लोकेश यादव जो तत्कालीन आबकारी निरीक्षक महुवा था, उसको 16 सीसीए के तहत कार्यवाही करते हुए राज्य सेवा से निलम्बित कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यह जो कह रहे हैं इस प्रश्न में खाली यही है एक कैंपेन चलाकर, क्योंकि लाइसेंस एक ही है और तीन-तीन जगह दुकानें चल रही हैं। विभाग 15 दिन में इस तरह का कैंपेन चलाएं कि इस तरह की जो दुकानें चल रही हैं, उनको रोकने के सम्बन्ध में निर्देश दें जिससे कि इसकी पालना हो सके।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं इसके बारे में डिपार्टमेंट को लिखूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री हमीर सिंह भायल।

सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने की कार्ययोजना

130. हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा बड़ी ग्राम पंचायतों (जनसंख्या के आधार पर) में अग्निशमन वाहन खरीदने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो बाड़मेर जिले में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हमीर सिंह भायल)

(2) क्या उक्त ग्राम पंचायतों में सीवरेज लाइन तथा गलियों में रोशनी व्यवस्था हेतु (सोलर लाइट) के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो बाड़मेर जिले में उक्त श्रेणी की कितनी ग्राम पंचायतें चयनित की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के बिन्दु संख्या 213.0.0 में 15 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को अग्निशमन वाहन हेतु आवश्यक अनुदान उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी, जिसे क्रियान्वित नहीं करने का निर्णय दिनांक 08.06.2017 को तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा लिया गया।

(2) जी नहीं। उक्त ग्राम पंचायतों में (जनसंख्या के आधार पर) सीवरेज लाइन तथा गलियों में रोशनी व्यवस्था हेतु (सोलर लाइट) के लिये विशेष दिशा-निर्देश विभाग द्वारा जारी नहीं किये गये हैं।

एल.ई.डी. लाइट एवं सोलर लाइट लगाने हेतु समस्त पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य दिशा-निर्देश विभाग द्वारा जारी किये गये हैं, जिनकी प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

सीवरेज लाइन से संबंधित कार्य राज्य वित्त आयोग (SFC) एवं चौदहवें वित्त आयोग (FFC) में अनुमत है। इस संबंध में ग्राम पंचायतों का कोई विशेष चयन नहीं किया जाता है।

(3) जी नहीं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या वर्तमान सरकार अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? क्या शहरी लोगों और ग्रामीण लोगों में सरकार अंतर समझती है? शहरों में रात्रि को रोशनी की

(श्री हमीर सिंह भायल)

व्यवस्था होती है तो गांवों में सरकार रात्रि को रोशनी की व्यवस्था क्यों नहीं कराना चाहती? माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवाना, समदड़ी, सिणधरी नगर पालिका के जैसे बड़े कस्बे हैं, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इनमें अगर सीवरेज लाइन लगाकर, यदि इन बड़े कस्बों को राहत पहुंचायी जाए, तो अच्छा होगा।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक फायर बिग्रेड की बात है, पिछली सरकार ने निर्णय लिया था कि 15 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में फायर बिग्रेड उपलब्ध करवायी जाए, लेकिन कुछ महीनों बाद उस निर्णय को निरस्त किया गया, क्योंकि यह सिर्फ फायर बिग्रेड खरीदने तक सीमित नहीं थी। उम्मीद की गयी थी कि पंचायतें उसके ड्राइवर, उसके मेंटीनेंस और वर्किंग का खर्चा उठाएं, क्योंकि पंचायतें सैल्फ फाइनेंस नहीं कर पाती हैं, इसलिए उस निर्णय को निरस्त किया गया था। वर्तमान में हम नहीं चाहते कि पंचायतों के ऊपर अतिरिक्त बोझ डाला जाए, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी, वहां पर हमारा मंत्रालय चाहे लाइट हो, सीवरेज हो, फायर बिग्रेड हो, पूरी मदद करने के लिए तैयार है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न पूछा, जो सीवरेज लाइन डालने की बात है और माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि क्या सरकार ग्रामीण और शहरी लोगों में अंतर रखती है? तो हम तो राजस्थान के सात करोड़ लोगों को एक नजर से देखते हैं। बिजली, पानी, मदद, सहायता, सहयोग ग्राम और शहर हर जगह पर हम करवायेंगे, यह हमारी सरकार का पूरा प्रयास रहेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री छगनसिंह।

आहोर में नर्मदा से पेयजल की आपूर्ति

131. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र आहोर में नर्मदा का पानी कब तक उपलब्ध करवा दिया जायेगा? क्या सरकार नर्मदा के ई.आर. प्रोजेक्ट पर कन्टींजेंसी प्लान की स्वीकृति देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): विधान सभा क्षेत्र आहोर के 133 ग्रामों सहित जिला जालौर के कुल 267 ग्रामों को नर्मदा नहर से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 19.09.2013 को राशि रुपये 509.20 करोड़ की स्वीकृत एफ.आर. क्लस्टर पेयजल परियोजना का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जाकर, आहोर क्षेत्र के 45 ग्रामों को एफ.आर. ट्रांसमिशन मेन पेयजल परियोजना के कराये गये कार्यों से आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। एफ.आर. क्लस्टर पेयजल परियोजना का कार्य माह दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण कर समस्त ग्रामों को पूर्ण रूप से नहरी स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र आहोर के उक्तानुसार 133 ग्रामों को नर्मदा नहर से पूर्ण रूप से लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है तथा क्षेत्र के शेष रहे 22 ग्रामों हेतु इस नहर आधारित आकस्मिक योजना की स्वीकृति वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 133 ग्रामों को जो दिसम्बर तक पानी देने के लिए कहा है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो मुख्य ई.आर. क्लस्टर है, जिसमें सांचौर, रानीवाड़ा, भीनमाल, जालौर और आहोर विधान सभा क्षेत्र आते हैं, इन पांचों विधान सभा क्षेत्र में आप ई.आर. क्लस्टर कब तक सैंक्शन कर देंगे?

दूसरी बात, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के 22 गांव हैं, वे अपने आप को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं कि हमने कौनसा गुनाह कर दिया कि हमें इस नर्मदा से वंचित रखा है? जब तक यह ई.आर. क्लस्टर सैंक्शन नहीं हो जाए, तब तक महिलावास, बागरा, सियाणा, मेड़ा, भेटाला, बीबलसर, काणदर आदि 22 गांवों में आप वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ट्यूबवैल कब सैंक्शन कर देंगे इसी सत्र में? क्योंकि गर्मी तब तक शुरू हो जाएगी तो पानी नहीं मिलेगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 22 गांव, जिनका माननीय सदस्य ने जिक्र किया या रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम से पानी दिया जा रहा है और 13 गांवों में तो हमने आर.ओ. लगा रखे हैं। जब भी देखा जाएगा कि कहीं पानी की आपूर्ति में कमी हो रही है तो हमें नये स्थानों पर ट्यूबवैल खुदवाने पड़ेंगे तो हम खुदवा देंगे। जहां तक इन्होंने ई.आर. क्लस्टर की बात की है, इसकी लागत 455.56 करोड़ रुपये आंकी गयी है। इसमें आहोर के 22 गांव, भीनमाल के 77, जालौर के 21, रानीवाड़ा 24

(श्री बुलाकी दास कल्ला)
और सांचौर के 112 गांव हैं। कुल 256 गांवों की यह स्कीम है। जैसे-जैसे साधन उपलब्ध होंगे, उस आधार पर इस पर विचार किया जाएगा।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि आर.ओ. लगे हुए हैं, लेकिन सभी बंद पड़े हैं। पानी है ही नहीं तो आर.ओ. कैसे चलेंगे? कृपा करके नये ट्यूबवैल इन गांवों में सैंक्शन कराएं ताकि गांवों की समस्या का सोल्यूशन होगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय सदस्य, जो-जो आर.ओ. खराब हैं, उनकी सूची मुझे दे दें, मैं उन्हें ठीक करवाऊंगा। जहां नये ट्यूबवैल की आवश्यकता होगी, वहां मैं जरूर खुदवाने का प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, जोगेश्वर गर्ग।

नगरीय क्षेत्र में अवस्थित भूमि का बंदोबस्त

132. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राजस्व भूमि बंदोबस्त की तर्ज पर नगरीय क्षेत्र में अवस्थित भूमि का भी इंच दर इंच बंदोबस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बंदोबस्त करने से अनेक भूखण्ड स्वामित्व विहीन पाये जाएंगे जिनका जनहित में उपयोग किया जा सके?

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी नहीं।

(2) उक्त प्रश्न का उत्तर प्रथम खण्ड के उत्तर में समाहित है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह मानती है कि समस्त नगरीय निकायों को यह मालूम है कि उनके सीमा क्षेत्र में आवासीय और व्यावसायिक स्वामीरहित भूखंड कितने हैं तथा औरण, गोचर, तालाब, नाड़ी, सिवाय चक श्रेणी की भूमि कितनी है? क्या यह जानकारी होना उपयोगी है और क्या यह भी सही है कि इस अंतर के अभाव में उन जमीनों और भूखंडों का जन हित में उपयोग नहीं हो पाता है और लोग अतिक्रमण कर लेते हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नगरीय क्षेत्रों के बाबत 2016 में एक एक्ट बना था। 2016 में आपाधापी में यह एक्ट पास करवा दिया गया और इसके नियम इसलिए नहीं बनाये गये ताकि यह एक्ट लागू न हो। तत्कालीन सरकार के द्वारा उसी वक्त पुनर्विचार कर लिया गया था। इसकी वजह यह थी कि अगर मान लीजिए एक नयी एजेंसी खोल दी जाएगी। मान लीजिए जयपुर का किस्सा है, अगर जेडीए ने किसी को एक पट्टा दे दिया, स्वामित्व मान लिया और यह जो एजेंसी और तैयार हो जाती है तो वह दूसरों को पट्टा दे देगी, नतीजा यह निकलेगा कि अदालतों में जाता रहेगा। जिस प्रकार से सैटलमेंट आफिस में जो काटापीटी हो जाती है और जमीन सिवाय चक लिख दी जाती है या दूसरे के नाम पर दे दी जाती है। हजारों की तादाद में केसेज आर.ए.ए. में और रेवेन्यू बोर्ड में चलते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे खुद के साथ चोट हुई है। मेरे पास कुल आठ बीघा तो जमीन, कोटा में सैटलमेंट आफिसर एक लेडी थी, उसने चार बीघा सिवाय चक कर दी। मैं आठ साल में जाकर मुकदमा जीता हूं। इस तरह डबल-डबल एजेंसी हो जाएंगी तो इससे और काम्प्लीकेशन हो जाएगा। जहां तक सवाल इस बात का है कि नगरीय निकाय के पास उसका पूरा रिकार्ड होता है। यह गलत बात है कि अतिक्रमण किस तरह से होता है? अतिक्रमण तो होते रहते हैं और अतिक्रमण टूटते भी रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि उसके बजाय कोई दूसरी एजेंसी बना दी जाए। दो-दो एजेंसियां अगर हक का पट्टा दे देंगी तो विवाद पैदा होगा और अदालतों में लाखों की तादाद में केसेज चले जाएंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, बिना दूसरी एजेंसी बनाये नगरीय निकाय के राजस्व अधिकारी के माध्यम से ही यदि ऐसी जानकारी की जाए तो क्या अच्छा नहीं रहेगा। सरकार यह मानती है कि इसका उपयोग होगा और यदि सरकार इस बारे में कुछ नहीं करती है तो इसका मतलब यह सरकार अतिक्रमण को बढ़ावा देना चाह रही है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, ओम प्रकाश हुड़ला।

महवा में भामाशाह पशु बीमा योजनान्तर्गत पशुओं का बीमा

133. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र महवा में विगत पांच वर्षों में भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत कितने पशुओं का बीमा किया गया एवं कितने लोगों को लाभान्वित किया गया? वर्षवार लाभार्थीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजनान्तर्गत अब तक कुछ पशुपालकों को उक्त योजना के तहत मुआवजा राशि नहीं दी गई है? यदि हां, तो कहां-कहां व क्यों? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना के अंतर्गत पशुपालकों के बकाया क्लेम शीघ्र देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) विधान सभा क्षेत्र महवा में गत पांच वर्षों में भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत किये गये पशु बीमा तथा लाभान्वित पशुपालकों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) भामाशाह पशु बीमा योजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र महवा के एक पशुपालक श्री राजेश कुमार मीना पुत्र श्री रामलाल मीना, ग्राम बाड़ा बुजुर्ग को उनके द्वारा बीमा कंपनी को पशु की मृत्यु की समय पर सूचना नही दिये जाने के कारण, यूनाइटेड इण्डिया बीमा कंपनी द्वारा नियमानुसार क्लेम का भुगतान नही किया गया है।

(3) बीमा कम्पनी द्वारा पशु बीमा क्लेम के भुगतान हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

वर्तमान में प्राप्त सूचना अनुसार विधान सभा क्षेत्र महवा के भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत पात्र समस्त क्लेम का, बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि खण्ड (2) में भामाशाह पशु बीमा योजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र महवा के एक पशुपालक श्री राजेश कुमार

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

मीना पुत्र श्री रामलाल मीना, ग्राम बाड़ा बुजुर्ग को उनके द्वारा बीमा कंपनी को पशु की मृत्यु की समय पर सूचना नहीं दिये जाने के कारण, यूनाइटेड इण्डिया बीमा कंपनी द्वारा नियमानुसार क्लेम का भुगतान नहीं किया गया है। आखिर वह समय सीमा क्या है? उस समय-सीमा की किसानों को जानकारी नहीं है तो सरकार उसके प्रचार-प्रसार की कोई कार्यवाही करने की मंशा रखती है या नहीं?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 22 जुलाई, 2018 को रामलाल मीना की भैंस की मृत्यु हुई और उन्होंने बिना सूचित किये, न इंश्योरेंस कंपनी को सूचित किया, न पशुपालन कार्यालय को सूचित किया और पोस्टमार्टम करवाकर 6 अगस्त, 2018 को जिला कार्यालय पशुपालन में उन्होंने आवेदन किया, जबकि नियम यह है कि 6 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को या हमारा जो संबंधित अधिकारी है, जो पशुपालन का डाक्टर है, उसको सूचित करें। बीमा कंपनी का प्रतिनिधि उपलब्ध रहे, किसान उपलब्ध रहे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहां हो। यह दोनों की नहीं करके उन्होंने 14-15 दिन बाद आवेदन किया इसलिए यह क्लेम खारिज हो गया। योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र महवा में पिछले 5 वर्षों में 57 पशुओं का 19 लाख 70 हजार रुपये का बीमा कंपनी द्वारा क्लेम का भुगतान किया गया है। अभी तक कोई पेन्डेंसी नहीं है। इसके बारे में मैंने बता दिया है कि इसने सूचना सही समय पर नहीं दी।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): जी धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री रामलाल शर्मा

पंचायत समितियों में नन्दी शालाओं की स्थापना

134. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वर्ष 2019-20 में प्रदेश की समस्त पंचायत समितियों में नन्दी शालाएं स्थापित की जाएंगी? यदि हां, तो उक्त घोषणा के तहत किस-किस पंचायत समिति में नन्दी शालाएं स्थापित की गईं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नन्दी शालाओं के लिए सरकार

(श्री रामलाल शर्मा)

द्वारा भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में भूमि आबंटित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त नन्दी शालाओं के लिए सरकार द्वारा बजट राशि का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति में कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री) (गोपालन मंत्री के स्थान पर): (1) परिवर्तित बजट 2019-20 में सरकार द्वारा आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदीशालाएं स्थापित करने बाबत घोषणा की गई।

अभी तक किसी भी पंचायत समिति में नंदीशालाएं स्थापित नहीं की गई हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके खण्ड (1) में कहा कि हां, नन्दी शालाओं की घोषणा बजट में की गई, लेकिन आपने एक भी नहीं खोली। फिर मैंने पूछा कि जमीन आबंटित की क्या? आपने कहा, नहीं की। फिर मैंने पूछा, बजट दिया क्या? आपने कहा, नहीं दिया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि 20 तारीख को जो बजट आ रहा है, उस बजट में आप अपना धर्म निभाते हुए ऐसी कोई घोषणा नहीं करेंगे जिसके अंदर बजट का प्रावधान नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जो बजट घोषणा है 2019-20 उसके अब 43 दिन केवल बाकी रहे हैं जिसकी पूर्ति आपको करनी है। अभी आपने जमीन का आबंटन भी नहीं किया है और बजट का आबंटन नहीं किया। क्या ऐसा मानें कि 2019-20 के बजट में यह जो घोषणा की है, यह जनता के साथ छलावा था?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पिछले बजट में घोषणा की गई थी। राज्य सरकार एक योजना बना रही है। मैंने, मुख्य मंत्री जी और गोपालन मंत्री जी ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अनेक राज्यों का दौरा किया है और जमीन चिह्नित करने का काम चल रहा है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दो महीने के अंदर इस योजना पर

(श्री लालचन्द कटारिया)

पूर्ण रूप से सरकार खाका खीचेंगी और इस योजना को लागू करके एक विस्तृत रिपोर्ट हम पेश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर शहर में खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने की अपीलों का निस्तारण

135. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर शहर में खाद्य सुरक्षा से जुड़ने हेतु जनवरी, 2019 से जनवरी, 2020 तक कितनी अपीलें प्राप्त हुईं? उनमें से कितनी अपीलों का निस्तारण किया गया? कितनी अपीलें स्वीकार की गईं और कितनी अपीलें निरस्त की गईं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने की कोई समय सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जन घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा योजना को सभी वर्गों के पात्रताधारियों के लिए लागू करते हुए पूर्ववर्ती सरकार की 69 प्रतिशत सीमा को बढ़ाते हुए 100 प्रतिशत किया जाना था? यदि हां, तो उक्त सीमा को कब तक बढ़ा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) अजमेर शहर में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने हेतु जनवरी 2019 से जनवरी 2020 तक खाद्य सुरक्षा योजना में प्राप्त/स्वीकृत/निरस्त/निस्तारित अपीलों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु 30 दिवस की समय सीमा निर्धारित है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 69.09 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत की चयन सीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। इसे बढाकर 100 प्रतिशत पात्र परिवारों को जोड़ने के विषय में वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन करवाया जा रहा है। इस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने तीसरे खण्ड में जो जवाब दिया है कि चयन सीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। इसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत पात्र परिवारों को जोड़ने के विषय में वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन करवाया जा रहा है। अब यह वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन क्या पांच साल तक करवाया जाता रहेगा? यह मेरा पहला प्रश्न है क्योंकि इसी बजट घोषणा में इन्होंने कहा था कि हम 100 प्रतिशत करने वाले हैं।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपने तीस दिवस की अवधि निर्धारित की है। जो अपीलें प्राप्त हुईं जनवरी, 2019 से जनवरी, 2020 में, वह अपीलें 4497 प्राप्त हुईं। उन अपीलों में से आपने सिर्फ स्वीकार की है 1451 और 1308 अपीलें आज भी पेंडिंग हैं। ई-मित्रों को आपने आक्षेपों की पूर्ति के लिए लौटाई हैं। यह तीस दिन से ज्यादा ई-मित्रों के पास पड़ी हैं, पूरे एक साल में जबकि आपका कहना है कि हम तीस दिन में निस्तारित करते हैं। क्या आप इन ई-मित्रों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने इन आक्षेपों को पूरा नहीं कराया?

फिर आपने दूसरे खण्ड में यह कहा है कि 1738 अपीलें आपने खारिज कर दीं। यह जो 1738 अपीलें खारिज की हैं, यह खारिज अपीलें किस-किस विधान सभा क्षेत्र की हैं और क्यों खारिज की हैं? इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपने सबसे पहले जो कहा है कि पांच साल में करेंगे, हमारा प्रयास है कि एक ही साल में हमने शहरी क्षेत्र में 6 लाख 34 हजार 547 लोगों को जोड़ा है। ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख 19 हजार 173 लाभार्थियों को जोड़ा है। कुल 31 लाख 53 हजार 720 अभ्यर्थी एक वर्ष में जोड़े गये हैं। हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है आपके बांसवाड़ा में रूरल में लाभार्थियों की जो संख्या है 99.76 परसेंट, आपके बारां में हैं 97.35 प्रतिशत, आपके डूंगरपुर में 103.80 प्रतिशत, आपके झालावाड़ में 94.23 प्रतिशत, आपके प्रतापगढ़ में 96.11 प्रतिशत, आपके राजसमंद में 91.68 प्रतिशत, आपके सिरोही में 94.36 परसेंट, आपके टोंक में 98.21 प्रतिशत, उदयपुर में 82.73 प्रतिशत। इस तरह हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे और आपने जो चर्चा की है कि एक महीने की समयावधि है तो कोई भी आक्षेप, ऑनलाइन है सिस्टम, यदि वह आदमी ई-मित्र पर दोबारा नहीं जाएगा

(श्री रमेश चन्द मीना)

तो कौनसी तीस दिन की अवधि? यदि तीस दिन के अंदर में उसने एप्लाई किया है और उसका निस्तारण नहीं किया है तो हम इसकी समीक्षा करवा लेंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, स्पष्ट रूप से एक-एक शब्द मेरा क्लीयर है कि ये 1308 अपीलें ई-मित्रों पर आक्षेप के कारण लंबित हैं। जो खाद्य सुरक्षा में जुड़ने वाला पात्र व्यक्ति है, यदि वह स्वयं कम्प्यूटर चलाना जानता होता, कम्प्यूटर देखना जानता होता तो उसको ई-मित्र पर जाने की जरूरत हीं नहीं होती। वह खुद ही अपनी अपील कर लेता। ई-मित्र वाला जैसी शिकायतें ई-मित्रों की आ रही हैं, जैसी खबरें मीडिया में छप रही है, ई-मित्र वाले खाद्य सुरक्षा का फार्म जमा करने के लिए जो निर्धारित राशि है, उससे डबल राशि लेते हैं और उस संबंधित व्यक्ति को सूचना भी नहीं देते हैं कि आपके पास क्या आक्षेप लगा हुआ है, इसके निस्तारण के लिए आप आइए। ऐसी स्थिति में क्या वह सालों तक इंतजार करेगा कि हमारे पास कोई मैसेज आएगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इनका सीधा प्रश्न है कि ई-मित्र का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसका तीस दिन में डिस्पोजल नहीं होने से, जो ई-मित्र में एप्लीकेंट हैं, वे आदमी इससे लाभान्वित नहीं होते हैं। क्या सरकार ई-मित्र में जो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, उसका तीस दिन में आक्षेप निपटाकर सूचना देने की व्यवस्था करेगी?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मेरा निवेदन है कि जैसे ऑनलाइन आक्षेपों को उस पर छोड़ देता है कि ये समावेशन दस्तावेज आपके अधूरे हैं, जो प्रार्थी है जिसने अपील की है, वो समावेशन के दस्तावेज तुरंत जमा करा दे तो निस्तारण हो जाएगा। यदि उसके बाद भी ई-मित्र वाला गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बात समझिए। गांव का आदमी कम्प्यूटर को नहीं जानता। ई-मित्र पर रजिस्ट्रेशन करना नहीं जानता है। उस आदमी को ई-मित्र वाला यदि फार्म ही नहीं दे रहा है तो वह डिप्राइव हो जाएगा। मेरा निवेदन यह है कि आईटी की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है परंतु इस देश में ऐसे बहुत-से आदमी हैं जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ई-मित्र के ऊपर यह छोड़ दिया जाए तो वह चाहेगा जब

(श्री अध्यक्ष)

एप्लीकेशन देगा। ई-मित्र पर छोड़ दिया जाए और आक्षेप के संबंध में उसको सूचना नहीं दें तो दोनों ही कंडीशन में वह आदमी इससे वंचित रह जाता है। क्या सरकार आईटी के अलावा भी इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कोई डायरेक्शन देगी?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास एसडीएम है, डीएसओ है, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। यदि कलक्टर चाहे तो एसीएम और एसीओ के द्वारा भी नाम जुड़वा सकते हैं। यह भी सैकण्ड प्रोविजन है हमारे पास।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(12.00 बजे)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

लक्ष्मीचन्द, श्री, पूर्व सदस्य

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री लक्ष्मीचन्द के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व विधायक श्री लक्ष्मीचन्द का जन्म वर्ष 1927 में कोटा जिले के अयाना ग्राम में हुआ। आपने मिडिल स्कूल इटावा से मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री लक्ष्मीचन्द तीसरी राजस्थान विधान सभा में पीपल्दा निर्वाचन क्षेत्र से जनसंघ के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

समाज सेवा के प्रति समर्पित रहे श्री लक्ष्मीचन्द अपने सार्वजनिक जीवन में दो बार ग्राम पंचायत अयाना के सरपंच तथा पंचायत समिति इटावा के उप प्रधान रहे।

श्री लक्ष्मीचन्द का दिनांक 16 फरवरी, 2020 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनंतर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं के सामोद स्थित वीर हनुमान मंदिर में रोप-वे को सरकार द्वारा बंद किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध।

(2) श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम पंचायत भगुनगर में दिनांक 13.02.2020 को गरीब पट्टाधारकों को प्रशासन द्वारा अवैधानिक तरीके से हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री सुभाष पूनियां, सदस्य की ओर से दिनांक 15 फरवरी, 2020 को विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पचेरीकलां-सहड़ से कानसिंहपुरा तक सड़क निर्माण के शिलान्यास समारोह में स्थानीय विधायक को आमंत्रण नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली के कतिपय गांवों में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के श्री विजय नगर कस्बे की रामदास कालोनी में गन्दे पानी की निकासी न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से प्रदेश में कथित तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण से छेड़खानी किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से देवास प्रथम अलसीगढ़ डैम का गेट खराब होने से व्यर्थ बह रहे पानी के संबंध में।

(8) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा बाल

(श्री अध्यक्ष)

श्रम को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से मुम्बई-दिल्ली राजमार्ग के लिए बून्दी जिले में अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा किसानों को नई कृषि नीति के अन्तर्गत नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से सिरोही ज़िले के घरर में शिक्षाकर्मी नानाराम गरासिया द्वारा आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से अजमेर से नागौर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 तक के अधूरे पड़े कार्य को लंबी अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में हो रहे स्टेट हाई वे संख्या-63 के निर्माण में बरती जा रही लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश में कथित तौर पर खान विभाग की मिलीभगत से फेल्सपार खनिज को अवैध रूप से राज्य के बाहर ले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में विद्यालयों के भवनों की हालत बहुत खराब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा पिछले 14 महीनों में की गई जन कल्याणकारी योजनाओं में कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(16) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत के पहाड़ी क्षेत्र में पुलिया व रपट न होने से बरसात के मौसम में स्थानीय निवासियों को होने वाली परेशानी के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(17) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से सिद्धमुख नहर का 'A' ग्रुप बन्द होने से किसानों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(18) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा शहर के नेहरू काम्प्लैक्स स्थित मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान का संचालन होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(19) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से सीकर ज़िले की धोद तहसील के दादिया थाना क्षेत्र में अभियोग संख्या 84/2020 में किरण की दहेज के लिए हत्या किए जाने के तीन दिन बाद भी पोस्टमार्टम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती शोभा चौहान, श्री बलवान पूनियां, श्री गोपाल लाल शर्मा एवं श्री बिहारीलाल को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में जाखड़ी गांव के पास बरसाती नदी के रपट के क्षतिग्रस्त होने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(2) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से खेतों में पानी के लिए निर्मित डिग्गियों का भुगतान नहीं किए जाने से किसानों को हो रही आर्थिक हानि के संबंध में।

(3) श्री कन्हैयालाल, सदस्य की ओर से टोंक ज़िले के पुलिस थाना मेहन्दवास में पुलिस कांस्टेबल मुकेश चौधरी के हत्यारों को गिरफ्तार किए जाने के संबंध में।

(4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के कालीबंगा की हड़प्पाकालीन सभ्यता को यूनेस्को से जुड़वाने हेतु राज्य सरकर द्वारा सहयोग किए जाने के संबंध में।

(5) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से कोटा ज़िले से निकलने

(श्री अध्यक्ष)

वाली नदियों से निकलकर आबादी क्षेत्रों में आने वाले मगरमच्छों को घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में शिफ्ट करने के संबंध में।

(6) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से नागौर शहर में हवाई पट्टी के सामने अवैध रूप से बहुमंजिला इमारत का निर्माण करवाये जाने से हो रही परेशानी के संबंध में।

(7) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से रणथंभौर राष्ट्रीय वन अभयारण्य में हो रहे बाघों के शिकार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर की बकानी पंचायत समिति की अगरिया व खुशलपुरा पंचायत में पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(9) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में ऊंट वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम 2015 लागू होने से ऊंट पालकों पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव के संबंध में।

(10) श्री जगदीश चन्द्र, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की ग्राम पंचायत लालगढ़ में रक्षा विभाग के लिए प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर बढ़ाये जाने के संबंध में।

(11) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में बारिश से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कतिपय सड़कों की शीघ्र मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(12) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन में कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण न करवाये जाने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(13) श्री हीराराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के कस्बा बिलाड़ा तथा पीपाड़ उपखण्ड में नियमित ए.डी.जे. कोर्ट खोले जाने के संबंध में।

(14) श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से बीकानेर में 150 करोड़ रुपये की लागत से केन्द्र सरकार द्वारा तैयार सुपरस्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण न किए जाने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(15) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से प्रदेश में जनजाति क्षेत्रीय विकास के बजट को विभागीय अधिकारियों द्वारा अन्य कार्यों में लगाए जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 18 फरवरी, 2020 को शून्यकाल में बोलने हेतु 34 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:

(1) श्री छगनसिंह, निर्माणाधीन कालेज एवं निर्माणाधीन निष्क्रमणीय पशुपालकों के बच्चों के स्कूल का कार्य बंद होने के संबंध में।

(2) श्री जोराराम कुमावत, विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के नेतरा निवासी मनोहर पुत्र प्रकाश सिंह राजपुरोहित के फालना में गुम होने की स्थिति के संबंध में।

(3) श्रीमती शकुन्तला रावत, बानसूर विधान सभा में A.C.J.M कोर्ट खोलने जाने के संबंध में।

(4) श्री गोपीचन्द मीणा (आसपुर), सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व अन्य मद के स्वीकृत कार्यों को चालू नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्रीमती शोभा चौहान।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सोजत में पुलिया व रपट न होने से बरसात के मौसम में परेशानी

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुढ़ा बीजा की ओर दिलाना चाहती हूं। यह पंचायत मगरा विकास क्षेत्र के अधीन आती है। पंचायत मुख्यालय के पूर्व दिशा और दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर बसे गांव के बीच नदियां बहती हैं। वर्षा ऋतु में जब बारिश अधिक होती है तो गांव एक टापू में तब्दील हो जाता है। पंचायत मुख्यालय से इनका कनेक्शन कट जाता है, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते। कभी-कभी तो बारिश की ऋतु में पंचायत मुख्यालय पर भी लोग नहीं पहुंच सकते हैं। मैं यह चाहती

(श्रीमती शोभा चौहान)

हूं कि नदी खारी पाट के रास्ते पर पुलिया का निर्माण हो और आमलेश्वर नाड़ी रास्ते पर पुलिया निर्माण हो। ये सभी पुलिया और सूकड़ी नदी पर पड़ते हैं। एक बार तो खारी पाट नदी में बच्चा भी बह गया था तथा इसे बचाने जो व्यक्ति गया, वह भी बह गया। हर बारिश के मौसम में सूकड़ी नदी और खारी नदी में पानी जब अधिक आता है तो कई दिनों तक सालरमाला, पोखरिया नाड़ी, गजनई आदि गांव का पंचायत मुख्यालय से कनेक्शन कट जाता है। ऐसे ही मेरे भादरवा, डूंडा, लाम्बूड़ी में भी पुलिया निर्माण की जरूरत है। इसी मगरा क्षेत्र में आम पंचायत गुढ़ा कलां में, गुढ़ा श्यामा से धारेश्वर महादेव जाने वाले रास्ते पर सूकड़ी नदी बीच में आती है और इस पर भी पुलिया निर्माण किया जाए।

धारेश्वर महादेव मगरा क्षेत्र का पर्यटक स्थल है। हर वर्ष श्रावण मास में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जब नदी में पानी अधिक आता है तो श्रद्धालु कई घण्टे तक फंसे रहते हैं। इसमें पहले भी 4 लोगों की मौत हो चुकी है। चाहे तो सरकार कलक्टर से आंकड़े मंगवा सकती है। इन लोगों की लाश 4 दिन तक नहीं मिली। फिर एन.डी.आर.एफ. की टीम आई और इन लाशों को निकलवाया गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): भविष्य में ऐसा नहीं हो, इसलिये नदियों पर पुल शीघ्रातिशीघ्र करवाने का प्रयास कराएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवान पूनियां।

सिद्धमुख नहर का 'ए' ग्रुप बंद होने से किसानों को असुविधा

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा में सिद्धमुख नहर, जो किसानों के लिये जीवनदायिनी है, उसमें आज 'सी' ग्रुप की नहरें चल रही हैं। उसके बाद 'ए' ग्रुप शुरू होना है। उसमें 15 दिन का गैप दे दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चने की फसल में आज के दिन पानी चाहिये। हमारे चीफ इंजीनियर ने हरियाणा और पंजाब को इन्डेंट भी 900 क्यूसेक्स का दिया है लेकिन हरियाणा और पंजाब की गलती की वजह से हमारे किसानों की फसल तबाह हो जाएगी। हम राज्य सरकार से चाहते हैं कि वह फौरन हमारे हिस्से का पानी ले और जो 'सी' ग्रुप अभी चल रहा है, इसके

(श्री बलवान पूनियां)

बाद वापस 'ए' ग्रुप को चलाने का काम करें, ताकि हमारे इलाके की फसल बच जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा-सा ध्यान आपका आकर्षित कराना चाहूंगा। मेरे पास पिछले 15 दिनों में चली हुई नहर के आंकड़े हैं, जो हमारा हिस्सा तय है, उसके मुताबिक कभी हरियाणा व पंजाब ने पानी नहीं दिया। हमेशा फ्लक्चुएशन आये हैं। कभी साढ़े चार सौ, कभी साढ़े तीन सौ, कभी सौ-सौ क्यूसेक्स का फ्लक्चुएशन आया जिससे हमारी वितरिकाएं पिट जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब जो 'ए' ग्रुप चलेगा उसमें छह वितरिकाएं और दर्जनों गांव हैं। किसानों की सैकड़ों, हजारों बीघा जमीन, जिसमें चने की फसल है, गेहूं की फसल है, वह फसल बच जायेगी, किसान बच जायेगा। इसलिये मेरा सरकार से आपके मार्फत निवेदन है कि हमारे हिस्से का जो इन्डेंट दिया हुआ है, उसके मुताबिक 'ए' ग्रुप को लगातार चला करके किसान को फायदा दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल लाल शर्मा।

भीलवाड़ा में मंदिर के पास शराब की दुकान का संचालन

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया एवं संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

आपके माध्यम से मैं भीलवाड़ा शहर की ज्वलंत और लोक हित की समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भीलवाड़ा एक टैक्सटाइल और धार्मिक नगरी है। यहां पर रोडवेज बस स्टैण्ड के सामने नेहरू काम्प्लेक्स में शराब की दुकानें संचालित हैं। इसके चारों ओर हरी सेवा धाम, देश का प्रसिद्ध महामंडलेश्वर मंदिर है। इसके पास ही 50 मीटर पर श्रीनाथजी का मंदिर और 100 मीटर पर गणेशजी का भीलवाड़ा का प्रसिद्ध मन्दिर और रोडवेज डिपो के सामने माताजी का मन्दिर है।

इतना ही नहीं, इसके सौ मीटर के अन्दर दो हायर सैकण्डरी स्कूल हैं। आबकारी विभाग ने इन सब नियमों को ताक पर रखते हुए इन स्थानों के बीच शराब की तीन दुकानें आबंटित कर दी हैं। इस वजह से मन्दिर में आने

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

वाले लोगों व स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों को इन शराब की दुकानों के सामने होकर निकलना पड़ता है। शहर में इस बात को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। बार-बार शिकायतें की जा चुकी हैं, परन्तु आबकारी विभाग अपनी हठधर्मिता के चलते कुछ सुनने को तैयार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जन हित में नियमों के अनुसार शराब की उक्त तीनों दुकानें बंद कराने की कार्यवाही कर जनता को लाभान्वित करें। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस विषय पर चर्चा कराई जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बिहारीलाल (अनुपस्थित)।

295, श्री नारायण सिंह देवल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

रानीवाड़ा में जाखड़ी गांव के पास बरसाती नदी की क्षतिग्रस्त रपट

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के उपखण्ड मुख्यालय को गुजरात से जोड़ने वाली ग्रामीण एवं अन्तरराज्यीय सड़क रानीवाड़ा-जाखड़ी-रतनपुर-धानोल-भवरिया-धामसीन गुजरात सीमा तक करीब 18 किलोमीटर लम्बी एक महत्वपूर्ण सड़क है। इस सड़क पर जाखड़ी गांव से पहले एक बरसाती नदी है जो वर्षा के दिनों में चलती है। सड़क पर रपट बनी हुई है, जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त स्थिति में है। उक्त नदी में वर्षा के बाद भी लगभग 3-4 महीनों तक पानी रहता है, जिससे स्कूल आने-जाने वाले विद्यार्थियों, ग्रामीणों एवं मरीजों को भी काफी परेशानी होती है।

अत: मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त सड़क पर शीघ्रातिशीघ्र पुल निर्माण करने की स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें, ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल।

डिग्गियों का भुगतान नहीं किये जाने से किसानों को आर्थिक हानि

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में खेतों में किसानों की बनी हुई पानी की डिग्गियों का सालों से भुगतान नहीं हो रहा है जिससे किसानों के सामने भारी आर्थिक परेशानी उत्पन्न हो रही है। इसलिये मेरा सरकार से आग्रह है कि जिन किसानों ने डिग्गियों का निर्माण कर लिया है उनका बकाया भुगतान शीघ्र किया जाए और डिग्गी निर्माण पर नहरी क्षेत्र की तर्ज पर बारानी क्षेत्र में भी कच्ची डिग्गी के निर्माण पर किसानों को एक लाख रुपये एवं पक्की डिग्गी पर तीन लाख रुपये का अनुदान जारी किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कन्हैयालाल।

मेहन्दवास पुलिस थाना में पुलिस कांस्टेबल मुकेश चौधरी के हत्यारों की गिरफ्तारी

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि टोंक जिले के पुलिस थाना मेहन्दवास में दर्ज मुकदमा संख्या 146/2019, दिनांक 26.07.2019 को पुलिस थाना मेहन्दवास से महज 500 मीटर की दूरी पर दिन के उजाले में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुलिस विभाग के कांस्टेबल मुकेश चौधरी पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी गई। मैं पुलिस प्रशासन व पुलिस विभाग के अधिकारियों की घोर निन्दा करता हूं कि अपने विभाग के एक कांस्टेबल की दिनदहाड़े हत्या कर देने के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। जब पुलिस विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की तो मजबूरन परिजनों एवं आक्रोशित जनता को दिनांक 10.08.2019 को जिला कलक्टर टोंक के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को ज्ञापन देना पड़ा। ज्ञापन देने के बाद भी पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय श्रीमान सचिन पायलट महोदय को दो बार, दिनांक 14.08.2019 तथा 16.09.2019 को ज्ञापन दिया गया परन्तु किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करवाई गई। फिर भी पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तो परिजनों व सर्व समाज को दिनांक 16.09.2019 को आमरण

(श्री कन्हैया लाल)

अनशन पर बैठना पड़ा। तत्पश्चात् 18.09.2019 को जिला प्रशासन एवं विभाग के आला अधिकारियों ने आमरण अनशन एवं धरना स्थल पर पहुंचकर आश्वस्त किया कि 30 दिन में आपको न्याय दे दिया जायेगा। इस आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया परन्तु आज दिनांक तक भी उक्त मुकदमे में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अत: मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि मुकेश कांस्टेबल के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाये, ताकि मृतक के परिजनों को न्याय मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मेन्द्र कुमार।

पीलीबंगा के कालीबंगा की हड़प्पाकालीन सभ्यता को यूनेस्को से मान्यता

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि कालीबंगा मेरे निर्वाचन क्षेत्र पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ में है जहां 5000 साल पुरानी हड़प्पाकालीन सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता मिली है, जिसमें कभी सरस्वती नदी थी, इसकी दूसरी ओर हड़प्पाकाल से पूर्व भी एक सभ्यता और होने के संकेत मिले हैं।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी सभ्यता विश्व में दो स्थानों में है। एक पाकिस्तान में, दूसरा भारत में राजस्थान के कालीबंगा व पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ में, पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता की यूनेस्को की देख-रेख में खोज चल रही है। कालीबंगा को भी राजस्थान सरकार यूनेस्को से जुड़वाने में सहयोग करे तो कालीबंगा विश्व में पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा।

अध्यक्ष महोदय, बीसवीं सदी के प्रारम्भ में ब्रिटिश शासन द्वारा इस क्षेत्र में रेल पथ का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। रेलवे लाइन को सामान्य भूमि से ऊंचा रखने के लिये कर्मचारियों को यहां से मिट्टी को उठाने के कार्य में लगाया गया तो यहां स्थित बेहड़ से भारी मात्रा में मिट्टी के पात्रों के टुकड़े निकलने लगे हैं। इस पर ब्रिटिश सरकार के इंजीनियर की नजर पड़ी तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अवगत करवाया, तब तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इसे पुरातत्व स्थल मानते हुए मिट्टी उठाने का कार्य बंद कर दिया। इस तरह कालीबंगा पुरातत्व स्थल सरकार की दृष्टि में आया। स्वाधीनता के बाद

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

कालीबंगा का उत्खनन के लिए चयन हुआ और वर्ष 1961 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया के संयुक्त निदेशक डा. बी.बी. लाल व डा. बी.के. थापर के निर्देशन में कालीबंगा का उत्खनन प्रारम्भ हुआ। यह दोनों शोध के लिए चले जाने पर कार्य रुक गया।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि कालीबंगा पुरातत्व स्थल पर उत्खनन का कार्य प्रारम्भ करवाया जाए। इसे यूनेस्को से जुड़वाने से हनुमानगढ़ जिले को सीधा बजट पर्यटन विकास व कालीबंगा के लिए हर वर्ष मिलेगा। क्या सरकार कालीबंगा विकास व उत्खनन व यूनेस्को से जुड़वाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों नहीं? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीना। (अनुपस्थित)

श्री नारायण बेनीवाल।

नागौर में हवाई पट्टी के सामने अवैध रूप से बहुमंजिला इमारत का निर्माण

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295, विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत नागौर शहर में स्थित हवाई पट्टी के सामने अवैध रूप से बनाई गई बहुमंजिला इमारत से चार्टर प्लेन, हेलिकाप्टर आदि टेक आफ, लैंड करने में आ रही बाधा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, उपरोक्त विषय में सादर अनुरोध है कि नागौर जिला मुख्यालय पर बीकानेर रोड पर स्थित हवाई पट्टी के सामने नगरपालिका की सांठगांठ से बनाई गई बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत के कारण समय-समय पर चार्टर प्लेन तथा हेलिकाप्टर के टेक आफ करने व लैंड करने में बाधा उत्पन्न होती है। हाल ही में एक राज्यपाल महोदय के चार्टर प्लेन के टेक आफ करने में भी गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। साथ ही, वर्तमान राष्ट्रपति महोदय जब बिहार के राज्यपाल थे, तब उनके नागौर आगमन पर भी यह बिल्डिंग उनके चार्टर प्लेन के लैंड करने में बाधा बनी थी। सरकार को तत्काल प्रभाव से ए.जी. की सलाह लेकर बिल्डिंग को ध्वस्त करने की आवश्यकता है ताकि हवाई दुर्घटना घटित नहीं हो।

(श्री नारायण बेनीवाल)

अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करता हूं कि जन हित के उक्त महत्वपूर्ण विषय पर कार्रवाई करवाकर समस्या का निस्तारण कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

रणथंभौर राष्ट्रीय वन अभयारण्य में बाघों का शिकार

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत प्रदेश के बाघों के लिए संरक्षित रणथंभौर राष्ट्रीय वन अभयारण्य में भारी संख्या में बाघों के शिकार होने तथा गायब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि देश के राष्ट्रीय पशु कहे जाने वाले तथा विश्व स्तर पर संरक्षित किए जाने वाले बाघ के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता इस बात से ही प्रकट की जा सकती है कि जहां एक बाघ के साथ अनहोनी की घटनाएं चिंता का सबब बन जाती हैं, वहां एक वर्ष में लगभग 26 बाघों के गायब होने का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। गायब चल रहे बाघों को लेकर न तो किसी प्रकार की जांच पड़ताल हुई है और न ही अफसरों की कोई जिम्मेदारी तय हुई है जबकि रणथंभौर में खुलेआम बंदूकधारी शिकारी सामने भी आ चुके हैं जो बाघों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करते हैं। वही दूसरी ओर वन विभाग की हालत से यह जान पड़ता है कि मानो केवल पर्यटन की दृष्टि से जुड़े हित ही साधे गए हैं तथा पर्यटन को व्यवस्थित करने के लिए ही अफसरों की पोस्टिंग और कार्यकाल तय किए जाते हैं।

अभी हाल ही में रणथंभौर से निकली मिसिंग टाइगर रिपोर्ट के बाद भी वन विभाग चुप्पी साधे हुए है। चीतल के शिकार के मामले में भी तब हरकत में आया जब मुख्य मंत्री तक यह मसला पहुंचा फिर भी रणथंभौर में जहां बाघों के गायब होने पर सब चुप हैं। गौरतलब है कि सरिस्का में यदि एक भी बाघ प्राकृतिक मौत से भी मरता है तो बवाल खड़ा हो जाता है जबकि रणथंभौर राष्ट्रीय वन अभयारण्य में आए दिन बाघों के बाहर निकलने की घटनाएं भी घटित हो रही हैं। इसके बावजूद न तो सरिस्का आदि जगह बाघ भेजे जा रहे हैं और न ही बाघों के लिए जंगल का दायरा बढ़ाया जा रहा है

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

इसलिए बाहर घूम रहे बाघ या तो हताहत हो रहे हैं या फिर लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के साथ ही अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विशेष कार्य योजना तैयार कर इस विषय पर वन विभाग को उचित दिशा निर्देश प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र नागर।

खानपुर की आगरिया व खुशलपुरा पंचायत में पेयजल की उपलब्धता

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295, विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से बकानी पंचायत समिति की आगरिया एवं खुशलपुरा पंचायत में पानी उपलब्ध कराने के संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बकानी तहसील की ग्राम पंचायत आगरिया एवं खुशलपुरा के लगभग सभी गांवों में सबसे ज्यादा पीने के पानी की समस्या रहती है जबकि बकानी तहसील की बाकी सभी ग्राम पंचायतों के लगभग सभी गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था छापी पेयजल योजना के माध्यम से उपलब्ध है। पूरी बकानी तहसील को छापी पेयजल के तीन भागों में योजना बनाकर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। दो फेज का काम पूरा होने के बाद 3 फेज, जिसके माध्यम से आगरिया एवं खुशलपुरा पंचायत में सभी गांवों में पेयजल लगभग उपलब्ध कराया जाना था लेकिन सरकार के द्वारा इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिससे गर्मी में पीने के पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा 2024 तक घर-घर पानी पहुंचाने की योजना से उन्हें पुनः आस जगी है। अतः निवेदन है कि आने वाले समय में छापी, बकानी 3 फेज की योजना को स्वीकृति दिलवाकर सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीरसिंह।

ऊंट वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम, 2015 लागू होने से ऊंट पालकों पर विपरीत प्रभाव

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री खुशवीरसिंह)

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295, विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत ऊंट वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम, 2015 से उत्पन्न विपरीत स्थिति के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, निवेदन है कि ऊंट आदि काल से ही हमारी संस्कृति, आजीविका, परिवहन व सामरिक दृष्टि से अभिन्न अंग रहा है। प्रेम और वात्सल्य का भी प्रतीक रहा है। ढोला मारवण, महेन्द्र मूमल की कल्पना ऊंट बिना अधूरी है। हमारे गीतों में भी म्हारो गोरबंध नखरालो गाया जाता है। ऊंट की देश में कई नस्लें बीकानेरी, जैसलमेरी, सांचौरी, गोडवाडी, कच्छी, मालवी इत्यादि है। मशीनी युग में ऊंट की महत्ता के साथ-साथ चराई हेतु जोहड़, बीहड़, वनस्पति घटने से ऊंट पालन घाटे का व्यवसाय हो गया। ऊंट को राज्य पशु घोषित कर उपरोक्त अधिनियम में निर्यात पर रोक लगाने से ऊंटों की कीमत 30-40 हजार रुपये से घट कर 500-1000 रुपये रह गई है। ऐसे में ऊंट पालकों ने ऊंटों को छोड़ दिया। इनकी संख्या 1950 में 10 लाख थी जो 2012 में 3 लाख और 2019 में घटकर 1.5 लाख रह गयी। मेरे गांव जोजावर में 1990 में इनकी संख्या 5 हजार थी जो अब 200 रह गयी। पड़ौसी राज्यों में निर्यात में छूट होने से ऊंटों की कीमत एक लाख रुपये तक है इसलिए यहां भी निर्यात में छूट प्रदान कर अनुदान राशि 10 से बढ़ाकर 30 हजार कर समय पर भुगतान किया जाए।

ऊंटनी का दूध औषधीय गुणों से परिपूर्ण एवं मधुमेह, कैंसर, किडनी व मंदबुद्धि बच्चों के लिए कारगर है। इस पर प्रमाणित शोध भी हो चुके हैं। इसके दूध की चीज सबसे महंगी बिकती है। दूध पाउडर की भी विदेशों में भारी मांग है। इस हेतु भीलवाड़ा में डेयरी प्रसंस्करण इकाई लगाने से प्रतिदिन 5 हजार लीटर दूध उपलब्ध हो सकता है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश चन्द्र।

सादुलशहर की ग्राम पंचायत लालगढ़ में रक्षा विभाग के लिए अधिग्रहीत भूमि की डी.एल.सी. दर

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295, विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर

(श्री जगदीश चन्द्र)

की ग्राम पंचायत लालगढ़ की पांच चकों में राज्य सरकार द्वारा रक्षा विभाग के आयुध भंडारण प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन (अधिसूचना राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-9) विभाग, क्रमांक प.30(2) गृह-9/2018, जयपुर, दिनांक 7.12.2019 प्रस्तावित है। इस संबंध में यह निवेदन है कि क्षेत्र में डी.एल.सी. की दरें बहुत कम हैं और क्षेत्र में आमजन का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन खेती है। किसानों की आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों की जमीन का अधिग्रहण बाजार मूल्य पर किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहरथाना में बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कें

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295, विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना की मैं बात करता हूं तो अत्यधिक बारिश के कारण सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र में अनेक सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ सड़कों को बाढ़ राहत के तहत पेचवर्क करने हेतु दी गई थीं लेकिन पेचवर्क का कार्य जिस-जिस ठेकेदार द्वारा किया गया है जो नाम मात्र का किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि सिर्फ पेचवर्क का कार्य ठेकेदारों द्वारा कागजों में ही पूर्ण किया है जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि वाहनों व राहगीरों को चलने में बड़ी ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है जिससे आए दिन एक्सीडेंट होने का डर बना रहता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में जर्जर सड़कों से अवगत कराना चाहता हूं जो इस प्रकार हैं-

1. एन.एच. 52 से बांसखेड़ी लोढ़ान तक, 2. ल्हास तिराहे से लसुड़ियाशाह तक, 3. घाटोली से चुरेलिया तक, 4. बोरखेड़ी तिराहा से घाटोली तक, 5. पिपलिया चौराहा से बड़बद वाया हरनावदा तक, 6. जावर चौराहा से अखेपुर गांव तक, 7. गुराड़ी चौराहा से बामलाबेह तक, 8. असनावर से टांडी सोहनपुरा वाया साल की डूंगरी तक, 9. खांडिया मिल चौराहा से गादिया मेहर तक, 10. कोलूखेड़ी तिराहा से पाडलिया तक, 11. ग्राम थमारी, सरखंडिया, मूंजखेड़ा, बिसलाई, रूपाहैडा, 12. मेन रोड से मदनपुरा तक, 13. खाताखेड़ी से जयश्री मोग्याबेह तक, 14. गरबोलिया से पहाड़पुरा तक, 15. चांदपुरा से

(श्री गोविन्द प्रसाद)

गोघड़ी तक, 16. दो खुपी रोड से नेस चरनान व गुराड़खेड़ा तक, 17. सरड़ा से कोहड़ीझर तक, 18. बिनागंज रोड से मानपुरा बलराम तक, 19. लोधीपुरा से टुंडाखेड़ा तक, 20. हताईखेड़ा से जूनापानी तक, 21. मैन रोड से बागवाला गांव तक, 22. मैन रोड से गजवाड़ा तक एन.एच.-52 से बाकड़ तक, 23. एस.एच. 36 से धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी तक, 24. गेहूं खेड़ी मेन रोड से देवली तक एवं 25. एन.एच.-52 से बाकड़ तक।

अत: इस महत्वपूर्ण समस्या के निराकरण की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन की क्षतिग्रस्त सड़कें

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के माध्यम से स्वीकृत क्षतिग्रस्त सड़कों के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयातंर्गत निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की स्वीकृतियां वर्ष 2016-17 व 2017-18 में की गयी थीं। क्षतिग्रस्त नॉन पेचेबल सड़कें आर आई डी एफ मद 22, 23 व 24 में स्वीकृत की गई थीं। ग्रामीण गौरव पथ सड़कों की स्वीकृति जारी की गई। मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृति जारी की गई है। सरकार ने टेंडर करके ठेकेदारों को वर्क आर्डर जारी कर दिए। ठेकेदारों ने कार्य आरम्भ कर दिए। सड़कों से पुराने डामर को हटाकर गिट्टी बिछाने का काम पूर्ण कर दिया, लेकिन विधान सभा के चुनाव होने तक सड़क निर्माण का कार्य रोक दिया गया है।

वर्तमान सरकार बनने के बाद सभी स्वीकृत सड़कों के कार्यों को रोक दिया गया। लगभग एक वर्ष से सड़कों के निर्माण कार्य रुके हुए हैं। सड़कों पर चलने वाले पैदल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षतिग्रस्त सड़कों पर वाहनों के चलने से मिट्टी के गुबार उड़ते रहते हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पर्यावरण दूषित हो रहा है। सड़कों के किनारे वाली किसानों की फसलें-वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं। कपासन से भाडसौडा वाया गुमानपुरा सड़क, बारू से रूद सड़क लसाडिया कलां सम्पर्क

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

पावली से नारायणपुरा सड़क, इनके अलावा भी कई सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। अतः सभी क्षतिग्रस्त सड़कों का कार्य अविलम्ब चालू करवाकर जनता को राहत दिलवाने का कष्ट कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: हीराराम।

बिलाड़ा एडीजे कोर्ट का नियमन एवं पीपाड़ शहर उपखंड में नये एडीजे कोर्ट की स्थापना

श्री हीराराम (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अंतर्गत बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कस्बा बिलाड़ा एडीजे कोर्ट को नियमित करने एवं पीपाड़ शहर उपखंड में नए एडीजे कोर्ट स्थापित करने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, सादर निवेदन है कि बिलाड़ा में दिनांक 19.12.2016 से एडीजे कैंप कोर्ट चल रहा है, जिसमें वर्तमान में 700 से ज्यादा सैशन केस, अपील रिवीजन लंबित हैं, लेकिन वर्तमान में एडीजे कोर्ट बिलाड़ा उपखंड क्षेत्र के सैशन केसेस का मूल क्षेत्राधिकार नहीं मिला है, जिसकी वजह से पक्षकारों को पारिवारिक न्यायालय एनडीपीएस मुकदमा, एमएससीटी मुकदमा, पास्को एक्ट के मामलों में जोधपुर जाना पड़ता है, जिसमें पक्षकारों को भारी आर्थिक व समय की हानि होती है। बिलाड़ा बाई पास पर न्यायालय हेतु 15 बीघा भूमि का आबंटन हो चुका है। ऐसे में पक्षकारों को सुलभ न्याय हेतु एडीजे कोर्ट बिलाड़ा को नियमित करना आवश्यक है।

साथ ही विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा का कस्बा पीपाड़ शहर माननीय मुख्य मंत्री महोदय का दूसरा घर है। पीपाड़ उपखंड में वर्तमान में जेएम व एसीजेएम कोर्ट है जिसमें करीब 6 हजार प्रकरण विचाराधीन हैं। उक्त दोनों कोर्ट के क्षेत्राधिकार में 6 पुलिस थाने आते हैं व तीन उपखंड क्षेत्र पीपाड़, भोपालगढ़ एवं बावड़ी के गांवों के न्यायिक केन्द्र बिंदु हैं। इनका सुनवाई क्षेत्र वर्तमान में पीपाड़ शहर ही है। पीपाड़ न्यायालय परिसर में 5 बीघा जमीन है। वर्तमान में पीपाड़ कोर्ट से सैशन ट्रायल क्षेत्र जोधपुर कमिटल होते हैं।

अत: अध्यक्ष महोदय जी आम नागरिकों के हितों को देखते हुए बिलाड़ा में एडीजे कोर्ट नियमित करने एवं पीपाड़ शहर उपखंड में एडीजे कोर्ट नया स्थापित करने की कार्यवाही जल्द से जल्द कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुमित गोदारा।

बीकानेर के पी.बी.एम. अस्पताल में वर्ल्ड क्लास हैल्थ सेंटर की स्थापना

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि बीकानेर संभाग के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन सरदार पटेल मेडिकल कालेज के पीबीएम अस्पताल में केन्द्र सरकार द्वारा 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार है जिसमें नेफ्रोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी जैसे विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक (एम.सी.एच. व डी.एम. कार्यरत होकर आम गरीब, असहाय बीमार व्यक्ति को स्टेट आफ हार्ट फैसिलिटी, जो वहां तैयार है, उससे इलाज करेंगे। जहां पर इंडोर भर्ती मरीजों के लिए 150 बैड हैं। डायलिसिस व अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

बीकानेर सांसद केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री अर्जुनराम जी मेघवाल के अथक प्रयासों से वर्ल्ड क्लास हैल्थ सैंटर के रूप में आमजन के लिए एक वर्ष से बनकर तैयार है पर राज्य सरकार द्वारा इसे शुरू नहीं किया गया है, जबकि इस पर छ्ह से सात लाख रुपये का यहां मासिक बिजली का बिल आ रहा है क्योंकि जो आधुनिक मशीनें हैं, उन्हें चालू रखना पड़ता है।

सरकार राज्यपाल अभिभाषण में पृष्ठ संख्या 2, बिंदु संख्या 5 पर राइट टू हैल्थ की बात करती है और दूसरी तरफ राजनीतिक कारण से इस सेंटर को शुरू नहीं कर रही। बीकानेर संभाग का आमजन अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है। ''आपको देखा, आपके वादे देखे, ऊंची दीवार के लंबे साए''

अत: इस महत्वपूर्ण समस्या के निराकरण की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मनारायण जोशी।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति विकास मद का बजट अन्य कार्य में व्यय

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति विकास मद का बजट अन्य कार्यों में व्यय करने पर कार्यवाही के संबंध में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जनजाति वर्ग के उत्थान के लिये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का गठन किया हुआ है और इसी भावना के साथ विभाग को पृथक व पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन कतिपय विभागीय अधिकारियों ने जनजाति उत्थान का पैसा सरकारी डाक-बंगलों की मरम्मत, सर्किट हाउस, कलक्टरी में ए.सी. और वाई-फाई लगाने में खर्च कर दिया है। इस काम में जनजाति के उत्थान का बजट कैसे व्यय किया जा सकता है, यह विचारणीय विषय है।

मेरा आपसे निवेदन है कि पूरे प्रकरण की जांच हो और जिन अधिकारियों ने जनजाति विकास मद का पैसा अपने कार्यालय के साधन-सुविधाओं में व्यय करके अनाधिकार चेष्टा की है, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही हो और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर चर्चा। श्री छगनसिंह।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

निर्माणाधीन निष्क्रमणीय पशुपालकों के बच्चों के स्कूल व कालेज के बंद कार्य

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में निष्क्रमणीय पशुपालकों के लिये आवासीय छात्रावास और विद्यालय बना हुआ है, जो मात्र एक विद्यालय है। वहां पर छात्र क्षमता 280 की है। जो बिल्डिंग बन रही है, पूर्व में घोषणा के अनुसार बिल्डिंग बन रही थी, उसका काम बंद है, इसलिए उस छात्रावास के हाल में 480 छात्र रहते हैं जिससे सफोकेशन से बार-बार छात्र बीमार भी पड़ते हैं, जो पढ़ाई भी नहीं कर पाते। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सार्वजनिक निर्माण मंत्री और उप मुख्य मंत्रीजी विराजे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह निष्क्रमणीय आवासीय विद्यालय तुरंत शुरू करवाया जाए जिससे छात्र हित में बालक पढ़ सकें।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कालेज का निर्माण हो रहा है। मात्र एक कालेज है पूरे विधान सभा क्षेत्र में।

श्री अध्यक्ष: माननीय, जो प्रश्न है उसी पर बोलें आप।

श्री छगनसिंह (आहोर): दोनों हैं। जो कालेज निर्माण हो रहा है, उसका

(श्री छगनसिंह)

अभी काम बंद है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा बार-बार छात्रों ने एस.डी.एम. को ज्ञापन भी दिया है, मुझे भी ज्ञापन दिया है, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी को भी ज्ञापन दिया था। उच्च शिक्षा मंत्रीजी को मैंने एक बार अवगत भी कराया था तो उन्होंने एक बार तो काम शुरू करवाया लेकिन वह कालेज का निर्माण वापस बंद हो गया। उच्च शिक्षा मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्रीजी विराजे हुए हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस कालेज का निर्माण भी तुरंत प्रभाव से शुरू कराएं। वह कालेज एक छोटे-से छात्रावास में चल रहा है। वह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक छोटे-से छात्रावास में चल रहा है, वह भी पूरी जर्जर अवस्था में है। वहां बार-बार छत से सीमेंट गिरता रहता है जिससे छात्र कभी-कभार घायल भी हो जाते हैं। बारिश में पानी भी गिरता रहता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस कालेज का तुरंत निर्माण करके वहां पर शिफ्ट किया जाए। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: जोराराम कुमावत।

सुमेरपुर के युवक की फालना में गुमशुदगी

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के नेतरा ग्राम में मनोहर पुत्र प्रकाश सिंह राजपुरोहित, जो एक स्कूली छात्र है, प्रतिदिन की भांति 23.11.2016 को बस में नेतरा से बैठकर फालना एडूको कोचिंग क्लासेज में पढ़ाई करने गया। कोचिंग से क्लास खतम होने के बाद उसी बस में बैठकर नेतरा आना था, लेकिन बस में नहीं बैठकर फालना कस्बे में गुम हो गया। निश्चित समय पर घर नहीं आने से उनके पिताजी ने स्कूल में अध्यापकों, परिजनों और रिश्तेदारों से पूछताछ की तो उसका पता नहीं लगा। उन्होंने दिनांक 24.11.2016 को फालना थाने में मुकदमा नंबर 152 धारा 363 के तहत एफ आई आर दर्ज करायी। 30.12.2016 को प्रात: स्कूल के प्रांगण में एक चिट्ठी आयी जिसमें घर वालों से 25 लाख की फिरौती मांगी गयी। 17.01.2017 को शाम को 3.15 बजे विद्यालय के गेट पर पुन: एक चिट्ठी आयी जिसमें 25 लाख रुपये की फिरौती मांगी गयी और दूसरी चिट्ठी का इंतजार करने के लिये कहा गया। 17.01.2017 को शाम को 10.10 बजे विद्यालय के गेट पर पुन: एक चिट्ठी आयी और अपहरणकर्ता ने कहा कि

(श्री जोराराम कुमावत)

10.45 बजे ट्रेन आगरा फोर्ट के डिब्बा नंबर एस-2 सीट नंबर 5 के नीचे से चिट्ठी मिलेगी और मारवाड़ जंक्शन में उतरने का संदेश भी वहां मिलेगा। इस तरह से यह कुल 6 चिट्ठियां आई। 6 चिट्ठियां आने के बाद में पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस के सक्रिय होने के बाद में यह चिट्ठियां आना बंद हो गई। पुलिस जांच के साथ-साथ इस केस को दिनांक 26.11.2019 को सी.आई.डी. को भी सौंपा गया और सी.आई.डी. ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सी.आई.डी. के निर्देश पर टीम गठित कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पाली को जांच सौंपी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत गृह मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि 39 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है और सी.आई.डी. को जांच सौंपने के बाद भी इस मनोहर के माता-पिता को न्याय नहीं मिल रहा है तो गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस मामले में न्याय दिलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर में ए.सी.जे.एम. कोर्ट की स्थापना

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से मैं पर्ची पर अपनी मांग रखना चाहूंगी कि बानसूर विधान सभा क्षेत्र में लंबे समय से ए.सी.जे.एम. कोर्ट नहीं है क्योंकि मुंसिफ कोर्ट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश तीन कड़ी हैं जिसमें से बीच की कड़ी बानसूर में नहीं है। बानसूरवासियों को इसके लिए बहरोड़ जाना पड़ता है और बहरोड़ के लिए न ही कोई ट्रांसपोर्ट का साधन है। वहां से 20-25 किलोमीटर आलनपुर जाओ फिर वहां से 20-25 किलोमीटर बहरोड़ जाओ, तो इसके कारण जनता को बहुत परेशानी होती है। यहां के जो भी केसेज हैं, जैसे मिलावट के केस हैं, दो लाख से पांच लाख तक के जो भी केसेज हैं उनके लिए हमको बहरोड़ जाना पड़ता है, बाकी के यहां होते हैं तो आधा-आधा होने के कारण हमारे यहां पर हजारों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं।

मेरा अनुरोध है कि सारे जो फौजदारी मुक़दमे हैं वह सारे ए.सी.जे.एम. कोर्ट में जाते हैं तो हमें बहरोड़ जाना पड़ता है और जो सरकार ने मांगा था कि हाई कोर्ट से अभिशंसा भी आनी चाहिए, तो इसमें 2017 की हाई कोर्ट की अभिशंसा हम सरकार को भेज चुके हैं और जो भी यह केस पैंडिंग है इनके कारण बानसूरवासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है भवन

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

भी तैयार है जिससे सरकार को इसमें ज्यादा बजट भी आबंटित नहीं करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि बानसूर में जल्दी से जल्दी ए.सी.जे.एम. कोर्ट खोला जाए जिससे आम जनता को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर)।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग व अन्य मद के स्वीकृत कार्य

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने इस पर्ची पर बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस सदन में जो भी शब्द बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, यह सदन के बीच में भी कह रहा हूं और अध्यक्ष महोदय के सामने भी कह रहा हूं।

टी.ए.डी. विभाग से पूर्व में जितनी भी स्वीकृतियां निकली थीं, वे हमारी सारी स्वीकृतियां, काम मंत्री महोदय द्वारा रोक दिए गए हैं। मैं इसका उदाहरण दूंगा। गोविंद गुरु सामुदायिक भवन, हर पंचायत समिति स्तर पर स्वीकृतियां निकाली थीं, 48 लाख की, जो पंचायत समिति स्तर पर भवन बने जिसमें हर प्रकार के सामुदायिक कार्यक्रम हो सकें, वह सारी स्वीकृतियां आज की तारीख में रोकी हुई हैं और कुछ काम किए हैं वह भी रुके हुए पड़े हैं।

जितने मां-बाड़ी केन्द्र पूर्व में चालू थे उन मां-बाड़ी केन्द्र को भी निरस्त करके उन लोगों को भी बेघर कर दिया गया है। जितने विद्यालयों में कक्षा-कक्ष स्वीकृत थे, उनको भी टी.ए.डी. विभाग की ओर से रोक दिया। हास्टलों में बच्चों को पोशाक के लिए जो पैसा बैंक के खाते में ट्रांसफर किया जाता था वह रोककर इनके द्वारा टेंडर किए गए, जो भी बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है।

जितनी लिफ्ट स्वीकृत थी, सरकार जो काश्तकारों को सशक्त करने के लिए सोचती है, जिनके जीवनयापन करने के लिए पेयजल की जो व्यवस्था थी वह लिफ्ट भी जो जनजाति की सैंक्शन थी, उन सबको रोककर उनको निरस्त कर दिया गया है, उनको वापस सैंक्शन कराया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक-दो ऐसे काम हैं, जो एनीकट स्वीकृत थे जो मांडवा खापड़ा दातावाला एनीकट टी.ए.डी. मद से सैंक्शन था, नई सरकार बनते ही उस कार्य को निरस्त कर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि उस एनीकट

(श्री गोपीचंद मीणा)

की वापस स्वीकृति जारी करके उस काम को कराया जाए ताकि उस क्षेत्र के अंदर उन लोगों को सिंचाई का लाभ मिल सके। वह हमारा ट्राइबल बैल्ट है, पहाड़ों में पानी की व्यवस्था नहीं है, वह एनीकट बन जाए तो उस क्षेत्र के लोगों को सिंचाई की सुविधा मिल सकती है।

दूसरी बात मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे जनजाति कृषकों को कनेक्शन हेतु 10 हजार रुपये और 15 हजार रुपए में पेयजल की मोटर मिलती थी, 25 हजार रुपये उस बी.पी.एल. परिवार और जनजाति क्षेत्र के काश्तकारों को दिया जाता था, उस पर भी रोक लगा दी। 14 महीने हो गए, किसी को नहीं दिया गया है।

ग्रामीण इलाकों में हर साल पेयजल हेतु हैंडपंप की व्यवस्था थी। आज यहां हमारे जितने भी विधायक बैठे हैं, एस.सी., एस.टी. के हम लोग कम से कम 60 विधायक इस विधान सभा में हैं, इनके लिए भी टी.ए.डी. विभाग से हमको जो हैंडपम्प वगैरह मिलते थे, मंत्री महोदय द्वारा हमें एक भी हैंडपम्प के टूंटी की सैंक्शन आज तक नहीं दी गई। यहां सभी एम.एल.ए. आज उपस्थित हैं। मैं इनसे यह कहना चाहता हूं। इस बात को लेकर ट्राइबल्स के हम सारे एम.एल.ए. मुख्य मंत्री जी से मिले थे, जिन्होंने हमको आश्वस्त किया था कि आप लोगों को हैंडपम्प दिये जाएंगे, आप लोगों को कक्षा-कक्ष दिए जाएंगे, कहीं मिसिंग लिंक सड़कें देंगे, पुलिया देंगे, हमारे को सामुदायिक भवन देंगे, इस प्रकार से आश्वस्त किया था और मुख्य मंत्री महोदय ने कमिश्नर साहब को फोन करके कहा था लेकिन आज भी एक भी स्वीकृति हमारे विधायक की अनुशंसा के आधार पर हम लोगों को नहीं मिली।

मैं यह भी कहना चाहूंगा, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करा रहा हूं कि आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में, क्या इन्होंने हर विधान सभा में एक-एक, दो-दो करोड़ की सैंक्शन दी है लेकिन वह दलालों को दी और क्यों दी, वह मैं नहीं कह सकता हूं। यह बहुत बड़ी दुखदाई बात है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पर्ची पर हो गया। अब वाइंड-अप करें। जनरल डिबेट नहीं है।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारी वेदना बोल रही है हम जो बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर बोलें। मैं आपकी बात मान रहा हूं। आप पर्ची पर बोलें।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): यह पर्ची पर ही है।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर घंटे भर डिबेट नहीं होती है। अब बोल लिया आपने। एक घंटे थोड़े ही बोलना है, आप मांग पर थोड़े ही बोल रहे हैं।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): साहब, मुझे एक मिनट और बोलने का मौका दें।

आपको खुद को पता है कि बेणेश्वर धाम हमारे इस ट्राइबल बैल्ट में जनजाति का एक धार्मिक आस्था का केन्द्र है। वहां पर भी पिछले समय में संत मावजी महाराज के रूप में एक बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में और एक डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में, संत मावजी महाराज के नाम से दो गेट बनाने की स्वीकृति निकली थी, उसका भी आज तक कोई पता नहीं लगा। मैं चाहूंगा कि संत मावजी महाराज के नाम से दोनों जिले के नदी के ढाले पर दोनों गेट बनें।

और मैं चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के लिए, जनजाति के लिए जो पैसा आता है उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं हो। इन्होंने जो सारी स्वीकृतियां निकाली हैं वह सारी मिट्टी फेंकने का काम किया है, सीसी सड़कों का काम किया है। यह नहीं करके ठोस काम कराया जाए जिससे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके, बच्चों के लिए कक्षा-कक्ष बन सके, हॉस्टल्स में व्यवस्था हो सके और जहां आवश्यकता है वहां काम हो। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

जनजाति के लोगों को टी.ए.डी. मद से जितना बीज-खाद मिलता था, वह भी बंद कर दिया गया। वह काश्तकारों को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब हो गया, डिमांड पर नहीं है। माननीय सदस्य, हो गया, प्लीज।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): हमारे जितनी जनजाति परामर्शदात्री की बैठक होती थी वह 14 महीने में आज तक बैठक नहीं हुई है, वह बैठक हो जाए ताकि हमारे क्षेत्र के सभी विधायक अपनी-अपनी बात को उस मीटिंग में रख सकें। यही चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। 131 - श्री गिरधारीलाल।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

किसानों की जमीन की बकाया ऋण के नाम पर नीलामी

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के नियम

(श्री गिरधारीलाल)

131 के तहत माननीय सहकारिता मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी। धारीवाल साहब, आप बोल रहे हैं या ये बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं? धारीवाल साहब, बोलें। धारीवाल साहब।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण किया है उसमें आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा कि खरीफ 2019 में बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में बेमौसम बारिश के कारण हुए फसल खराबे के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि बैंक द्वारा जिन किसानों को फसली ऋण दिया जाता है उसका फसल बीमा किया जाता है। फसल बीमा योजना में फसल कटाई के अंतर्गत दो सप्ताह के भीतर बेमौसम बारिश या चक्रवाती बारिश से फसल खराब हो जाती है तो बीमित द्वारा 72 घंटे में बीमा कंपनियों को सूचित करने पर बीमित कृषकों को हुई हानि का आंकलन किया जाता है।

खरीफ 2019 में बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में फसल बर्बादी के कारण करीब 22 करोड़ के फसल बीमा क्लेम का आंकलन किया गया है जिसमें बेमौसम बारिश से हुआ नुकसान भी सम्मिलित है, जिसके शीघ्र भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि खरीफ 2019 की फसल हेतु जिन किसानों ने बैंकों से ऋण ले रखा है उनके ऋण भुगतान की अवधि जून, 2020 तक की है। अत: ऋण की अवधि पार होने का वर्तमान में कोई प्रश्न नहीं उठता है। चूंकि कुर्की की कार्यवाही ऋण के एनपीए घोषित होने के बाद की जाती है, अत: खरीफ 2019 में बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में बेमौसम बारिश के कारण हुए फसल खराबे के संबंध में कुर्की की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के तहत निवेदन है कि राजस्थान में फसल बर्बादी के कारण किसान समय पर अपना लोन नहीं चुका पाता। किश्तें नहीं चुका पाता जिसके कारण किसानों की जमीन नीलाम की जा रही है। श्रीडूंगरगढ़ में बेमौसम की बारिश की वजह से पहले फसलें बर्बाद हुई। सरकार ने स्वयं माना है कि 6953 किसानों की फसल

(श्री गिरधारीलाल)

बर्बादी की सूचना दी गई। दूसरी तरफ हजारों किसानों के कनेक्शन भी कटे। कनेक्शन कटने से भी किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। वह समय पर बिल जमा नहीं करा पाए जिसके कारण सम्पूर्ण फसल बर्बाद होने, बैंकों के समय पर लोन नहीं चुकाने के कारण किसान आज बर्बादी पर खड़ा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का आपके माध्यम से ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि 2013-14 में बीकानेर जिले में मूंगफली की खरीद हुई थी। आज भी वहां के किसानों के भुगतान बकाया पड़े हैं। लूणकरणसर के 1 करोड़ 35 लाख, श्रीडूंगरगढ़ के 60 लाख बीकानेर जिले में बकाया पड़े हैं। आज तक उन एजेंसियों पर सरकार ने कार्यवाही तक नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय, यह एक ही देश में दोहरा मापदंड है। हमारे देश के अंदर एक तरफ करोड़ों रुपयों का बैंकों से लोन लेकर लोग भाग जाते हैं। दूसरी तरफ किसान अपनी रोजी-रोटी के लिए ट्यूबवैल चलाता है। वह बैंक से लोन लेता है तो किसान के आंगन में ढोल बजाकर उसकी जमीन नीलाम, कुर्क की जाती है। हमारे क्षेत्र में यह बहुत ही दर्दनाक स्थिति हो रही है। हम सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र में किसानों ने आत्महत्याएं भी कर लीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। बहुत जनरल डिबेट नहीं, आप तो जो फसल खराब हुई है, उस पर बोलें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं तो उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। मैं मेरे क्षेत्र पर ही आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: 131 की लिमिटेशन है। आपको बोलने को दिया है। आप सीखें कि 131 क्या है। यह जनरल डिमांड नहीं है।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में सबसे महंगी खेती होती है। आज पूरे देश में किसान जो आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं, वही हालात बीकानेर में हो रहे हैं। अगर हम किसान की सम्पूर्ण फसल खरीद की बात नहीं करेंगे, किसान की जमीन जो कुर्क हो रही है, उसको नहीं बचाएंगे तो कैसे होगा। जब कारखाने बंद हो जाते हैं, उत्पादन नहीं होता तो उनको बीमारू मानकर उनका कर्ज माफ कर दिया जाता है। जब किसान का ट्यूबवैल फेल हो जाता है, किसान से बिजली का बिल नहीं चुकाया जाता, बैंक लोन नहीं चुकाया जाता तो उस पर सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाती है।

(श्री गिरधारीलाल)

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वर्तमान में जो जमीन नीलाम की जा रही है, उस नीलामी को तुरंत रोककर किसान को राहत दिलाएं। जमीन कुर्की पर रोक लगाएं।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि हम किसानों की इस समस्या से चिंतित हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं ऋण माफी की घोषणा की। हमने अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन को-आपरेटिव बैंकों के जो ऋण हैं, वह माफ किए। मैं यह बात मानता हूं कि आज किसानों के ऊपर ऋण बढ़ता जा रहा है! आज जब कोई इंडस्ट्री बंद हो जाती है, जैसा आपने जिक्र किया तो उसका बैंक सैटलमेंट करके कर्जा माफ कर देते हैं लेकिन किसानों के मामले में दोहरी नीति है। हमने नेशनलाइज्ड बैंकों को लिखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए एक कमेटी भी बनाई है। कॉर्डिनेशन कमेटी बनी है कि नेशनलाइज्ड बैंकों से कॉर्डिनेशन करें। केन्द्र सरकार से भी इसके लिए आग्रह किया है कि किसानों का जो कर्जा है, वह माफ किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो बैंक आते हैं, उनका कर्जा माफ कर दिया गया है। यह नेशनलाइज्ड बैंक हैं जिनके लिए हमने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। श्री प्रताप लाल भील।

गोगुन्दा पंचायत समिति में स्वीकृत आईटीआई के भवन निर्माण में देरी

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, नियमों के नियम 131 में कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री जी का मैं ध्यानाकर्षित करता हूं।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि निर्माण एजेंसी रूडसिको द्वारा कार्यादेश 186 दिनांक 3.05.2018 व 1050 दिनांक 30.08.2018 द्वारा जारी किए गए। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य आरम्भ करने पर स्थानीय नागरिकों ने विरोध किया। जिला कलक्टर द्वारा आबंटित भूमि पर हाई कोर्ट, जोधपुर की संख्या 565/2004 के क्रम में स्टे दे रखा है। केस की आगामी तिथि 22 अप्रैल है। हाई कोर्ट के स्टे हटने पर, उसी के उपरांत निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। यह सायरा का है।

(श्री अशोक)

निर्माण एजेसी रूडसिको द्वारा राजकीय आईटीआई गोगुन्दा की चारदीवारी का कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्य भवन के निर्माण के कार्य हेतु टेंडर जारी करने का अंतिम निर्णय हो चुका है। निर्माण एजेंसी द्वारा कार्यादेश एक या दो दिन में देकर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा।

राजकीय आईटीआई बड़गांव के मुख्य भवन का सिविल निर्माण कार्य, निर्माण एजेंसी आरएसआरडीसी द्वारा पूर्ण कर दिया गया है। निर्माण एजेंसी आरएसआरडीसी द्वारा बिजली विभाग से विद्युत कनेक्शन लेने की कार्यवाही चल रही है। विद्युत कनेक्शन 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण राजकीय आईटीआई, उदयपुर में चल रहा है। नव निर्मित भवन में समस्त कार्य पूर्ण होने पर, समायोजन एवं उपकरण सुव्यवस्थित करने पर जुलाई, 2020 से व्यवसाय का नियमित प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि सायरा में जो हमारी आईटीआई स्वीकृत हुई थी, उसका कोर्ट में स्टे हो गया। कोर्ट का स्टे है तो उसकी आगे तारीख, पेशी चलती रहेगी। लंबे समय तक उसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसमें मेरा यही निवेदन है कि हमारे पास दूसरी जमीन उपलब्ध है तो क्या उस जमीन का आबंटन करके उस पर आईटीआई निर्माण का कार्य करवाएंगे?

दूसरा, गोगुन्दा में जो आईटीआई की जमीन आबंटित हो गई है। उसकी बाउंड्री का काम हो गया है। भवन निर्माण का कार्य आप कब तक शुरू करवाएंगे? बड़गांव में आईटीआई का भवन पूरा हो गया है। उसको भी आप अतिशीघ्र चालू करें। खाली भवन पड़े रहने से वह खुर्द-बुर्द होता है। यह मंत्री जी से मेरा निवेदन है।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सायरा की आईटीआई के लिए यदि कोई दूसरी जमीन आबंटित हो जाती है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। नव आबंटन पर हम काम करने के निर्देश देकर काम जल्द से जल्द शुरू करवा देंगे।

जहां तक आपके गोगुन्दा की बात है, वहां पर चारदीवारी का कार्य पूरा हो चुका है। 13.12.2019 को 6 करोड़ का टेंडर फ्लोट किया था, 7

(श्री अशोक)

फरवरी को टेंडर ओपन हो चुका है। वर्क आर्डर एक या दो दिन में होकर वहां का कार्य चालू हो जाएगा।

जहां तक बड़गांव आईटीआई की बात है, वहां 9 करोड़ 97 लाख रुपये सैंक्शन थे। टेंडर हो गया था। 6 करोड़ 39 लाख का काम होकर मुख्य भवन कम्प्लीट हो चुका है। बाकी के पैसे का काम जो बाकी है, वह इन गर्मियों में हो जाएगा। इस जुलाई के अंदर वहां ट्रेड चालू हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

(13.00 बजे)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर की वार्षिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2018-19

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन के नियम 46 के अंतर्गत राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर की वार्षिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2018-19, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री अमृतलाल मीणा।

याचिका

सलूम्बर की जयसमन्द झील के कैचमेंट एरिया में जीरो लेवल एनीकट निर्माण

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जयसमन्द झील के कैचमेंट एरिया में जीरो लेवल के एनीकट बनाए जाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा शहर में मिनी सचिवालय का निर्माण

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कोटा शहर में मिनी सचिवालय का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारी लाल।

डूंगरगढ में पेयजल सुविधा

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दस-दस मिनट बोलें। ज्यादा लम्बा नहीं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): जी अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज फिर एक बिल सरकार लेकर आई है। बिल की मंशा भी ठीक है। आपने किसानों के कल्याण का कोष बनाया है। मैं इसमें आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किसान कल्याण कोष तो पहले से ही बना हुआ है। इसका नाम बदलकर कृषक कल्याण कोष के नाम से आप यह लेकर आए हैं। लाने के साथ-साथ आपने इस नव गठित कृषक कल्याण कोष में लिखा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद के अधीन त्वरित संदाय हेतु व्यवस्थाओं हेतु बाजार मूल्य में गिरावट की दशा में बाजार

(श्री अशोक लाहोटी)

हस्तक्षेप स्कीम के क्रियान्वयन के लिए गिरवी, वित्त पोषण, निधियां उपलब्ध करवाएगा। यह करवाने के लिए एक बैंक से एक हजार करोड़ रुपये का कर्जा राजस्थान सरकार ने लिया। दस साल में वह पंद्रह सौ छह करोड़ रुपये उसमें वापस देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की भलाई, किसानों की आय बढ़ाना, जीवन स्तर ऊपर उठाना, किसानों को प्रोत्साहित करना। क्या ये सब करने के लिए 'किसान' शब्द को हटाकर 'कृषक' करने से यह सब हो जाएगा? फर्क इतना ही तो है कि किसान कल्याण कोष बना हुआ था, उद्देश्य भी आपने वही लिखे हैं, उसके उद्देश्य भी सेम ही थे। केवल यह एक हजार करोड़ रुपये का लोन लिया है क्या वह किसान कल्याण कोष में नहीं आ सकता था? इस केवल एक हजार करोड़ रुपये के लोन के लिए नाम बदलकर कृषक कल्याण कोष कर देना, क्या इससे राजस्थान के किसानों की भलाई हो जाएगी?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी के संज्ञान में कुछ बातें लाना चाहूंगा कि किसानों को जो कर्ज माफी का वादा किया था, अगर वह पूरा कर देते तो किसान वैसे ही इसको समझ जाते। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल में, भलाई तो इससे भी नजर आती है, क्या यह अब बाईडिफाल्ट होगा, अब तक जितने भी बिल आए उनमें हिन्दी का पार्ट ऊपर था और इंग्लिश का नीचे था, केवल यह किसानों वाला ही बिल आया है जिसमें इंग्लिश का पार्ट ऊपर आ गया और हिन्दी का नीचे आ गया ताकि इसकी हिन्दी किसान पढ़ नहीं सके। यह तो मंशा इसमें अपने आप ही झलकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का कर्ज माफ होता तो किसानों का भला हो जाता। किसानों की आत्महत्या यदि सरकार रोक पाती तो भी भला होता। किसान सम्मान निधि का फायदा देती तो भी भला होता, किसानों को पानी और बिजली यदि दिन में दे देते तो उन 18 किसानों की मौत नहीं होती जो रात में पानी और बिजली के कारण हुई तो सरकार भला कर देती। बिजली की सब्सिडी राशि जो विषय कल उठा था, यदि वह वापस आप बिलों में पुनर्भरण नहीं करके यदि बिल में समायोजित होकर आ रही थी यदि वह हो जाता तो किसानों को एक्स्ट्रा फार्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, उससे भला हो जाता।

(श्री अशोक लाहोटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, समर्थन मूल्य में तुलाई के दौरान जांच करके मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज तक ऐसी कितनी ढेरियां सज गईं मंडियों में, जिनको पहले रिजेक्ट किया गया और बाद में उनका मुआवजा देने की जब बारी आई तो उन ढेरियों का मूल्यांकन कम करके उन ढेरियों को वापस लिया गया। यह बहुत बड़ा राजस्थान में विषय है कि पहले उनको रिजेक्ट करो और बाद में उनको गुणावगुण के आधार पर कम मूल्य पर, समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर, उन ढेरियों को लेना, यदि इसका अवमूल्यन करते तो। यदि इन मंडियों का हम स्ट्रेंथन करते, इन मंडियों को हम ई-मंडी बनाते, कृषि उपज मंडियों को, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करते तो निश्चित रूप से किसानों का भला होता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इतना ही नहीं, आपने किसानों के बीमा के नाम पर राजस्थान में एक बड़ा खेल किया है।

(13.05 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, बड़ा खेल यह हुआ कि पहली बार किसानों का जो बीमा था, उस बीमा के लिए कंसल्टेंट फर्म को हायर किया गया। आज तक कभी नहीं किया। 100 करोड़ रुपये बीमा प्रीमियम का काम होता था। मुम्बई की इस कंसल्टेंट फर्म ने ग्रो वैल्यू करके जो कम्पनी थी, बेसिकली यह कंसल्टेंट फर्म नहीं थी, ब्रोकर फर्म थी, इस फर्म ने जब इसको वहां पर दिया गया, इसकी पहली शर्त थी कि इसका आफिस जयपुर में होगा। इसका आफिस मुम्बई में था, इसको एक्सेप्ट किया गया और यहां तक रुकते तो भी ठीक था।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि उसमें यह लिखा गया कि सारी जो इंश्योरेंस कम्पनियां थीं, वह 100 करोड़ रुपये के पूरे टेंडर उस ब्रोकिंग फर्म के आफिस में मुम्बई में फिजिकली जमा करवाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से मंत्रीजी, बहुत बड़ा विषय है, इसमें 15-20 करोड़ रुपये का कंसल्टेंट फर्म को जो प्रीमियम मिलता है, कंसल्टेंसी मिलती है, उसके चक्कर में मुम्बई की फर्म का चयन करना और टेंडर डोक्यूमेंट भी उसके आफिस में जमा करना, क्या सरकार का विभाग बंद हो गया है, क्या सरकार में ऑनलाइन प्रक्रिया बंद हो गई है? क्या सरकार में ई-

(श्री अशोक लाहोटी)

टेंडर को बंद कर दिया है? ऐसी गंभीर समस्या, ऐसी गंभीर गलती सरकार कैसे कर सकती है? मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्रीजी जो कि उनके संज्ञान में आने के बाद उन्होंने इस टेंडर प्रक्रिया को रोक दिया। लेकिन यह इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? यह बहुत बड़ा गहन विषय है। इसमें इसकी जांच होनी चाहिए और सदन के सामने यह तथ्य लाया जाना चाहिए, यह सरकार का बहुत संवेदनशील विषय है और किसानों से जुड़ा हुआ विषय है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, अभी मंत्रीजी ने कहा कि जो 20 लाख किसानों की फसल बीमा का मामला था, उस समय तो मैं बीच में नहीं बोला, मंत्रीजी, आपने खुद ने कहा कि 2100 करोड़, 78 लाख रुपए आपको देने हैं। आपने कहा कि 500 करोड़ रुपये हम 15 दिन में दे देंगे। हम मान लेंगे आपने दे दिए, आप जुबान के धनी हो। राजस्थान में तो आपने कह दिया तो मान लिया कि दे दिया, लेकिन आपने कहा कि 1678 करोड़ रुपये बाकी है। आपके बजट में आपके पास कुल ही 10 हजार करोड़ के बजट में मात्र 342 करोड़ थे। आपने खुद ने अधिकारियों की मीटिंग में कहा कि इस 342 करोड़ रुपये में आधा भी खर्च नहीं हुआ। अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारियों को सस्पैंड कर देंगे, यदि पूरा खर्च नहीं किया तो। यह आपने मीटिंग में कहा, तो इन अधिकारियों के भरोसे राजस्थान के बीस लाख किसानों को कैसे छोड़ सकते हो?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिन किसानों की दिसम्बर तक फसल चौपट हो गई, टिड्डी से जो नुकसान हो गया, फसल बीमा में जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि फसल बीमा का प्रीमियम नहीं गया, क्या सरकार उनको एश्योरेंस दे रही है कि सरकार उनकी भरपाई करेगी? क्या सरकार यह आश्वस्त कर रही है, सदन में कि सरकार उनकी भरपाई कर देगी? माननीय सभापति महोदय, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि नाम बदलने मात्र से कोई दिल बड़ा और छोटा नहीं हो जाता। आप 'किसान' की जगह 'कृषक' लिखकर राजस्थान के किसानों का भला नहीं कर सकते। इसके आगे एक और लिखा है, 'के3' यह इक्कीसवीं सदी का माडल है। 'के3', किसान कल्याण कोष, कृषक कल्याण कोष और मैं यह कहूंगा कि इस तरह से बातें करने से किसानों का भला नहीं होगा। अच्छा होगा कि आप इस बिल का नाम लिख दो 'कांग्रेस कल्याण कोष', तो हो सकता है कि आप इसमें काम करके दिखाओ।

(श्री अशोक लाहोटी)

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया लेकिन मैं आपसे फिर यह कह रहा हूं कि इसमें जल्दबाजी नहीं करके किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, किसानों के मामले में सरकार पूर्ण रूप से फेल हुई है, आपने खुद ने अभी कहा है कि नन्दी शाला के मामले में आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए, किसानों के मामले में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाए। यही मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपने अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, इस सरकार को सत्ता में लाने के लिए जो मतों में 0.5 फीसदी का अंतर रहा, उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसान की थी। यह जो बिल मंत्री महोदय राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 आप लेकर आए हो, इसके पीछे आपके हेतु आपकी मंशा यही है, राजस्थान के किसान की दर्दनाक दास्तां अभी डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के मुख से सुनी, आप चाहते हो उस किसान का ध्यान भटकाना।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 19-ए में उप धारा 1 और 2 में आप यह संशोधन लेकर आये हैं। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सही कहा, सिर्फ एक शब्द का परिवर्तन आपने किया, किसान कल्याण कोष के स्थान पर कृषक कल्याण कोष। संस्कृत से आपका यह प्रेम कब जागृत हुआ, यह मेरी समझ में नहीं आया।

सभापति महोदय, यह बिल क्यों आया? इस बिल ने इतना लंबा सफर क्यों तय किया, क्योंकि यह तो बजटीय घोषणा थी। आज दूसरा बजट आने में तीन दिन शेष हैं और तीन दिन पहले अचानक सरकार जागती है और यह बिल लेकर आती है। चलिए, देर आयद दुरुस्त आयद। मंत्री जी, आप यहीं थे। आपके सदन के नेता ने क्या कहा, वह पढ़कर सुना रहा हूं मैं। यह आप ही का बजट है, 2019-20 का। पेज नंबर 5, क्रम संख्या 17, किसान भाइयों के लिए, मैं ईज आफ डूइंग बिजनस की तर्ज पर ईज आफ डूइंग फार्मिंग की तरफ पहला बड़ा कदम उठाते हुए 1000 करोड़ के कृषक कल्याण कोष (के-3) के गठन की घोषणा करता हूं। इस कोष का उपयोग किसानों को उनके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उत्पादन का यथोचित मूल्य दिलवाने के काम में लिया जाएगा। यह एक वर्ष पहले की आपकी बजटीय घोषणा है। यह सदन जानना चाहता है, अवाम जानना चाहती है कि आपने किसानों को उनके उत्पादन का कितना यथोचित मूल्य दिलवाया?

सभापति महोदय इसी धारा 19-ए में एक नयी धारा इन्सर्ट कर रहे हैं, जिसमें लिखा है कि बोर्ड सरकार के अनुमोदन के पश्चात् कृषक कार्य के लिए किसी अन्य अतिरिक्त स्रोत से आय के साधन जुटाएगा। ये अन्य स्रोत क्या हैं? यानी आप पिछले दरवाजे से इस धारा में संशोधन करके किसान द्वारा उत्पादित जिंस पर कोई न कोई मण्डी टैक्स वसूलने की योजना बना रहे हैं।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से एक हजार करोड़ रुपये के लोन के लिए राशि उधार ली है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, ईज आफ डूइंग बिजनस में आप क्या कर रहे हैं? आपने जो राशि ली है, मैं आपका ध्यान जो आपका वित्तीय ज्ञापन है, उसके पेज 13 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा मंत्री महोदय। आपने लिखा है, बजट घोषणा के अनुपालन में मंत्रिमंडल ज्ञापन संख्या 125/2019 के माध्यम से सरकार के अनुमोदन के पश्चात् सरकार प्रत्याभूति के आधार पर ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स से एक हजार करोड़ रुपये के उधार से नवगठित कृषक कल्याण कोष हेतु निधि उपलब्ध कराई गयी है। उधार की इस रकम का प्रतिसंदाय दस वर्ष में किया जाना है। इसके लिए दो वर्ष अति स्थगन कालावधि भी है।

अब आप कर क्या रहे हैं? कृषि मंत्री जी आज आप विराजे हैं। आपने कहा था कि कृषक कल्याण कोष का उसमें उपयोग करेंगे। आप किस प्रकार उसमें से राशि ले रहे हैं, मैं चाहूंगा सभापति महोदय, आप जैसा विद्वान जब आसन पर बैठा है तो मुलाहिजा फरमाएं, यह इन्हीं का वित्तीय ज्ञापन है। इस वित्तीय ज्ञापन में इन्होंने क्रम संख्या लिखी है 2019-20 प्रदत्त किये जाने वाले ब्याज और मूल्य की रकम। रकम है 20 करोड़ 25 लाख रुपये और उसके बाद 2020-21 में रकम है 81 करोड़ रुपये और आप इसमें कमीशन दे रहे हैं एक करोड़ रुपये का और भुगतान करेंगे आप 82 करोड़ रुपये का। इसी तरह 2021-22 में रकम है 112 करोड़ रुपये और आप उसमें भी एक करोड़ रुपये का बैंक को कमीशन देंगे और आप उसे चुकाएंगे, 113 करोड़।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2022-23 और 2023-24 के बाद आपकी विदाई तय है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने एक हजार करोड़ रुपये के कृषक कल्याण कोष के गठन की बात कहकर यह जो वित्तीय ज्ञापन आपने दिया है, वह यह कह रहा है कि आप यह पैसा 2029-30 तक, मंत्री महोदय, आप मेरे पुराने दोस्त हैं, आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, मैं सदन में सबके माध्यम से यह अभिलाषा रखता हूं, पर यह 2029-30 तक कौन-सा जमाना रहेगा, मैं रहूं न रहूं यह सदन तो रहेगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह प्रदेश तो रहेगा, यह सरकार तो रहेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, जरा मुलाहिजा फरमाएं। आप चुका रहे हैं इसमें 1561 करोड़ रुपये यानी कृषक कल्याण कोष के नाम पर आप बैंक से पैसा ले रहे हैं। एक हजार करोड़ रुपये के किसान कल्याण कोष का दावा कर रहे हैं, आप। इस कल्याण कोष में पैसा आपके पास अगर मैं पूछ लूं, मंत्री जी कह रहे थे, मैंने इसीलिए टोका कि मंत्री जी थोड़ा रुकें। किसान का बेटा है, किसान का दर्द सहा नहीं गया, सोचा कृषक कल्याण कोष में एक हजार करोड़ रुपये हैं, यह जो आप कह रहे हैं, 2167 करोड़ की बात करें, किसान कल्याण कोष से दिलवा दूंगा। इसमें 81 करोड़ रुपये लेकर आ रहे हैं, आप। आप क्यों नहीं साफगोई से यह कहते कि हम कृषक कल्याण कोष के नाम से जो झुनझुना पकड़ा रहे हैं, उसके अंदर हम हस्तक्षेप करेंगे, ईज आफ डूइंग बिजनस करेंगे और राजस्थान में किसानों की जोत 59 लाख है। 81 करोड़ रुपये अगले साल बैंक इन्हें देगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि कम से कम हम कुछ लोगों से मजाक नहीं करें, तो बहुत ठीक रहेगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो कर्जा माफ करने की बात ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने। मंत्री महोदय, जब हमारी सरकार थी, किसान कल्याण की सरकार थी। किसान की हितैषी सरकार थी। उसके बजटीय भाषण में वसुन्धरा जी ने जो पढ़ा, उसमें पेज 16 पैरा 53 में यह लिखा है- इसके अलावा राजस्थान राज्य कृषक राहत आयोग की घोषणा करती हूं, जो कि एक परमानेंट संस्था के रूप में कार्य करेगा। कृषक इस आयोग के सामने अपना पक्ष रखकर मैरिट के आधार पर प्राप्त करेगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह है सोच। यानी किसान बार-बार सरकार के दरवाजे को नहीं खटखटाये कि मेरी फसल बर्बाद हो गयी। यह है, सोच। राज्य में कृषक राहत कोष आयोग बना था। क्या कसूर है, उन किसानों का जिनका मुद्दा डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य अभी उठा रहे थे। अगर यह आयोग आप बंद नहीं करते तो, इसी आयोग के सामने जाते। मेरी तहसील की फसल बर्बाद हो गयी, आपने आयोग बना रखा है, मुझे ऋण दें। यह होती है, सोच। आपने इस आयोग को समाप्त कर दिया। मैं समझता हूं कि इस बहाने से आप करना क्या चाहते हैं, यह आपकी बात सामने आ गयी।

मैं निवेदन करूं, अभी बात आयी, आपके सदन के नेता ने खुद 23 जनवरी, 2019 को जब यह कहा, मैं पूरी बात पढ़कर सुनाऊं, तो आप कहेंगे कि मैं समय ले रहा हूं, भूमि विकास बैंक और सीसी बैंकों में जो अवधिपार कृषक हैं, लघु और सीमांत किसानों के समस्त ऋण माफ होंगे। मैं घोषणा करता हूं कि इसमें 80 हजार भूमि, 4 लाख भूमि जो गिरवी रखी है, वह मुक्त होगी।

सभापति महोदय, अब सुनें, प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे भी निवेदन करूं, नेशनलाइज्ड बैंक, शिड्यूल्ड बैंक, आरआरबी बैंक में जो एनपीए की मैंने घोषणा कर रखी है, पहले के जो डिफाल्टर हैं, उनके बारे में हमने घोषणा की थी, उसके दो लाख रुपये तक का कर्जा माफ होगा। इसे लेकर मैंने बैंकों से बातचीत शुरू कर दी है। जिस प्रकार उद्यमियों के, व्यापारियों के वन टाइम सैटलमेंट करते हैं, उसी रूप में ओटीएस के माध्यम से हम सैटलमेंट करेंगे, जिससे किसानों का भी दो लाख रुपये का कर्जा माफ होगा।

प्रधान मंत्री जी को हमने एक पत्र लिखा है। हमने इशारा किया था। आप आगे आकर कर्जा माफ करें पूरे देश में। उसके बाद कहते हैं, पर अब हम इंतजार नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूं कि अगर इन्होंने सहयोग नहीं किया, तब भी हमारी सरकार पूरा कर्जा माफ करेगी। मैं निवेदन करता हूं, यह मेरा पक्का इरादा है। यह है, पक्का इरादा इनका। इसमें क्या कहते हैं, अभी जो अभिभाषण पर इन्होंने धन्यवाद दिया है, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों को चुकाने में, असमर्थ किसानों को 30 नवम्बर, 2018 तक की स्थिति में दो लाख रुपये तक की सीमा का अवधिपार, अल्पकालीन फसली ऋण वन टाइम सैटलमेंट की ओर लाकर माफ करने हेतु केन्द्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं समझता हूं कि आज जब यह कलई खुल गयी है, यह एक-दो नहीं है। कृषि मंत्री जी सही कह देंगे, 22 लाख है। जिन्होंने नेशनलाइज्ड बैंकों से लोन ले लिया, आज जब जिस समय हम यह बात कर रहे हैं, ठीक इसी समय गंगानगर जिला चिकित्सालय के सामने एक किसान की लाश पड़ी है। छापावाली का रहने वाला महेंद्र, उस पर कर्जा था, कर्जे से परेशान होकर उसने कीटनाशक दवाई पीकर आत्महत्या कर ली। आज जब मैं इस सदन में बोल रहा हूं, उस समय आज उसकी विधवा चार मासूम बच्चों के साथ गंगानगर के जिला चिकित्सालय के सामने पार्क में बैठी है और यह कह रही है कि कर्जा माफ करने का वादा किया, अब निभाओ। मेरा पति मर गया, मैं भी आत्महत्या करूंगी और सारे किसान संगठन बैठे हैं। मैं समझता हूं कि कई बार संवेदनाओं से खेलना, यह आग से खेलने के बराबर है। मैं निवेदन करूं कि बाड़मेर में निम्बाराम का क्या हुआ? किसान कल्याण कोष बना दिया आपने। प्रतिपक्ष के नेता को मालूम होगा कि 10 किलोमीटर चौड़ी टिड्डी आई, मेरे जैसे कमजोर मन का था निम्बाराम और टिड्डी के दल को बैठते हुए देखकर उसका हृदय फट गया और निम्बाराम मर गया। आज उसकी आत्मा कोस रही है। किसान कल्याण कोष आप बना रहे हो, इस किसान कल्याण कोष की टर्म्स एण्ड रेफरेंस में आप लिखो कि प्राकृतिक आपदा आएगी तो हम किसान को राहत देने का काम करेंगे।

यह सोहन लाल कड़ेल की बात है, आज सोहन लाल कड़ेल जो लटककर मरा वह डाइंग डिक्लेरेशन में मुख्य मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री का नाम लिखकर गया है। अगर गलती से मेरा नाम लिख देता तो आप मुझे पिछली बार की तरह जेल पहुंचा देते, कह देते कि इसके कारण से उकसा है। मैं समझता हूं कि कुछ इन बातों को लेकर हमें निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए।

आज इसमें जो संशोधन लेकर आये हैं, इस संशोधन की बात जब मैं करता हूं तो अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर पूरे मामले को देखकर करें। सभापति महोदय, ये एक और संशोधन लेकर आये हैं, इसकी धारा 19क (2) के अन्दर क्या जोड़ रहे हैं? इसमें (ट), यह आपका ही है, 'सरकार के पूर्व अनुमोदन से कृषक कल्याण से सम्बन्धित किन्हीं अन्य क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।' अन्य क्रियाकलाप क्या हैं? यह जो अभी सांगानेर से आने वाले विद्वान साथी ने कहा न कि यह किसान नहीं, यह कांग्रेस कल्याण कोष है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और आप इस कोष का अन्य कार्यों के बहाने से किसान सम्मेलन करोगे। आप किसान सम्मेलन करके राजनीति करने की कोशिश करोगे।

आपने आगे इसमें कहा है न कि विद्यमान उप धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:- '(4) बोर्ड, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किन्हीं अन्य स्रोतों से निधि जुटा सकेगा।' यह अन्य स्रोत क्या है? मंत्री महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि अन्य स्रोत क्या हैं और इसके साथ आप जो लेकर आये हो कि अन्य क्रियाकलापों को बढ़ावा देना, यह कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, इस तरह का काम आप मत करो। आप निश्चित तौर पर किसान के साथ अन्याय कर रहे हैं। एक सिर्फ किसान और कृषक एक बात को कहकर एक हजार करोड़ का झुनझुना दिखा रहे हो, यह राग लम्बे समय तक नहीं चलेगी। यह राग जो आपके आह उठ रही है किसान की, राजस्थान के कोने-कोने से उठ रही है, यह आह डाह में बदल जाएगी और आपके इस महल को जलाकर राख कर देगी। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, संशोधन में सरकार मात्र नाम परिवर्तन करके लायी है, किसान की जगह कृषक करके लायी है। किसान में तो कहीं आन जुड़ा हुआ है किसान की आन-बान-शान जुड़ी हुई है। वह इस सरकार को मंजूर नहीं और किसान के कंधों पर, किसान को कर्ज माफी का झुनझुना देकर, किसान को बरगला कर, किसान के साथ धोखा करके सत्ता में आई सरकार किसान की आन-बान-शान से खेलने का काम कर रही है और किसान की जगह संस्कृत का शब्द कृषक लेकर आई है। उनको संस्कृत के मायने मालूम होंगे, कृष मतलब कृशकाय। इनकी नजर में, कांग्रेस की नजर में, इस सरकार की नजर में किसान तो मेहनत करके कृश हो जाए, तबाह हो जाए, कृशकाय हो जाए, उसकी आन-बान-शान का कोई लेना-देना इस सरकार को नहीं है। इसमें जो संशोधन लेकर आये हैं कि हम नाम परिवर्तन कर रहे हैं और पहले जो किसान कल्याण कोष था, उसमें फसल के बोने से लेकर उसको मार्केट तक ले जाने का काम होता था, पर यह जो नया नाम लेकर आये हैं उसमें प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, इस तरह के काम भी होंगे।

(श्री बिहारीलाल)

माननीय, आपने आगे जो लिखा है और 1961 का आपका यह अधिनियम बना हुआ है यह वैक्सिंग, पैक करना, प्रसंस्करण, विक्रय और निर्यात तो उसमें भी था तो फिर इस नये एक्ट को लाने की जरूरत कहां पड़ गई? निश्चित तौर पर जैसा माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष ने अंदेशा जताया कि अन्य स्रोत और अन्य क्रियाकलाप जो शब्द आप लेकर आये हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि आपकी नजर कहीं और है, किसान पर फिर कहीं आप कोई शास्ति लगाकर उसका नुकसान करने का मन रखते हैं।

किसान कल्याण की बात आपने अभिभाषण में भी कही, अपने बजट में भी कही, किसान कल्याण कोष की भी आप बात कर रहे हैं, कृषक कल्याण कोष की बात आप कर रहे हैं, लेकिन किसान इसमें कहां है? अगर किसान इसमें कहीं होता तो कीटनौद में भगाराम मेघवाल जिसने टिड्डी दल के हमले से विक्षिप्त होकर दम तोड़ दिया, 40 वर्ष का नौजवान किसान था। मैं इसके घर पर गया, उसका बेटा महेन्द्र, इसकी बेटी, उनकी क्या स्थिति है? रेवेन्यू मंत्री जी बाड़मेर जिले से आते हैं, बाड़मेर के और भी प्रतिनिधि आते हैं, सरकार के नुमाइंदे वहां गये। किसान की बात हुई, अभिभाषण पर चर्चा हुई, किसान कल्याण कोष आप बनाने जा रहे हैं पर कीटनौद के भगाराम मेघवाल को न्याय देने का काम आप नहीं कर रहे हैं। निम्बाराम का जिक्र माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष ने किया, उसकी भी टिड्डी दल के हमले से सदमे से मौत हो गई, पर उसके परिवार को न्याय देने का हम कहां काम कर रहे हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ जो राजस्थान का धान का कटोरा है, उस धान के कटोरे की क्या स्थिति हो गई, उस किसान की क्या स्थिति हो गई है कि चार दिन में दो किसानों की आत्महत्या, 13 महीनों में सात किसानों की आत्महत्या। जब गंगानगर, हनुमानगढ़ के किसान की यह स्थिति हो गई है तो आपका किसान कल्याण कोष लाना, किसान के हित की बात करना, सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं।

आप एमएसपी की बात इसमें लेकर आये हैं। एमएसपी की बात पिछली बार भी आपके सामने रखी थी कि हमारा बीकानेर, जहां से हम विधायक के रूप में आते हैं, वह पूरी दुनिया में भुजिया के लिए, नमकीन के लिए विख्यात है। उस बीकानेर का जो भुजिया बनता है वह मोठ से बनता है और मोठ की पैदावार सबसे ज्यादा कहीं होती है तो बीकानेर में होती है। सबसे बड़ा क्षेत्र अगर मोठ का है तो बीकानेर है। बीकानेर का यह मोठ आज भी

(श्री बिहारीलाल)

एमएसपी के दायरे में नहीं है। राज्य सरकार इस पर भी ध्यान दे और कहीं न कहीं ऐसा कहकर टाल देंगे कि केन्द्र का विषय है, तो आप जब केन्द्र के बनाये कानूनों पर सदन का समय जाया करने के लिए यहां प्रस्ताव ले आते हैं तो इसके लिए भी प्रस्ताव बनाकर किसान हित में केन्द्र को भिजवा सकते हैं। यह सदन अपना है और जो किसान हित का वाजिब काम है उसको करना चाहिए। ग्वार, जो पश्चिमी राजस्थान की बहुत बड़ी फसल है बहुत बड़े एरिया में जिसको बोया जाता है, उस फसल को भी एमएसपी के दायरे में लाना चाहिए।

माननीय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, आपने इसमें जिक्र किया है कि एक हजार करोड़ का कोष बनाएंगे और इस ऋण को चुकाने के लिए अनाज और फल-सब्जी मण्डियों से उसकी आय का प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत राशि से ऋण अदा किया जाएगा। आप कृषि मण्डियों पर, आप फल-सब्जी मण्डियों पर यह 5 प्रतिशत राशि लेना चाह रहे हैं जबकि कृषि मण्डियों की स्थिति आपसे छिपी हुई नहीं है। कृषि मण्डियों का पहले से ही आधारभूत ढांचा चरमरा चुका है। आप इसमें आधारभूत ढांचा विकसित करने की बात लेकर आये हैं। आधारभूत ढांचा, सड़कें कहां बन रही हैं? 14 महीने आपकी सरकार को हो गये, आपने अभिभाषण में कहा कि हमने 139 करोड़ रुपये की सड़कें कृषि मण्डी से बनाई, कृषि मण्डी का जो पैसा था वह भी आपने ले लिया और कहां लगा दिया उसका अता-पता नहीं है और एक किलोमीटर भी रोड राजस्थान में कृषि मण्डी से नहीं बनी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो नहीं बनी। हमने जो पहले सैंक्शन करवाई थी, जो रोड सैंक्शन हो चुकी थी, काम शुरू होने वाला था, सारी बातें हो गई थीं, उन रोड को भी विद्ड्रा कर लिया गया, उनको निरस्त कर दिया गया। इसलिए, आपसे आग्रह करते हैं कि आपने 2019-20 के बजट में डेढ़ रुपये प्रति सैकड़ा की दर से संग्रहित किये जाने वाले उपभोक्ता प्रभार को भी समाप्त कर दिया और फल-सब्जी मण्डियों की कमर तोड़ दी जबकि वह किसान पर नहीं लगता था, उपभोक्ता पर लगता था। अब आप बात करते हो कि 5 प्रतिशत हम कृषि मण्डियों से इस ऋण अदायगी के लिए पैसा लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा में आज भी फल-सब्जी मण्डी शहर में चलती है। वहां काफी भीड़भाड़ तथा आवारा पशुओं के द्वारा हादसे होते रहते हैं। स्वतंत्र मण्डी बनाने का आधार यह है कि उस मण्डी की वार्षिक न्यूनतम आय 40 लाख रुपये होना आवश्यक है, अत: जब

(श्री बिहारीलाल)

आपने आय ही बन्द कर दी तो नई मण्डियों का विकास कैसे सम्भव होगा, इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

कृषक कल्याण कोष द्वारा नोखा जैसे शहर में, नोखा जैसी जगह में अलग से नई फल-सब्जी मण्डी का विकास कराया जाए, ताकि पश्चिमी राजस्थान की मरु भूमि पर उगने वाली कैर-सांगरी को नई पहचान मिल सके तथा यहां के किसानों को कैर-सांगरी तथा मरु प्रदेश की सब्जियों के विपणन हेतु अवसर मिल सके। इस तरह की बातों को भी किसान कल्याण कोष में शामिल करना चाहिए। इसलिए आप जो ये बातें लेकर आये हैं, कहीं भी किसान के हित की बात नहीं लगती। किसान की पीठ को सीढ़ी बनाकर सत्ता के शीर्ष पर आप पहुंचे हैं तो किसान की जिस सीढ़ी से चढ़े हैं, उस सीढ़ी को गिराने का काम मत करिये, उस सीढ़ी को और किसान की पीठ को मजबूत करने का काम करिये। जिस जिम्मेदारी से जनता ने आपको सत्ता में बिठाया है वह जिम्मेदारी निभाइये। इस मौके पर मैं इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का अनुरोध कर रहा हूं। माननीय सभापति जी, आपने मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल। श्री धर्मनारायण जी जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय, बाकी सदस्यों ने जैसा बताया केवल इसका नाम परिवर्तन हुआ है। शायद मुझे लगता है कि बैंक से ऋण लेने के लिए परिवर्तन किया है, बैंक की कोई अड़चन आई दिखती है, इसलिए किसान के बजाय कृषक कर दिया है।

यहां पर जितने माननीय सदस्य विराजमान हैं, सभापति महोदय, आप भी उसमें शामिल हैं, अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि से आते हैं, कृषक-किसान की पृष्ठभूमि से आते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, हम सब किसानों का भला चाह रहे हैं। परन्तु, माननीय मंत्री महोदय आप मुझे बताइये, केवल और केवल खेती पर निर्भर रहकर आज किसान दो समय का भोजन कर सकता है क्या? उसके कुछ सपने हैं क्या? क्योंकि केवल मात्र कृषि प्रधान देश, खेती करने वाला अन्नदाता, एक फैक्ट्री में पैंसिल बनती है और पैंसिल का रॉ-मैटेरियल आता है, उसकी कीमत तय होती है, उसको प्लास्टिक में पैक

(श्री धर्मनारायण जोशी)

करते हैं, उसकी कीमत तय होती है, उसमें कागज के ऊपर रेट लिखते हैं, वह तय होती है, खर्चा कितना और उसका प्रोफिट कितना हो गया। परन्तु, केवल एक किसान ऐसा है जिसकी फसल चौराहे पर नीलाम होती है। इस देश का दुर्भाग्य है कि आज आजादी के इतने साल बाद भी उस किसान की फसल नीलाम होने के लिए, उसकी फसल सड़ती है सड़क पर, ऐसी स्थिति में किसान है।

मेरी आपसे प्रार्थना है, अच्छी योजना बनाइये, कोई चिंता की बात नहीं है। छोटी-छोटी बातें, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, पूरा आदिवासी क्षेत्र है। मैं छोटा था, पिताजी खेती करते थे, हम साथ जाते थे तो उस समय ग्राम साथी होते थे। वह ग्राम साथी, गांव में हमारे खेत में आता था और यहां ये बोइये, ये बोइये, वो कहता था। आप कामर्शियल क्रोप के लिए किसान को प्रोत्साहित क्यों नहीं करते हैं? हमारे पूरे क्षेत्र में आज कोटला क्षेत्र है, सफेद मूसली होती है। आज सफेद मसूली का भाव क्या है? आप बीज उपलब्ध करवाइये, हमारे पूरे क्षेत्र में जमीकंद होते हैं। आज लहसुन के पेस्ट आ रहे हैं, दक्षिण भारत से, लहसुन का पेस्ट आ रहा है। क्यों आ रहा दक्षिण भारत से पेस्ट, हम यहां नहीं बना सकते हैं क्या? इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं क्या? किसान को अपनी फसल के लिए, उसे बेचने के लिए जगह मिल जाएगी और रॉ मैटेरियल, उसको खपने के लिए शुद्ध और अच्छी चीज मिलेगी।

मैं सोचता हूं कि ये छोटी-मोटी चीजें मक्का के लिए, हमारे क्षेत्र में मक्का होता है। मक्के के लिए आप इंडस्ट्री लगाइये, मक्का किस काम आता है। वैसे भी राजस्थान सरकार ने इस बार तय किया है कि 15 परसेंट शराब में आय बढ़ाएंगे। मैं तो पंडित आदमी हूं, शराब पी नहीं कभी, पर ऐसा कहते हैं, मक्के की शराब बहुत अच्छी बनती है। आप बनाइये हमारे वहां इंडस्ट्री डवलप करके, उसमें कोई तकलीफ नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आज किसान का बेटा मेरे गांव में भी, मेरे मावली विधान सभा क्षेत्र में, आपको आश्चर्य होगा, 20 हजार लोग आज बाहर केवल धंधा करने के लिए इंदौर, बम्बई और बैंगलोर जाते हैं, क्यों, क्योंकि दो समय का उनको भोजन नहीं मिलता है। वे पेट नहीं भर सकते हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, ऐसी कृषि का वैज्ञानिक आधार डवलप करवाइये कि किसान का बेटा शहर की तरफ भागे नहीं, शहर पर प्रेशर हो रहा है। आज

(श्री धर्मनारायण जोशी)

किसान का बेटा, शहर के पास, छोटी-छोटी जमीन का टुकड़ा बेचकर अपनी बेटी का विवाह करता है, अपने बेटे का विवाह करता है तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान देकर इसको करिए।

हमारे यूरिया की उपलब्धता नहीं थी, यूरिया मिलता नहीं था। भारत सरकार ने आते ही, नरेन्द्र मोदी जी ने आते ही तीन महीने के अंदर यूरिया को नीम कोटेड किया, क्योंकि हम सबको पता है यूरिया का दूध में मिसयूज होता था, नकली चीजें उससे बनती थीं तो यूरिया के लिए पहला काम उन्होंने यह किया कि यूरिया किसानों को आसानी से मिल जाए। उस पर नीम का पानी चढ़ाकर, ताकि बाजार में आकर उसका मिसयूज नहीं हो, वह बिके नहीं।

मेरी आपसे इस अवसर पर यही प्रार्थना है इस विधेयक को जनमत के लिए भेजा जाए और अभी इसको स्थगित करके और इस पर चर्चा कराई जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, आपने इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया, राजस्थान के अन्दर विशेषकर किसानों पर, नाम बदले जाते हैं, काम नहीं बदले जाते हैं। किसान कल्याण कोष से कृषक कल्याण कोष कर देने से किसान का कोई भला होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, कभी भाजपा नाम बदलती है, कभी कांग्रेस नाम बदलती है। इस संशोधन अधिनियम में लिखा है, उत्तम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए, व्यवस्था के लिए बाजार मूल्यों पर गिरावट की दिशा में, बाजार हस्तक्षेप स्कीम की क्रियान्विति के लिए निधियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। माननीय सभापति महोदय, अभी राजस्थान के अंदर मूंगफली और मूंग की खरीद हो रही है मात्र 25 क्विंटल, जबकि राजस्थान सरकार को 25 परसेंट से खरीद करनी चाहिए थी। जब कृषक के इस मुद्दे पर बात हो रही है।

सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मगर, इसमें ऐसी नीति दें, मेरा सुझाव है, केन्द्र सरकार 25 परसेंट खरीदे, सपोर्ट प्राइस पर, अगर हमें लगातार किसानों की भलाई के लिए कुछ करना है तो राजस्थान की पूर्ण फसल, पूर्ण पैदावार होती है। उतनी पूरी की पूरी फसल खरीद का ऐसा कानून इस विधेयक में लाया जाए, शामिल किया जाए, मेरा सुझाव है।

सभापति महोदय, समय पर खरीद शुरू हो, स्टोरेज का सही समय पर

(श्री गिरधारीलाल)

निर्धारण हो, सैम्पलिंग के लिए अलग व्यवस्था हो। जो मंडियों में, 25 साल से पुराने संयुक्त व्यापारी वर्ग टीसी लाइसेंसधारक बैठे हैं। आज भी उन्हें दुकानें उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि जिन पीडों पर किसानों के माल होने चाहिए थे, वहां का अनाज रखा होना चाहिए, मगर बीकानेर जिले के अंदर 70 से ज्यादा किराना स्टोर व्यापारी आज भी उस पर कब्जा जमाये बैठे हैं। सभापति महोदय, संशोधन अधिनियम से कृषि मण्डियों के व्यापारी चौपट हो जाएंगे। अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि इस संशोधन विधेयक को जनमत जानने के लिए तीन माह तक के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय सभापति जी, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020, 1961 में कृषि मण्डी एक्ट लागू हुआ और उसको लगभग 6 दशक हो गया, उस एक्ट में संशोधन की तो आवश्यकता है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में घोषणा की थी कृषक कल्याण कोष के गठन करने की, उसकी प्राप्ति करने के लिए मैं समझता हूं रिसोर्सेज की भी अवेलेबिलिटी के लिए यह संशोधन लाया गया है और किसानों को राहत देने की बात जब सदन में की जाती है तो सभी पक्ष उसका स्वागत करते हैं, मैं भी स्वागत करता हूं। मगर, एक किसान के नाते मैं कुछ बातें इस सदन में रखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि यह संशोधन आइसोलेशन में नहीं हो कि एक हजार करोड़ हमें प्राप्त करना है। उसको पाने के लिए, जो रिसोर्सेज हैं, उसको पाने के लिए हम यह संशोधन लायें, ताकि उसकी व्यवस्था हो सके।

एक कहावत है कि अच्छा काम करते हुए, हवन करते हुए, हमारे हाथ नहीं जल जाए। मैं यह बात इस सदन में इसलिए रख रहा हूं 6 दशक बाद जब कृषि उपज मण्डी का एक्ट लागू हुआ। हमें देखना होगा कि हमारी मंडियों की स्थिति क्या है, कुछ निर्णय हमने उस समय इस कृषि विपणन से जो आय होती थी, उससे जो काम कराने के हमने निर्णय लिये थे, उनके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा कि एक समय था कि इस प्रदेश में न तो सड़क नीति थी और न सड़क बनाने के लिए पैसे और कृषि उपज मंडी की जो आय होती थी उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई थी कि माल सड़क से होकर कृषि मण्डी तक पहुंचे। कृषि उपज मंडी सड़क बनाने लगी। आज प्रदेश में सड़क नीति है।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

मैं इस सदन में पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी, उसमें पीडब्ल्यूडी का मंत्री रहा हूं और मेरे अनुभव से कहता हूं कि सड़कों का पूरा महकमा यह काम कृषि उपज मंडी का नहीं है कि सड़कें बनाएं। उस समय पैसा नहीं था, इसलिए सड़कें बना रही है। कृषि उपज मंडी का काम है कि किसानों की उपज जो लेकर मंडी में जाते हैं, उसे जो सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए वह मिले पर वह आज नहीं मिल रही हैं, इसलिए संशोधन करने की आवश्यकता है।

कोटा की जो मंडी है, भामाशाह मंडी प्रदेश की बड़ी मंडियों में से है, वहां महीने का तीन करोड़ राजस्व प्राप्त होता है। उसकी एक गौण मंडी है, सांगोद जहां से मैं विधायक हूं और गौण मंडी में एक बोरी उपज नहीं आती है। सारे काम जो कृषि उपज मंडी को करने हैं, उस क्षेत्र में हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं। कृषि उपज मंडी का अगर आप 1961 का एक्ट पढ़ेंगे, माननीय सदस्यों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप उसका अध्ययन करें। हमारी अधिकांश मंडियों की स्थिति खराब है और उसमें सुधार नहीं होगा, जब तक कि उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे और यह जो हमारा कृषि विपणन मंत्रालय है, यह दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में कृषि मंत्री एक है और कृषि विपणन कोई दूसरा मंत्री देखता है। दोनों एक मंत्री के नीचे हो ताकि टोटलिटी में दोनों किसानों की समस्याओं को देखें और मंडियों के विकास के बारे में सोचें। मैं सत्ता पक्ष का हूं, इसलिए सदन में यह जो प्रस्ताव लाया गया है, इसके समर्थन में हम इसको पास करेंगे मगर पास करने से ही बात नहीं चलेगी, संशोधन वापस लाकर उन सब बातों के ऊपर देखकर अध्ययन किया जाए कि किन-किन क्षेत्रों के अंदर यह कृषि उपज मंडी का जो गठन किया था 1961 में, इसमें तो उल्लेख है 25% किसानों की आय पशुओं से होती है। कृषि उपज मंडी एक्ट में मेन्शन्ड है कि पशुओं की भी मंडियां होंगी। जब यह एक्ट लागू नहीं हुआ था, उस समय मेलों की व्यवस्था थी। पशुओं की मंडी मेला थी। आज मेले तो छिन्न-भिन्न हो गए और हर शहर में देख लीजिए, आप खुले में बकरे लेकर खड़े हैं बकरा मंडी, जिसको मछली बेचनी है वह कहीं बेचें। यह काम भी कृषि उपज मंडी का है कि इनको विकसित रूप से एक व्यवस्थित रूप से करे तो माननीय सभापति जी, मैं मेरी बात जो आपके समक्ष रख रहा हूं, वह इसलिए रख रहा हूं कि यह संशोधन जो लाया गया है, इसको भी हम पारित करेंगे क्योंकि किसानों के हित से जुड़ा हुआ है मगर मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि उन सब बातों को हमको लेना पड़ेगा, जिनसे

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

हमारी मंडिया प्रभावित हो रही हैं और अगर हम उस ओर ध्यान नहीं देंगे तो मुझे शंका है कि वह सुधार होने की वजाय उन कामों के लिए हमारे पास पैसा नहीं रहेगा। इन्हीं बातों के साथ, यह अवश्य मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यह सड़कें बनाने का काम पीडब्ल्यूडी को दें और वह राशि जो सड़कों पर खर्च होती है वह मंडियों के विकास पर खर्च की जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग (अनुपस्थित)। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, आज कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद और यह जो कृषक कल्याण कोष, अब यह कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 की धारा 19 (ए) में पूर्व में ही एक किसान कल्याण कोष बना हुआ था और उस किसान कल्याण कोष की जब स्थापना हुई थी तो उसमें यह सारी तरह की चीजों का ध्यान रखा गया था कि कैसे किसानों की सुविधाओं के लिए हम क्या-क्या चीजें दे सकते हैं और उससे क्या लाभ हो सकता है किसानों का। वह सारी चीजें इसमें हैं, लेकिन अब इसका नाम बदलना और इसको कृषक कल्याण कोष के रूप में परिवर्तित कर देना, यह ऐसे लग रहा है कि इसके पीछे क्या मंतव्य है इसका कुछ समझ में आ नहीं रहा है। कुछ स्पष्ट इसमें लिखा भी नहीं है कि हम क्यों इसका नाम बदलना चाहते हैं। खैर जो भी है अगर इन्होंने नाम बदलने का सोचा है तो किसान का भला करने का भी सोचें साथ-साथ। वह ज्यादा इंपोर्टेंट था लेकिन आज की यह जो वर्तमान सरकार चल रही है, वह पूर्ण रूप से किसान विरोधी सरकार है, इनके मंतव्य बिल्कुल भी किसानों को राहत देने के नहीं हैं, बल्कि किसानों को किसी न किसी तरीके से अच्छे-अच्छे सपने दिखाओ, उन्हें उलझाए रखो, उन्हें कहो कि तुम्हारा ऋण माफ करेंगे। कभी कहो कि केवल सहकारिता का नहीं तुम्हारा नेशनल बैंक्स का भी करेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं।

अब इस कृषक कल्याण कोष के अंदर उन्होंने घोषणा की थी 2019-20 के बजट में। एक वर्ष पूरा हो गया, अब नया बजट आने वाला है और यह जो बजट पर उन्होंने घोषणा की थी, एक वर्ष पहले तब कहा था कि हम यह कल्याण कोष की स्थापना करेंगे, इसमें 1000 करोड़ रुपये डालेंगे और उस 1000 करोड़ रुपये से हम बहुत सारी योजनाएं करेंगे। उसका अगर मैं यहां पर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

उल्लेख करूंगी तो बड़ा हो जाएगा। ऐसा एक बहुत सुंदर बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले साल रखा था। अगर मैं इनसे पूछूं कि इस कृषक कल्याण कोष की स्थापना तो आपने एक वर्ष पहले, उसमें बजट भी रख दिया 1000 करोड़ का। वह 1000 करोड़ का बजट जो इन्होंने रखा था, जब घोषणा की थी तो ऐसा लग रहा था कि सरकार अपनी तरफ से इसमें 1000 करोड़ रख रही है, लेकिन वास्तविकता जब देखी, माननीय सभापति जी, तो यह ध्यान में आया कि यह 1000 करोड़ रुपये सरकार नहीं दे रही लेकिन सरकार ने ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स से इसमें लोन लिया। 10 साल तक इस लोन को इन्हें चुकाना है और यह लोन लिया 1000 करोड़ का 10 साल तक जब चुकाएंगे तो इसका ब्याज जो आएगा वह टोटल अगर हम उसमें देखें टेन ईयर्स के बाद तो 496 करोड़ का यह अतिरिक्त भार सरकार के ऊपर और आएगा जो यह लोन के माध्यम से हम लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। यह 1000 करोड़ गवर्नमेंट अपनी तरफ से इस कोष में डालती, लेकिन गवर्नमेंट लोन लेकर और उसको डाल रही है 10 साल का और वह 10 साल में 496 करोड़ एक्स्ट्रा हमें देना पड़ेगा, ब्याज का भार यहां की जनता के ऊपर यहां के सभी किसानों के ऊपर, सब पर आएगा। अब यह इस कोष को राज्य निधि से अनुदान के रूप में तो उपलब्ध करा नहीं रहे हैं और झूठी वाहवाही तो ले ही रहे हैं। लेकिन इसके अंदर यह भी स्पष्ट करें कि यह जो कोष इन्होंने निर्धारित किया है, कृषक कल्याण कोष इससे यह लोग क्या करने वाले हैं? कैसे यह किसानों को ऋण देने वाले हैं या इससे कोई किसानों को अनुदान देने वाले हैं किसी चीज के ऊपर। इसके अंदर उसमें अन्य क्या-क्या कार्य करेंगे, ऐसा कहीं स्पष्ट नहीं है। केवल एक बात एक लाइन यह कह देना कि किसानों के हितों के लिए हम कार्य करेंगे। मुझसे पूर्व इन्हीं के दल के, सत्ता दल के हमारे विधायक महोदय हैं भरत सिंह जी, जो अपनी बात कह रहे थे, वह कह रहे थे इस बात को और बहुत सही कह रहे थे कि आज जो हमारी मंडियां हैं, कृषि उपज मंडियां, इनकी क्या स्थिति है, कृषि उपज मंडी की। मैं अगर मेरे अपने क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर भी कुरज के अंदर कृषि उपज मंडी है, जो बंद पड़ी है। उसमें कहीं कोई संचालन नहीं होता है। अगर यह हमारे यहां की कृषि उपज मंडी, राजसमंद की बात करें तो वहां पर जो सैक्रेटरी लगा हुआ है, जिला लेवल के ऊपर वह सैक्रेटरी ही अवेलेवल नहीं है। पिछले डेढ़ साल से सैक्रेटरी जो फतहनगर का है उसको ही एडिशनल चार्ज राजसमंद का भी दिया हुआ है तो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

यह स्थितियां हैं इस प्रकार से। न तो इनके पास कर्मचारी हैं काम करने के लिए। न इनकी कोई स्पष्ट योजना है कि ये किसानों के लिए क्या करना चाह रहे हैं। केवल और केवल सपने दिखाने, टाइम यह लगाना कि पहले तो किसान कल्याण कोष था, अब उसको हम कृषक कल्याण कोष बना रहे हैं, 1000 करोड़ उसमें रख रहे हैं। जो लोन के ऊपर आएगा, 10 साल में उसको चुकाएंगे। 496 करोड़ और अतिरिक्त भार डालेंगे और क्या करेंगे, इससे उसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहती हूं माननीय सभापति जी, कि कृषि उपज मंडियों से तीन परसेंट से 5 परसेंट तक अंशदान लेते हैं, इसके अंदर इस कोष में डालने के लिए। सरकार कोष बनाती है, एक घोषणा करती है कि हम इतना देंगे, उसके बाद वह कृषि उपज मंडी से तीन परसेंट से पांच परसेंट जो उनकी वार्षिक आय है, उसमें से उसका अंशदान लेती है उसमें डालने के लिए। अब वहां जो कृषि उपज मंडी है, वह भी वही काम कर रही है जो यह कृषक कल्याण कोष करेगा तो यह दोहरी बात चल रही है तो उन्हीं को कर लेने दो आप, कृषि उपज मंडी को यहां पर 3 परसेंट से पांच परसेंट क्यों देने की जरूरत है, वह अपने आप से ही विकास कार्य जो करने हैं, वह करेगी लेकिन हो क्या रहा है, वह सारा पैसा उन सब मंडियों से यहां पर ले लेना एक कोरपस फंड बनाकर और जिनसे पैसा लिया है, जैसे आज मैं अगर राजसमंद की ही बात करूं, अगर एक करोड़ रुपया हमारी सालाना आय है और उस एक करोड़ से यह तीन परसेंट लेते हैं तो 3 लाख रुपया अगर यह लेते हैं तो उस 3 लाख का एक पैसा भी किसी तरीके का वहां पर देते नहीं। ऐसी कितनी ही मंडियां होगी जहां से अंशदान तो लेते हैं फिर पिक एंड चूज करते हैं और उस पिक एंड चूज के अंदर कहां जाता है, कहां नहीं जाता है, जो मंडियां पहले से ही बीमारू हालत में हैं, उनसे और यह अंशदान लेना और उसके बाद उन्हें एक पैसा भी वापस रिटर्न बैक नहीं करना कि उनके विकास के लिए उन्हें कोई पैसा दिया जा रहा हो और उसके बाद सिर्फ लेने का काम करना है और एक अच्छा सपना दिखाना है। कृषि विपणन बोर्ड में 10 मैम्बर्स ऐसे हैं जो पूरे राजस्थान से कृषि उपज मंडी से सदस्य के रूप में वहां पर मनोनीत होंगे। उसमें दो ऐसे मैम्बर्स होंगे, जो हमारे कृषक होंगे, किसान होंगे लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी तक उस कृषि विपणन बोर्ड में इन्होंने कोई मनोनीत नहीं किया है। मैम्बर्स नहीं हैं, सिर्फ प्रशासक हैं, वह प्रशासक चलायेंगे, 9 सदस्य उसमें लिये तो वह प्रशासनिक अधिकारियों को उसमें लिया

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

है। आप अगर यह कृषि विपणन बोर्ड किसानों के फायदों के लिये बना रहे हो, किसानों के हितों के लिये बना रहे हो तो उसमें किसानों की भागीदारी रखो। उसमें कृषि उपज मंडी से अंशदान ले रहे हो तो कृषि उपज मंडी की भागीदारी उसमें रखो, ताकि वह तय कर सके कि क्या प्लान होने वाला है। इन्होंने कहा कि हम यहां राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग की एक योजना बनायेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट हम डालेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में कहा था कि राजस्थान में फूड प्रोसेसिंग यूनिट हम डलवायेंगे, उसमें बहुत सारी राहत देंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां पर बैठे हुए मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि इन्होंने एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के प्रपोजल एंटरटेन नहीं किये, कोई प्रपोजल नहीं आये और दूसरे बजट की बात हो गई कि अब हम 20 तारीख को दूसरा बजट रखने जा रहे हैं। आज 18 तारीख को हम बैठे हैं, आज तक एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट का प्रपोजल इनके पास नहीं आया। आप सिर्फ सपना ही दिखाते हो, सिर्फ बजटों में घोषणा ही करते हो कि हम लोग यह करेंगे, वह करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्क्रीनिंग कमेटी इन्होंने बनाई, जिला कलक्टर उसमें अध्यक्ष है। माननीय सभापति महोदय, वहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट के सारे प्रपोजल पैंडिंग पड़े हुए हैं। किसी प्रपोजल को आगे फारवर्ड नहीं करते, क्योंकि आगे से उनको निर्देश होता है, बस आप मीटिंग करो, लेकिन प्रपोजल मत भेजना क्योंकि हमारे पास देने के लिये पैसा नहीं है, इसलिए वह प्रपोजल एज इट इज कैंसिल।

एक इनकी योजना है, कृषक साथी योजना। उस कृषक साथी योजना में अगर किसी किसान की खेत पर काम करते करते डैथ हो जाती है तो 2 लाख रुपये अनुदान के रूप में, भरण पोषण के लिये उसके परिवार को दिया जाता है, लेकिन उस योजना में भी इतने पैंडिंग प्रपोजल पड़े हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि मंत्री जी इस बात पर पूरा काग्नीजेंस लें और जिले से मंगायें कि ऐसे कितने-कितने पैंडिंग इश्यूज पड़े हैं क्योंकि वहां पर कोई देखने वाला ही नहीं है और किसान का जो परिवार है, उस परिवार को जो पैसा मिलना चाहिये, उस पैसे से वह वंचित हो रहा है, उसे कहीं पैसा नहीं मिल रहा है। वह योजना सिर्फ कागजों में चल रही है लेकिन उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्या मतलब है ऐसी योजना का जब उसके परिवार को आप पैसा नहीं दे सकते। इश्यूज पैंडिंग पड़े हैं जो कहीं एंटरटेन नहीं हो रहे हैं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इसलिए, मैं तो एक ही बात कहूंगी कि यह जो सारी योजनाएं बनाते हैं, इन योजनाओं को बनाकर, बड़े-बड़े सपने दिखाना, वह सारे सपने बंद करें और इस बारे में सोचें कि कृषि उपज मंडी में जब फसल कटकर धान आता है तो उस धान के लिये इनके पास कवर्ड वेयर हाउसेज भी नहीं हैं। वह ओपन में पड़े रहते हैं और वहां पर गंदगी होती रहती है। कभी बारिश की छींटे आ जायें तो वह भीग जाता है लेकिन उसके लिये कवर्ड वेयर हाउसेज नहीं हैं, उसकी व्यवस्था करनी चाहिये। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप देते हो, उसका निर्धारण आप समय पर नहीं करते हो। एज ए रिजल्ट किसान अपनी फसल बेचना चाहता है लेकिन सरकार खरीदने में इतना विलम्ब करती है, प्राइसेज डिक्लेयर नहीं करती है, उसके बाद खरीदने में विलम्ब करते हैं, उनको पेमेंट करने में विलम्ब होता है। इन सारी चीजों के लिये किसान के लिये पूरा एक काम्प्रीहैंसिव प्लान बनाइये कि उसको कब बीज की जरूरत है, उसको कब खाद की जरूरत है, उसकी फसल कटकर आयेगी तो कैसे हम लोग उसको वेयर हाउस में रखें और जल्द से जल्द उसको हम कैसे खरीदेंगे। उसकी एमएसपी का कैसे हम जल्दी से जल्दी निर्धारण करेंगे। एक पूरा कैलेंडर प्रोग्राम बनना चाहिये। जब किसान के लिये आप अच्छा सोचते हो तो इस प्रकार का एक काम्प्रीहैंसिव प्लान बनाइए कि किसान के हितों के लिये हम खड़े हैं, न कि किसानों को केवल ऐसे सपने दिखाना कि हम लोग यह योजना बना रहे हैं, कृषक के लिये हमने कल्याण निधि बना दी है, एक हजार करोड़ हम दे रहे हैं और उसकी वाहवाही लूट रहे हैं, उससे नहीं होगा बल्कि किसान को उसके उत्पादन का सही मूल्य, सही समय पर मिलना चाहिये।

इसलिए माननीय सभापति जी, यह जो कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 बिल लेकर आये हैं, मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि इसे 6 माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये और अभी इस बिल को न पास करके इसमें जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं, उन सबकी पूर्ति करके उसके बाद इसको किया जाये, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बिल के बारे में चर्चा की और जैसा कि यह बिल प्रस्तुत किया गया है, किसान कल्याण कोष के स्थान पर कृषक कल्याण कोष। सिर्फ नाम का परिवर्तन है और इससे अधिक कुछ नहीं है। किसान

(श्रीमती अनिता भदेल)

कल्याण कोष जहां कहीं भी आया हो, उसके स्थान पर अभिव्यक्ति कृषक कल्याण कोष होगा। यह शब्दों के परिवर्तन से किसानों का भला होना होता तो आज किसान इस दरवाजे पर आकर खड़ा नहीं होता। आगे आप लिखते हैं कि अधिनियम की उप धारा 2 के खण्ड-ट में 'सरकार के पूर्व अनुमोदन से कृषक कल्याण से संबंधित किन्हीं अन्य क्रियाकलापों को बढ़ावा देना और बोर्ड सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किन्हीं अन्य स्रोतों से निधि जुटा सकेगा।' मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी यह प्रश्न किया है कि कौनसे अन्य स्रोत होंगे जिसके कारण से निधि आयेगी और उसका इस्तेमाल किसानों के कल्याण के लिये होगा।

माननीय सभापति महोदय, यह तो पहले से ही पता है कि किसान कल्याण कोष पहले से बना हुआ है, उसको आपने परिवर्तित कर दिया है और बाकी सारी चीजें आपने लिखी हैं। आपने यह ऋण दस सालों के लिये लिया है। अब यदि प्रति वर्ष हम इसकी बात करें तो आज सुबह जब प्रश्न काल हुआ था, माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि हम यह 500 करोड़ रुपये निधि किसान कल्याण कोष से जुटायेंगे जबकि वर्ष 2020-21 में 81 करोड़ रुपये का ही प्रावधान इसमें इस निधि से होने वाला है। आप देखिए, 2021-22 में 112 करोड़ रुपया और 2022-23 में 199 करोड़ रुपये का इसमें प्रोविजन होगा। आप पहले के वर्षों में नहीं करके चुनाव के अंतिम वर्ष में इस राशि को बढ़ा रहे हैं, प्रोविजन कर रहे हैं ताकि चुनावों में जाने से पहले आप बता सकें कि हमने किसानों के कल्याण के लिये क्या किया।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री का बजट भाषण जो उन्होंने 10 जुलाई को रखा था, उन्होंने कहा कि हमने 20 लाख 46 हजार किसानों की ऋण माफी की है और मुझे खुशी है कि सरकार द्वारा 2 लाख के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कृषि ऋण माफ करने से किसानों की 1 लाख 10 हजार बीघा भूमि रहन मुक्त हो गई है। वाणिज्यिक बैंकों आदि के ऋणी काश्तकारों को ऋण माफी की राहत पहुंचाने के लिये हमारी सरकार ने संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय से संवाद प्रारम्भ किया है। हमने बैंकों द्वारा उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के साथ किये जाने वाले वन टाइम सैटलमेंट की तर्ज पर किसानों के साथ भी ऐसे सैटलमेंट के जरिये ऋण माफी के लिये आग्रह किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम यह प्रक्रिया अपनाकर पात्र किसानों को लाभ दिलवायेंगे। कितनी अच्छी बात लगती है, जब वह सदन में यह बात कहते हैं और जब बजट प्रस्तुत होता है तब लगता है कि पूरे वर्ष भर

(श्रीमती अनिता भदेल)

में, क्योंकि जिस दिन बजट प्रस्तुत होता है, उस दिन यह आशंकाएं व्यक्त नहीं की जा सकतीं कि इस बजट का अक्षरशः पालन होगा या नहीं होगा। लेकिन जब साल का अंत होता है और पता पड़ता है कि बजट का अक्षरशः पालन तो बहुत दूर की बात है, इस बजट में लिखी गई प्रत्येक बात सिर्फ असत्य और असत्य साबित हुई है।

(14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगी, एक प्रकरण जो मेरे जिले का है, मसूदा विधान सभा के चावंडिया गांव का। सांवरलाल पुत्र रामकरण, लक्ष्मी देवी पत्नी रामकरण और प्रेमदेवी पुत्री रामकरण ने किसान यूनियन बैंक से 2,43,381 रुपये कर्जा लिया। यह कर्जा लेने के बाद जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने बिना कुछ आगे-पीछे सोचे-समझे कि इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है, यह प्रदेश किसानों का ऋण माफ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा और आनन-फानन में 10 दिन में सम्पूर्ण कर्जा माफी की घोषणा कर दी। उन्होंने तो कभी खेती नहीं की। वे तो चांदी का क्या, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, इसलिए गरीबी का उनको पता नहीं, पर प्रदेश के अध्यक्ष जी को तो जानकारी थी, वे तो गांव-गांव घूमे थे, उन्हें तो ध्यान था। उन्होंने यह घोषणा कैसे करा दी? वे अब कह रहे है कि राजस्थान की सरकार केन्द्र सरकार से आग्रह करेगी।

माननीय सभापति महोदय, यह जो ऋण उन्होंने लिया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि लक्ष्मी देवी जी की डैथ हो गयी, अब उनका बेटा सांवरलाल बचा। उसको मसूदा के एसडीओ ने नोटिस जारी कर दिया और मसूदा के एसडीओ ने नोटिस जारी करके कहा कि 55,551 रुपये की रकम या तो आप ब्याज सहित जमा कराएं, नहीं तो आपके यहां कुर्की की जाएगी और कुर्की की तारीख 2 जनवरी, 2020 तय कर दी। वह किसान इस बात के लिए मारा-मारा फिर रहा है कि क्या करे? मुख्य मंत्री जी का प्रमाण-पत्र भी उनको प्राप्त है कि वाणिज्यिक बैंकों के कर्जे भी माफ किये जाएंगे और उस प्रमाण-पत्र को लेकर वह मुख्य मंत्री जी की जन सुनवाई में आता है। मुख्य मंत्री जन सुनवाई में कलक्टर को 10 जनवरी को चिट्ठी लिखते हैं और 10 जनवरी को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि आप इसे देखिए। कलक्टर क्या देखेगा? उसको पता है, पैसा तो है नहीं। वाणिज्यिक बैंकों से तो कर्जा माफ नहीं हो रहा है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

उन गरीब किसानों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? आप उसको दर-दर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हो। उसको साफ कह दो ताकि वह इस आशा में न रहे कि मेरा कर्जा माफ होगा। एसडीओ उसकी कुर्की करने जा रहे हैं। सरकार को पता नहीं है कि कितने एसडीओ ने कुर्की निकाली है, वाणिज्यिक बैंकों के कर्जदारों की, उनको आगे कर्ज नहीं मिल रहा है। इस तरह से पूरी तरह से असत्य बोलने वाली सरकार को यह किसान माफ नहीं करेगा।

माननीय सभापति महोदय, यह कहा जा रहा था कि सम्मान निधि जो केन्द्र सरकार से माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने प्रारम्भ की है, वह हमने किसानों को 100 परसेंट दिलाने की बात की है। मैं मेरे अजमेर जिले का उदाहरण देती हूं, वे छह किसान जो कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के तो नहीं हैं, पर हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको फुर्सत नहीं है, उन किसानों की चिंता करने की। इसलिए वे छह किसान, चूंकि अनुसूचित जाति से वे आते हैं, इसलिए उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। मैं आपको नाम बता रही हूं। ये छह किसान हैं जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना के पात्र हैं, ग्राम पंचायत पगाड़ा तहसील भिनाय, रामलाल पुत्र श्री हुकमाराम, अर्जुनपुरा, कमला W/o राम लाल, कंचन w/o धर्मेन्द्र बैरवा, संदीप s/o रामलाल बैरवा, प्रेम प्रकाशी देवी w/o संदीप बैरवा, धर्मेन्द्र s/o मलाल बैरवा। जनवरी, 2019 से उनको आज तक एक भी किश्त नहीं मिली है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यदि आप वास्तव में किसानों की भलाई कराना चाहते हैं, किसानों को समय पर बिजली देना चाहते हैं, किसानों को समय पर बीज देना चाहते हैं और किसानों को खाद समय पर देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसकी पूर्व में व्यवस्था कीजिए, आनन-फानन में आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करती हूं कि जिस तरह से इन्होंने बात कही है, बिजली की सब्सिडी इन्होंने किसानों की खतम कर दी कि हम बिजली की सब्सिडी नहीं देंगे। दूसरी तरफ बिजली की रेटों में बढ़ोतरी कर दी। अब वह किसान परेशान है कि एक तरफ तो सब्सिडी बंद हो गयी और एक तरफ बिजली की दरें बढ़ा दीं। इतनी ठंड में यदि आप किसान को रात को बिजली देंगे तो कैसे वह व्यक्ति अपने खेत पर जाकर काम करेगा। आप चाहते हैं किसान जो कि अन्नदाता है, वह सबको अन्न दे, लेकिन उसको आप

(श्रीमती अनिता भदेल)

बिजली रात में देंगे, दिन में नहीं देंगे, यह कैसा अन्याय है, यह कैसा उनका सम्मान है? आप किस तरह से उनकी बहबूदी चाहते हो, आप किस तरह से उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं।

मेरे भाई अभी कह रहे थे, कि पिछली बार समर्थन मूल्य पर जो फसलें खरीदी गयीं, उन खरीदी गयी फसलों का जो मूल्य है, वह आज तक सरकार ने नहीं दिया है। आने वाली तैयारी क्या होगी, जब हमारा पिछला ही बाकी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो बिल है, यह जो संशोधन लेकर आये हैं। मंडियों में एक पैसा खर्च नहीं हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, यहां तक सरकार की योजना में, एक सुलभ काम्प्लैक्स जो कि अजमेर की मंडी में बनना है, उसकी एनओसी के लिए डायरेक्ट्रेट में पिछले छह महीने से फाइल पैंडिंग है। वह केन्द्र सरकार का बजट है। किसान जो दूर-दूर के गांवों से आते हैं, यदि उनको रात को ठहरने की व्यवस्था मिल जाए, सुबह शौच जाने की व्यवस्था मिल जाए तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन सरकार इतनी सोयी हुई है, इनमें बिल्कुल भी कोई गुड गवर्नेंस नाम की चीज ही नहीं है। इसलिए छह-छह महीने से पत्रावलियां लम्बित हैं। मंडियों को कोई देखने वाला नहीं है।

जैसे अभी राजसमन्द से आने वाली मेरी बहन कह रही थी कि मंडियों में सैक्रेटीज नहीं हैं, पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और यही हाल मेरे अजमेर की अनाज मंडी और फल मंडी का है। वे मंडियां पूरी तरह से गंदगी से व्याप्त हैं। जो प्लेटफार्म हैं, जहां किसानों की फसलें बेची जाती हैं, उन प्लेटफार्म पर अतिक्रमण हो गया है। अतिक्रमण भी प्रभावशाली लोगों के द्वारा ही किया गया है, क्योंकि उनकी सरकार है, इसलिए उनको लगता है कि हमें अतिक्रमण करने से कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए जितने चाहे उतने अतिक्रमण करो। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह सरकार किसान विरोधी है, किसान को धोखा देने वाली सरकार है। किसान अब इनके धोखे में नहीं आने वाला है और यह जो बिल आप लेकर आये हैं, इस बिल को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, देश की जनता को, देश के किसानों को एक सपना दिखाया था कि 2022 तक किसानों की

(श्री संयम लोढ़ा)

आय दोगुनी होगी। हम 2022 के दरवाजे पर खड़े हैं, क्या 2020 में हम उसके आस-पास भी खड़े दिखायी देते हैं? माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार के बहुत ही पसंदीदा नीति आयोग जिसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, उसने खुद ने 2011-2016 के आकलन के आधार पर कहा है कि किसान की आय पांच साल में सिर्फ 0.44 परसेंट बढ़ी है और फूड इंफ्लेशन 2.8 परसेंट बढ़ा है। माननीय सभापति महोदय, आप अंदाजा लगाइये। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। भारत सरकार की ओर से अधिकृत संस्था का दस्तावेज कह रहा है कि किसान की आय किस मुकाम पर खड़ी हुई है। इकोनोमिक सर्वे आफ इण्डिया 2016, उसका यह कहना है कि 17 राज्यों में किसानों की वार्षिक आय 20 हजार रुपये सालाना है, मतलब सिर्फ 17 सौ रुपये प्रति महीना। माननीय सभापति महोदय, पिछले 22 सालों में इस देश में 2 लाख 30 हजार किसानों ने आत्महत्या की है। मतलब हर साल 12 हजार किसानों ने आत्महत्या की है और रोजाना 33 किसानों ने आत्महत्या की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जून 2018 का वह महीना, जब देश की सत्ता पर श्री नरेंद्र मोदी विराजमान थे और देश के 10 राज्यों में एक साथ किसानों ने आंदोलन शुरू किया था और हजारों की तादाद में किसान दिल्ली पहुंचे थे, प्रधान मंत्री के निवास से ठीक कुछ दूरी पर। उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था, वह आप और हमसे छिपा हुआ नहीं है। देश के प्रधान मंत्री पद के दावेदार, श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की जनता को भाषण दिया था- भाइयों और बहनों, किसान भाइयों, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, नरेन्द्र मोदी की सरकार आने के बाद तुम्हारा कर्जा, नरेन्द्र मोदी का कर्जा होगा। वह भाषण आज भी यू-ट्यूब और सोशल मीडिया पर मौजूद है, इंटरनेट पर मौजूद है। क्या पूरे देश के किसानों की तरफ से, मैं देश के प्रधान को यह याद दिला सकता हूं कि आपके उस वादे का क्या हुआ? आप जिनको मौनी बाबा कहते थे, वे मौनी बाबा आपसे बहुत बेहतर साबित हुए थे, जिन्होंने 2008 के अंदर देश के किसानों का 85 हजार करोड़ रुपये का कर्जा एक आदेश से माफ किया। आपको क्या हो गया है? किसानों को यह कहा कि हम मिडिल मैन को खतम करेंगे। आपकी आय को दोगुना करेंगे। आपकी जितनी लागत है, उस पर पचास परसेंट मुनाफा हम दिलाने का आपसे वादा करते हैं, तब आपको दिल्ली की हुकूमत में आने का मौका मिला, लेकिन हुकूमत में आने के बाद में क्या? आप किसान

(श्री संयम लोढ़ा)

सम्मान निधि लेकर आए। उसे अपनी उपलब्धियों का दस्तावेज बताते हैं। क्या है किसान सम्मान निधि? 12 महीने के 6 हजार रुपये, महीने के 500 रुपये, दिन के 17 रुपये, दिन के 17 रुपये देकर उस किसान को क्या देना चाहते हैं आप? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका मौका आए तब बोलकर बताइए। बीच में इंटरवीन मत कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आप, दिल्ली में बैठी हुई सरकार, जो किसानों के जनादेश के आधार पर राज में आई है। साढ़े पांच लाख करोड़ पूंजीपतियों का वह कर्जा माफ कर सकती है, किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकती। एक स्टेच्यू पर तीन हजार करोड़ रुपया खर्च कर सकती है, मरते हुए किसान को जीवनदान देने के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकती है। अपनी सरकार की उपलब्धियों के प्रचार पर चार हजार करोड़ रुपया खर्च कर सकती है, नंगे बदन बैठे हुए उस किसान को वस्त्र नहीं दे सकती है। जियो, वोडाफोन, एयरटेल इनको पैकेज देने का काम कर सकती है परंतु भूखे किसान को दो रोटी देने का काम नहीं कर सकती।

माननीय सभापति महोदय, आज पूरे देश का किसान आहत है। अभी हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता कह रहे थे, आत्मा की बात कर रहे थे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि जब आपकी सरकार थी 2017-18 में ख़रीफ़ और रबी की फसल बीमा का 208 करोड़ 79 लाख रुपया बकाया क्यों रहा? आपने उसका प्रावधान क्यों नहीं किया? क्या मैं पूछ सकता हूं कि खरीफ की फसल का 2018 का 433 करोड़ 35 लाख रुपया फसल बीमा का आप क्यों नहीं चुका पाए? आपने उसका प्रावधान क्यों नहीं किया? क्या मैं पूछ सकता हूं कि रबी की 2018-19 की फसल बीमा का 339 करोड़ 71 लाख रुपये का भुगतान आपने क्यों नहीं किया? क्या मैं पूछ सकता हूं खरीफ की फसल 2019 का 53 करोड़ 8 लाख रुपये का भुगतान भी किसने किया? 980 करोड़ रुपये का भुगतान आपके वक्त का था, वह राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने सत्ता संभालने के बाद में किसानों को किया। इसलिए आपको आत्मा की बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है।

आज का दिन राजस्थान के कृषि जगत के इतिहास में राजस्थान के किसानों के लिहाज से एक ऐतिहासिक दिन है कि जब राजस्थान की सरकार

(श्री संयम लोढ़ा)

ने उस कांसेप्ट को बदला है, जिन सीमाओं के अंदर कृषक कल्याण कोष को बांधा हुआ था, उन सीमाओं से मुक्त करते हुए किसानों के हित में एक नई बयार लाने का काम राजस्थान की सरकार ने इस एक्ट के माध्यम से किया है, अमेंडमेंट के माध्यम से किया है। वर्ष 2019-20 के बजट में माननीय मुख्य मंत्री ने इस कृषक कल्याण कोष के एक हजार करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की थी। पहले इस कोष के माध्यम से हम क्या कर सकते थे? प्रोडक्शन से मार्केटिंग का इसमें कवर हो रहा था। अब इसका दायरा बढ़ाने का काम किया है। आने वाले वक्त में इस कोष का उपयोग एग्रो-प्रोसेसिंग, कृषि बिजनस, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन तक किया जा सकेगा। सरकार के पास पैसा होगा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अगर खरीद की जायेगी तो उसका भुगतान किया जा सकेगा। पैसा ही नहीं होगा तो क्या तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आप खरीद करेंगे और क्या उसका भुगतान करेंगे? जो यह प्रावधान किया है, उसके माध्यम से राजस्थान के किसान के कठिन दिन जाने वाले हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का उसको तुरंत भुगतान किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, किसान की फसल का भाव गिर जाये तो राजस्थान सरकार के पास क्या साधन है कि वह उसकी मदद करे। इस कृषक कल्याण कोष का जो दायरा बढ़ाया गया है, इसके माध्यम से यदि किसान की फसल का भाव गिर गया तो खरीद की व्यवस्था सरकार कर सकेगी। उस किसान को हानि से बचा सकेगी। इस क्रांतिकारी कदम के लिए पक्ष और प्रतिपक्ष एक स्वर से सबको राजस्थान के मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि किसान की उपज के भाव कम हो गये, क्या होगा? अगर हम चाहते हैं कि किसान का बचाव किया जाये। मजबूरी में उस किसान को अपनी उपज नहीं बेचनी पड़े, क्या रास्ता है आज सरकार के पास में, बताइए? यदि इस कोष का दायरा बढ़ाया जायेगा तो सरकार उस किसान की फसल को अपने पास गिरवी रख सकेगी। फसल को गिरवी रखकर उस किसान को पैसा दे सकेगी जिससे उसे कम दाम में उपज को नहीं बेचना पड़े।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस अमेंडमेंट में कहा है कि अन्य स्रोत से पैसे की व्यवस्था करेंगे। क्या बुराई है इसमें? आप इसमें क्यों संदेह कर रहे हैं? अभी जैसा कि

(श्री संयम लोढ़ा)

बिल में कहा है एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की और माननीय मंत्री जी ने आज ही सुबह सदन में जवाब दिया है कि हमने 500 करोड़ रुपये का राज्यांश का पैसा, इस पैसे के जरिये मार्केटिंग बोर्ड से लेकर हमने अदा करने का निर्णय किया है। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इस एक्ट से, अमेंडमेंट में लाने से सीधा-सीधा किसानों को क्या लाभ हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय प्रतिपक्ष के उपनेता, आपने डिग्गियों का निर्माण करवाया था 2018-19 में, पेमेंट किया था? 118 करोड़ रुपये बाकी पड़ा हुआ है। ये 118 करोड़ रुपये डिग्गियों के निर्माण का पेमेंट भी इस कोष के जरिये किया जा सकेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आपको जो भी सैस लगाना पड़े आप लगाइए और इस किसान कल्याण कोष के अंदर पैसा इकट्ठा कीजिए। आप दारू पर सैस लगाइए, आप सिगरेट पर सैस लगाइए, आप बीड़ी पर सैस लगाइए, ऐसी जो भी वस्तु जो विलासिता की है, उस पर कृषक सैस लगाइए, आप पैसा इकट्ठा कीजिए। हमें जनादेश दिया है और हमारा दायित्व है कि राजस्थान में एक भी किसान भूख से मरना नहीं चाहिए, एक भी किसान आत्महत्या नहीं करना चाहिए। किसी भी स्रोत से हो, भामाशाह के माध्यम से हो, सैस के माध्यम से हो, आप धन किसान कल्याण कोष में एकत्र कीजिए और राजस्थान के किसानों ने इतने सालों तक जो कष्ट देखें हैं, तकलीफ देखी है, रात में कड़ाके की ठंड में पानी में खड़ा रहकर वह किसान देश के अनाज के गोदाम भरता है, उसका पेट खाली रह जाता है। उसका पेट खाली नहीं रहना चाहिए। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनके परिवार को अच्छा जीवन मिलना चाहिए और इसके लिए जो कदम उठाना हो, वह सरकार को उठाना चाहिए। भामाशाह से हो, कारपोरेट से हो, कंपनी से हो, कहीं से भी हो, आप तो पैसा लाइए और किसान कल्याण कोष में जमा कराइए जिससे हमारे किसानों के दिन फिर सके। इतने सालों में जो दु:ख उन किसानों ने देखा है, उसका निवारण हो सके। इस एक्ट के लिए, इस अमेंडमेंट के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है वह प्रस्ताव मैं वापस लेता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर आज सदन में चर्चा हो रही है। मैं भी इसमें आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो संशोधन 2019-20 का लाया गया है और एक कृषक कल्याण कोष का गठन किया है और इसमें एक हजार करोड़ देने की बात की है, ये एक हजार करोड़ भी बैंक से लोन लेकर चलाने की बात की है। मैं कहना चाहूंगा "पल्ले नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने", कृषक कल्याण कोष का गठन तो हुआ नहीं। आज ही मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा, कि एक हजार करोड़ रुपया बीमा का प्रीमियम, कृषक कल्याण कोष से दे दिया है और 500 करोड़ का प्रीमियम हम 15 दिन के अंदर देंगे। मुझे समझ नहीं आता, आप 600 करोड़ रुपये एक हजार करोड़ में से केवल फसल के प्रीमियम में दे देंगे, तो किसान कल्याण कोष से कृषक कल्याण कोष, यह नाम ही बदलते रहो और सबके सुझाव मांगते रहो, मुझे नहीं लगता है कि इस कोष से कोई फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, सरकार किसानों के हित की बात कर रही है। अभी विधान सभा चल रही है। कल ही मेरा व राठौड़ साहब का स्थगन लगा था। आप किसान के हितैषी हैं, तो किसान की सब्सिड़ी पिछले दो महीने से क्यों बंद की? आप किसान के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप किसान के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? अगर आप किसान के हितैषी हो, तो ऋण माफी का था कि किसान का दस दिन में ऋण माफ कर देंगे, कोआपरेटिव के छोटे-मोटे सर्टिफ़िकेट दे दिए। नेशनलाइज्ड बैंक के लिए आप बार-बार कह रहे हैं कि देश के प्रधान मंत्री जी को हमने चिट्ठी लिखी है। मैं मुख्यमंत्री जी और सदन के नेता से कहना चाहूंगा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यह भाषण के टाइम कह देते कि देश के प्रधान मंत्री सहमत होंगे तो ही हम करेंगे। आनन-फानन में घोषणा आपने कर दी और कुछ भी नहीं किया। किसानों को लोन दे रहे हैं उसमें आपने साख सीमा लगा दी है, एक राइडर लगा दिया है। किसान की 1,00,000 रुपये की साख सीमा है, मुश्किल से आप उसको 20,000 रुपये लोन दे रहे हैं।

अभी सिरोही से आने वाले सदस्य बहुत जोस्जोर से बातें कर रहे थे। देश के प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी होगी। इसके लिए केन्द्र सरकार ने, पिछले समय में समर्थन मूल्य बढ़ाया। अब किसान को डेढ़ गुना अधिक समर्थन मूल्य बढ़ने के कारण पैसा मिल रहा है।

(श्री नारायण सिंह देवल)

माननीय सभापति महोदय, सरकार किसान के हित की बात कर रही है। अभी राजस्थान के 13 ज़िलों में टिड्डी से किसानों की फसल तबाह हो गई। जिस किसान की फसल बची है या थोड़ी बहुत खराब हुई है उसको सरकार अगर कृषक कल्याण कोष के माध्यम से एमएसपी पर बोनस देती, तो मुझे लगता कि यह सरकार किसान की हितैषी है और किसान का भला कर सकती है। मैंने इस एक्ट को पढ़ा है। कृषक कल्याण कोष के गठन का उद्देश्य है किसान की जो फसल है, एमएसपी पर बोनस देंगे, यह अच्छी बात है। माननीय सभापति महोदय, बाड़मेर के दो किसानों की टिड्डी हमले के कारण मौत हुई। अभी पहले भी चर्चा हुई है। सरकार इस कृषक कल्याण कोष के माध्यम से उन दो परिवारों को न्याय देने की मंशा रखती है या नहीं? अगर देती तो कृषक कल्याण कोष का सही उद्देश्य समझ में आता।

माननीय सभापति महोदय, कृषक कल्याण कोष के गठन का उद्देश्य और मंशा यह है कि किसानों को उनकी फसल का अधिक से अधिक मूल्य मिले। मैं कहना चाहूंगा कि देश के प्रधान मंत्री जी ने किसान की फसल दोगुनी कैसे हो, इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की। पिछले समय 68000 हैक्टेयर में यह किट दिए गए। इस सरकार के आते ही एक साल के अंदर 16000 हैक्टेयर में किट बांटे गए हैं। मेरी मांग है कि कृषक कल्याण कोष के माध्यम से जमीन की गुणवत्ता के लिए, लैबोरेटरी का भी प्रोविजन किया जाए, ताकि किसान को समझ आ सके कि कौन सी फसल बोने से ज्यादा पैदावार हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, हमारा रानीवाड़ा गुजरात से टच है। अधिकांश किसान अपनी फसल गुजरात की मंडियों में बेच देते हैं, इनको रोकना चाहिए। उन किसानों को पूरा मूल्य मिलेगा, तब ही वह रुक सकते हैं। हमारे यहां रानीवाड़ा, सांचौर और बाड़मेर में खजूर व अनार की बहुत पैदावार होती है, उसके लिए इंश्योरेंस का प्रोविजन नहीं है। मैं मांग करता हूं कि इन दोनों फ़सलों का इंश्योरेंस किया जाए। अनार और खजूर जब बाजार में आते हैं, तो किसान अपने को ठगा-सा महसूस करता है, क्योंकि यहां पर भाव 100 रुपये है और वहां किसान को 20-25 रुपये में ही बेचना पड़ता है, वहां पर मंडी खोली जाए, ताकि किसान को सही लाभ मिल सके।

हमारे विधान सभा रानीवाड़ा में कृषि उपज मंडी बनी हुई है एक साल

(श्री नारायण सिंह देवल)

से सचिव का पद खाली है, कोई कर्मचारी नहीं है, केवल एक संविदा पर लगा हुआ कर्मचारी है। मैं मांग करता हूं कि यह पोस्ट भरी जाए। मेरी मांग है कि इस संशोधन विधेयक को जनमत जानने के लिए छह माह तक परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, कृषि उपज मंडी किसान से जुडा हुआ, कई सालों से सब बात करते हैं, सबकी भावना किसान के प्रति है। उसके उपरांत भी जो वर्तमान हालात हैं, केन्द्र सरकार की तरफ से भी बात आती है कि किसान की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन आज वास्तविक आकलन किया जाए, कोई भी व्यापार, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, जो निर्माण करता है उसकी लागत और उसकी मेहनत जोड़कर, मुनाफा जोड़कर, मार्केट में उनकी रेट तय होती है। फसल को अन्नदाता किसान पैदा करता है, मंडी में जाने के बाद उनके हाथ में रेट नहीं होती है, कम दामों में देने से किसान के लिए खेती घाटे का सौदा साबित हो रहा है। अगर यही हालात रहे तो खेती से लोगों का, किसानों का मोह भंग हो जाएगा। लोग दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं। वैसे तो सरकार की तरफ से कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं। किसान मजबूत कैसे हो, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने, किसान और पशुपालन यह आपस में जुड़े हैं, प्रति लीटर बोनस देकर किसान को मजबूत करने का प्रयास किया है। किसान कल्याण कोष के माध्यम से, किसान मजबूत कैसे हो, किसान मुनाफे में कैसे आए, लेकिन यह चिंता का विषय है कि दिनों दिन मोह भंग होता जा रहा है। कल भी आर्गेनिक खेती की बातें कर रहे थे। रसायन का उपयोग नहीं हो, रसायन का उपयोग नहीं करने के बावजूद भी खेती मुनाफ़े में नहीं आ रही है, यह बहुत चिंताजनक है। सबकी भावना है अपन सभी मिलकर ऐसे सुझाव, ऐसा फैसला, ऐसा निर्णय दिल से किसान के हित में लें, तब समझेंगे कि अपन वास्तव में किसान का भला चाहते हैं।

कई सालों से बाड़मेर ज़िले में जीरे का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। वह जीरा गुजरात जा रहा है। गुजरात के व्यापारी मुनाफा कमा रहे हैं। लंबे समय से मांग है कि जीरा मण्डी बाड़मेर में विकसित हो। अन्नदाता किसान जीरा पैदा करता है, क्वालिटी के हिसाब से देखें तो इसके मुकाबले और कहीं जीरे की पैदावार नहीं होती है। पैदा होने के बावजूद भी उनको सही

(श्री मदन प्रजापत)

मुनाफा और रेट नहीं मिलता है। आगे वैसे भी किसान घाटे में है। खेती से लोगों का मोह भंग हो रहा है। आज क्यों न जीरा मंडी शानदार विकसित हो, ताकि किसान को गुजरात नहीं जाना पड़े। गुजरात की जगह जहां पैदा होता है बाड़मेर में, वहीं मंडी के माध्यम से अपने भाव-तौल से वह आराम से बेच सके।

अपन कभी नहीं समझते थे कि ये सीमांत बाड़मेर, रेगिस्तान में अनार और खजूर पैदा होगा। आज दुबई की तर्ज पर, वहां भी तेल निकलता है और बाड़मेर में भी तेल उत्पादन हो रहा है। प्रकृति और ऊपर वाले की जो मेहरबानी है, खनिज के अथाह भण्डार के बाद वहां अनार और खजूर, पिछले दस सालों से किसानों का रुझान इन उद्यानी खेती के प्रति बढ़ा है, लेकिन दो सालों तक, और ये गत तीन सालों में हालात इतने खराब हो गये, क्यों जीरे के लिये गुजरात जाना पड़ता है, लेकिन अनार के लिये तो कहा जाए, दो-चार दिन से ज्यादा तो इनको रोक भी नहीं सकते। नहीं रोकने की वजह से लाखों रुपये लगाने के बावजूद भी अनार और खजूर की मंडी नहीं होने के कारण किसान मात्र 10-20 रुपयों में, जहां आलू और टमाटर भी नहीं मिलता, और आज बाड़मेर में हमने आंखों से देखा कि किसान इधर-उधर भटक रहा है कि कोई न कोई अनार लेने वाला व्यापारी आये। कई बार चीटिंग करके, कइयों ने तो धोखा ही कर दिया कि कई रेट बढ़ाकर, पंजाब से आ रहा हूं, गुजरात से आ रहा हूं, और विश्वास और भरोसा करके अनपढ़ किसानों के साथ कहीं तो धोखे भी हो गये, और कहीं धोखे नहीं हुए तो रेट नहीं मिलती है। उनकी लागत की रेट नहीं मिलने से अगर यह शानदार अनार और खजूर, जो पैदा हो रही है, धीरे-धीरे बाकी खेती से, जो लोगों का रुझान घटा है, मोह भंग हुआ है, इसी तरह अगर अपन किसान का भला चाहते हैं तो उनका मैन्युफेक्चरिंग, चाहे जूस का हो, मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं, माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी को कि जो भी खेती से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार लगायेगा, उनको दस हैक्टेयर तक कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, कोई नम्बर लेने की जरूरत नहीं है। ये फैसला स्वागत योग्य है। इनका व्यापारी, व्यापार और मंडी या कोई ऐसी फैक्ट्री जूस की लगे ताकि किसान को अनार के पूरे दाम मिल सकें। माननीय सभापति महोदय, मुझे पूरा भरोसा है, सपने में भी नहीं सोचा था, जब पहली बार एक-दो काश्तकार ने शुरुआत की तो लोग मजाक समझ रहे थे कि बाड़मेर धोरों में कहां से अनार पैदा होगा, कहां

(श्री मदन प्रजापत)

से खजूर पैदा होगी। लेकिन किसान ने मेहनत करके यह साबित कर दिया कि सबसे उच्च क्वालिटी का अनार, जिनकी एक ही साइज 400 ग्राम, 500 ग्राम, 300 ग्राम से ऊपर है, वही शानदार कलर, इतना होने के बावजूद भी अगर वह छह महीने में पकने के बाद में तैयार होता है, दिसम्बर और जनवरी में और 15 मार्च तक उनका अनार पक जाता है, उनको व्यापारी नहीं मिलने से अगर ये मंडी और व्यापार के लिये राजनीति छोड़कर अपने सुझाव कोई बुद्धिजीवी दे कि इनका क्या किया जाये तो यह अनार की खेती जिंदा रह सकती है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सदस्य।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): बिलकुल आपकी बात है। लेकिन मेरा मतलब यह है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): बिलकुल चुनौती। बाड़मेर में तो तेल ...(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): 000

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): पिछले 10-11 सालों में धीरे-धीरे इनका रकबा इतना बढ़ गया कि लेने वाले व्यापारी तो कम हो गये और उत्पादन ज्यादा बढ़ गया। अनाज को तो अपन महीने-दो महीने रोक भी सकते हैं, लेकिन ये ऐसा फ्रूट, इनको दो-चार दिन से ज्यादा अपन नहीं रोक सकते। सौ-डेढ़ सौ किलोमीटर में कोई भण्डारण की व्यवस्था, कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है। कोल्ड स्टोरेज में रखे भी रहें तो उनका वज़न निरंतर घट जाता है, शायद थोड़ा-बहुत रेट बढ़ भी जाये तो वज़न में घटत आने से बात वही रह जाती है। इसलिये किसान अनार तो पैदा कर रहा है, इतना चिंताजनक विषय बन गया, या खेती करना बंद करे या उनके पूरे दाम मिले। शायद वही हालत खजूर की है, जो खजूर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, तीन-चार क्वालिटी में जो खजूर होती है। अनार में भी दो तरह की है, सिंदूर और भगवा, अलग-अलग उनकी क्वालिटी के नाम हैं। कई लोगों ने सादे पौधे लगाये, कइयों ने टिश्यू कल्चर, आधुनिक तरीके से महंगे पौधे लाकर लगाये कि मेरा उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा। उत्पादन तो शानदार हो रहा है, क्वालिटी शानदार है लेकिन दें किसको,

(श्री मदन प्रजापत)

लेने वाला कोई नहीं है। एक जमाना था, जो बोर काचरा की तरह आज अनार के खेतों में ढेर लगे हुए पड़े हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप किसान का भला चाहते हैं तो उनका व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां लगें ताकि उनके पूरे दाम मिल सकें। इनके अलावा और भी कई सुझाव हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, किसान जो खेती करते हुए अगर दुर्घटना, भगवान चाहे नहीं हो लेकिन उनके परिवार को मजबूती मिले, यह भी राजीव गांधी कृषक सहायता योजना के अंतर्गत उनकी कई समय से जो मदद की जा रही है। हम चाहते हैं कि जीरा मंडी हो और अनार खरीदने के लिये कुछ व्यवस्था हो।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): इनके अलावा, मैं पुन: आभार व्यक्त करता हूं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, उन्होंने किसान कल्याण कोष के लिये एक हजार करोड़ की व्यवस्था की है। इनके अलावा और भी कई, जो दो दिन बाद में बजट आएगा, उसमें हमें पूरा भरोसा है कि माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी किसान हितैषी हैं, किसान के हित में फैसला लेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): और अपन सभी मिलकर ऐसा प्रयास करें कि वास्तव में दिखावे की बजाय दिल से किसान का अपन भला कैसे कर सकते हैं क्योंकि ज्यादातर जो माननीय सदस्य हैं, वे खेती और किसान से जुड़े हुए हैं। सभापति महोदय, मैं मेरा संशोधन वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 के संशोधन पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, हम आज किसानों के लिये चिंतित हैं, पूरा सदन किसान की बात कर रहा है। पूरा सदन किसान की चिंता कर रहा है लेकिन बहुत हास्यास्पद बात है, इस बिल के अन्दर जो अमैंडमेंट लेकर आये हैं, उसके अन्दर 'किसान कल्याण कोष' के स्थान पर 'कृषक कल्याण कोष',

(श्री अभिनेश महर्षि)

इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मुझे पता नहीं है, यह बनाने वाले कौन व्यक्ति हैं जो किसान और कृषक के अन्दर, या तो उनको पता हो, वे बहुत बड़े विद्वान हैं, जिनको यह मालूम नहीं है कि किसान और कृषक तो एक ही होता है। उसके अन्दर ये बदलाव की बात है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है माननीय सभापति महोदय, कि इनके नेता, सरकार में बैठे लोग जो यह बिल लेकर आये हैं, इनके नेताजी को जैसे पता नहीं है कि कपास जमीन के अंदर से पैदा होता है या पौधे के ऊपर से पैदा होता है। उन्हीं नेता की पार्टी के लोग ये बिल लेकर आये हैं, जिनको यह मालूम नहीं है कि किसान और कृषक के अन्दर भी कोई अंतर होता है। जो आलू को डालकर सोना पैदा करने की बात करने वाले लोग हैं। जो किसान, जिस व्यक्ति ने खेत का मुंह नहीं देखा... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिल पर भी बोल लीजिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मैं किसान के बारे में बोल रहा हूं। मैं डिबेट किसान के ऊपर कर रहा हूं और इस बिल के ऊपर अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। श्रीमान, किसी को भी ज्यादा चिंतित नहीं होने की आवश्यकता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बहुत बड़ेबड़े हाथ ऊपर करके अभी कह रहे थे कि किसान भाइयों, किसान भाइयों को बोलने की ताकत होनी चाहिए क्योंकि जब किसान को रात को सर्दी के अंदर पाले के अंदर आप बिजली देते हैं न, उस वक्त किसान उस बिजली से अपनी पैदावार के अंदर पानी देता है, उस किसान के दर्द को वही व्यक्ति समझ सकता है, जो किसानी का काम करता है।

माननीय सभापति महोदय, हमने काम किया है। सौ बीघा खेत के अंदर हमने हल चलाया है। सात भाई हैं, सातों ने चलाया है। मेरे भाई माननीय सदस्य, श्री हरीशजी पुलिस के अंदर बाद में आए थे, उससे पहले हमने खेती का काम किया है। मुझे पता है कि हल के अंदर चऊं कहां लगती है और कुश कहां लगती है, पुरारी क्या होती है, पीनणी क्या होती है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके नेता जी ने बिना सोचेसमझे 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ कर देंगे, यह बात कहते हुए, उनको यह मालूम नहीं था कि 10 दिन के अंदर कौनसा कर्जा माफ करेंगे? बोल तो गए लेकिन गले में आ गई सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों के, सदन के नेता जी को जवाब देने में पसीना आ गया और वह यह कहकर अपनी बला टाल गए कि भाई,

(श्री अभिनेश महर्षि)

राष्ट्रीयकृत बैंकों का पैसा तो हम लोगों ने यह सोचा था कि भारत सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह कहेगी। भाई, क्यों कहेगी भारत सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों को? आपने यह जिम्मा लिया था, किसान का कर्जा माफ कराने के लिए, आज राजस्थान सरकार कोष की व्यवस्था करती और वह किसान का कर्जा चाहे कोई भी बैंक हो, उन बैंक के खातों के अंदर डालकर उस किसान को सर्टिफिकेट देती। यह बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हमने को-आपरेटिव बैंकों का तो कर दिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों का नहीं करेंगे। आप यह उस वक्त कहते या यह कह देते कि हम झोला लेकर, कटोरा लेकर भारत सरकार के सामने जाएंगे और वहां जाकर कहेंगे कि हमारे किसानों का कर्जा माफ कर दो।

आज सदन के अंदर चर्चा कर रहे हो, आप लोगों को थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए कि जब सदन के अंदर किसान की चर्चा हो रही है, उस वक्त किसान कर्जे से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं और डेड बॉडी को लेकर किसान बैठा हुआ है। आपने उस किसान की चिंता की? आप किसान की चिंता नहीं करते। कृषि उपज मंडियों को पंगु बनाकर छोड़ दिया। कृषि उपज मंडियों के चुनाव कराओ, वहां पर प्रतिनिधि चुनकर भेजो जो किसान की बात कर सके। वहां पर आई.ए.एस. अधिकारी, वहां पर आर.ए.एस. अधिकारी बैठे हैं जिनको किसान के बारे में पता नहीं है, जिनको मीटिंग करने की फुर्सत नहीं है, वह लोग वहां पर बैठकर बात कर रहे हैं। आज किसान की खेती का काम करते वक्त जब उसकी डैथ हो जाती है, उसके अंदर कितने पैंडिंग केसेज पड़े हुए हैं? अभी हमारी माननीय सदस्या, श्रीमती किरण माहेश्वरी जी कह रही थीं कि उसके अंदर कितने पैंडिंग केसेज पड़े हुए हैं? मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। अनेकों ऐसे पैंडिंग केसेज पड़े हुए हैं, जहां खेती का काम करते हुए उसकी डैथ हो गई तो उसको यह थोड़ा सा पैसा देते हैं। उसके परिवार का जीवनयापन चलाने के लिए दो लाख रुपये पर्याप्त नहीं है। यदि किसान के भले की बात करना चाहते हैं तो आप यह कर दीजिए कि यदि खेती का काम करते हुए उसकी डैथ हो जाती है तो 10 लाख रुपया देंगे। 10 लाख रुपये से भी कुछ नहीं होता है। 10 लाख रुपया उस किसान के खाते के अंदर तुरंत जमा कराने की व्यवस्था कर दीजिए, यदि आप किसान के बारे में चिंतित हैं, यदि आप किसान के बारे में सोचते हैं।

हमारे माननीय उप नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र जी राठौड़ के एक सवाल के उत्तर में सुबह हमारे कृषि मंत्री जी यह बता रहे थे और आपकी पार्टी के

(श्री अभिनेश महर्षि)

व्यक्ति अभी यह कह रहे थे, जैसा मैंने कहा था कि जल शक्ति मंत्रालय पूरे भारत के अंदर समस्त विभागों को मिलाकर, हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी ने जल की व्यवस्था के लिए एक डिपार्टमेंट करके सबका प्रशासनिक जिम्मा एक के साथ कर दिया। आपकी सरकार क्या करने जा रही है? आपके 11 मंत्री लगते हैं अलग-अलग विभाग के पानी के विभाग में। ऐसे ही कृषि का काम करने वाले या किसान की बात करने वाला कृषि मंत्री जी अलग हैं, कृषि विपणन मंत्री अलग है। इनको तो एक कर दीजिए जिससे आपके समन्वय के अंदर तो सुविधा हो जाए और उसके अंदर भी देखो यह कितनी हास्यास्पद बात है कि 2168 करोड़ रुपये फसल बीमा योजना का, उसके अंदर आपने क्या दिया है? आपने कहा कि हम देंगे, 53 करोड़ 8 लाख रुपये का भुगतान अभी आपने किया है। 1430 करोड़ रुपया आप जमा करवाने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आप किसान की बात करते हैं। कौनसे किसान की आप बात कर रहे हैं? बाजार का समर्थन मूल्य और जो बीच का अंतर है, किसान की फसल का और बाजार का समर्थन मूल्य, उसके बीच का अंतर जितना भी है, माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह बीच का जो अंतर है वह सीधा किसान के खाते में जमा करवा दो यदि आप किसान की चिंता करते हो, नहीं तो आप किसान की चिंता करने की बात का सिर्फ ढकोसला करते हो।

मैं मेरे रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की बात करूं। कृषि उपज मंडी खुले के अंदर, एक किसी का खेत है, कृषि उपज मंडी है, कृषि उपज मंडी की वहां पर जमीन अलाट करके कृषि उपज मंडी नहीं बनाई जा रही है। किसानों से हम लोग जो टैक्स ले रहे हैं, उससे जो अभी सड़कें बनाने की बात कर रहे थे। यह सही बात है कि किसान के खेत से उसकी उपज को, उसकी पैदावार को बाजार तक लाने के लिए सड़कों का बनना आवश्यक है। लेकिन अब तो सड़क नीति बन गई, पी.डब्ल्यू.डी. के पास में पर्याप्त पैसा है। सड़कों को बनाने में तो वह खर्च करे और किसान कल्याण के अन्य जो कार्य हैं, उनके लिए किसान का जो पैसा है उसको सड़कों के अंदर व्यर्थ नहीं करके हालांकि, सड़कें भी नहीं बन रही हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर मूंगफली है या अन्य जिंस है, वह खुले के अन्दर पड़ी है। बरसात आ गई, किसान की फसल खराब हो गई, उस किसान का कौन धणी-धोरी है? जिस किसान की फसल के बारे में भी हम लोग चिंतित नहीं हैं। मैं आप लोगों को यह कहना

(श्री अभिनेश महर्षि)

चाहता हूं कि किसानों को धोखा देकर जो पार्टी सत्ता के अंदर आई, काबिज हो गई, वह किसान के साथ में अब तो मेहरबानी भगवान के लिए करके, अब तो उनके साथ में न्याय करें, उनके साथ में धोखा नहीं करें।

माननीय सभापति महोदय, ईज ऑफ डूइंग बिजनस की तर्ज पर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि हम ईज आफ डूइंग बिजनस की तर्ज पर ही ईज आफ डूइंग फार्मिंग करेंगे। एक साल के अंदर किसान के लिए आपने क्या किया है? यह सदन के पटल पर रख दें। किसान आज भी रो रहा है। किसान को आपने बिजली देने की बात कही थी। मैं किसानों के खेतों पर गया हूं, 8 घंटे बिजली देने की जो सरकार बात करती थी, आज किसान को 6 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है और 6 घंटे बिजली भी रात को उस पाले के अंदर, ठंड के अंदर मिलती थी और उसके अंदर भी इतनी बार ट्रिपिंग, इतनी बार बाहर से आ गई, इतनी हालत खराब बिजली की होने के बावजूद भी आज सरकार आंख मूंदकर सो रही है और यह फालतू की जो एक्सरसाइज है, वह करने पर तुली हुई है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यदि आप किसान की सेवा करना चाहते हो तो जहां पर कृषि उपज मंडी नहीं बनी हुई है, वहां पर कृषि उपज मंडी बनाओ और किसान की फसल को इकट्ठा करके उसको सुरक्षित रखने के लिए जो गोदाम बनाने हैं, वह गोदाम भी आप लोगों को बनाने चाहिए।

टिड्डी की बात आ रही थी। उन्होंने कहा कि टिड्डी के लिए यह हमारा महकमा नहीं है, यह तो केन्द्र का महकमा है तो आप सारे काम ही केन्द्र के ऊपर छोड़ दो। केंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसके बाद में राजस्थान की सरकार ने भी लगाई लेकिन जब टिड्डी के ऊपर नियंत्रण आप लोगों ने किया, केन्द्र की सरकार ने पूरी सहायता दी, उसके बाद में अब तक वह किसान जो वहां पर टिड्डी से प्रभावित था और आगे आने वाले समय में और संभावना है, उसके बारे में भी जो किसान कोष एवं कृषक कोष बनाया जा रहा है, उसके अंदर भी किसी तरह का प्रावधान करना चाहिए। यह जो किसान कोष बनाया जा रहा है, यह ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है।

अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सेस लगा दो। सेस तो किसी पर भी लगा दो लेकिन ऐसा सेस मत लगाना कि किसान

(श्री अभिनेश महर्षि)

के नाम पर सेस लगा दो, जैसे आपने शराब के ऊपर और रजिस्ट्री के ऊपर पहले से सेस लगा रखा है और वह सेस किसलिए लगा रखा है? गायों के लिए, गौशालाओं को अनुदान देने के लिए, 10 महीनों के अंदर गौशालाओं को अनुदान नहीं दिया और उस अनुदान को कर्मचारियों की तनख्वाह के अंदर दे दिया इसलिए किसान के नाम पर सेस लगा करके फिर किसान के साथ में आप लोग धोखा मत कर देना क्योंकि धोखा देने की आप लोगों को आदत पड़ी हुई है। किसी के साथ में भी आप धोखा कर सकते हो, यह बात मेरे से भी ज्यादा कोई नहीं जान सकता है, मैं यह बात कहना चाहता हूं आप लोगों को। (व्यवधान) यह बिलकुल सही बात कह रहे हैं आप लोग।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): ऐसी स्थिति के अंदर मैं पुनः, माननीय सभापति महोदय, आपको कहना चाहता हूं कि यह जो बिल है, राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020, इसको जनमत जानने के लिए भेजना चाहिए। किसान के हित का इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर तो एक शब्द बदलकर हेराफेरी करने का काम किया गया है, आपको अब यह हेराफेरी बंद कर देनी चाहिए और अब किसान के हित के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय के अंदर भगवान आपको माफ नहीं करेगा क्योंकि आप कहते हो कि यह अन्नदाता है और ऐसे-ऐसे लोग, जिन्होंने खेत का मुंह नहीं देखा, वह लोग किसान की बात कर रहे थे। किसान की असली बात करने वाले लोग, किसानों के हाथों में सत्ता दे दीजिए, किसान की बहबूदी के लिए, तब जाकर हम यह जो बिल लेकर आने वाले हैं, इसका सही मायने में उपयोग हो सकेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बिल को पुन: जनता के जनमत के लिये भेज दीजिए। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 आज प्रस्तुत हुआ है। इसके प्रस्तुतीकरण में बड़े-बड़े उद्देश्य तो लिखे गये हैं। राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग भी करेंगे, एग्री बिजनस में भी सहयोग करेंगे, एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम

(श्री वासुदेव देवनानी)

को भी आप इसमें सहयोग करेंगे और यहां तक कि आप किसान के वैलफेयर में भी सहयोग करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): किसान बोल रहा है, यह देखो आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह वह सरकार कर रही है, जो अब तक ..(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): खेत के बजाय, अजमेर की सड़कों पर यह हल चलाते हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेरे यहां गांव भी है, आपको मेरा विधान सभा क्षेत्र ही नहीं पता। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं और नगर निगम के भी हैं। मेरे अजमेर उत्तर विधान सभा क्षेत्र में गांव भी हैं। चलिए, उन गांवों में खेती करवाता हूं आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अपने हाथ दिखाओ न। माननीय सभापति महोदय, किसान कौन है, यह पता लगता है इन ऐंठन से। मेरे देखिए और इनका देखो आप।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आपका मान सकते हैं, उनको मानने में थोड़ा संदेह है।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपने कौन-कौनसी खेती की है?

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): आपने कौनसी खेती की है, बताओ तो सही या हम बताएं।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): किसान इस टाइम कौन-कौनसी खेती करता है, वह नाम बता दो आप तो।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आधा घंटे की चर्चा, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कौन-कौनसी खेती की है, इसकी व्यवस्था दे ही दो। आज आधा घंटे चर्चा हो जाए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह मेरा समय ले रहे हैं।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): रघुजी, किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन दोनों ही बता देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): खेती पर चर्चा होगी तो सांझी खेती पर भी चर्चा करवानी पड़ेगी आपको। बात चली तो फिर दूर तक जाएगी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): खेती कई प्रकार की होती हैं। उसका यदि विस्तार से विवरण करूंगा तो समय उसी में जाया हो जाएगा। मैं कुछ काम की बात आपके सामने, सदन के सामने रख दूं। जिस प्रकार से इसके कोष की व्यवस्था की गयी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। बैठे-बैठे नहीं बोलते हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सरकार वह कर रही है जिसका किसानों के कल्याण के साथ कोई लेना-देना ही नहीं है। यदि लेना-देना होता तो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में आप 1,430 करोड़ रुपये जमा कराते। आपने केवल 53 करोड़ रुपये जमा कराकर अपनी पोल खोल दी कि हम किसानों के कितने हितैषी हैं। यदि उनको इस प्रकार का बीमा प्रीमियम ही आप जमा नहीं करा पाते हो तो किसानों के हितैषी बनने का आपको कोई अधिकार नहीं है। इस समस्या का राजनीति से ऊपर उठकर और केन्द्र व राज्य, दोनों को अपनी सामंजस्य नीतियों में लाने पर ही कुछ भला हो सकता है। केन्द्र कहेगा कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है। हम कह देंगे कि हमारे तो स्टेट में है, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं। केन्द्र कहेगा कि हम किसानों की आय को डबल करना चाहते हैं। आप कहोगे साहब कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप यह कहो कि करनी चाहिए। फिर कैसे करें? यदि इस पर बैठकर चर्चा करेंगे तो शायद कोई सार्थक चर्चा होगी और इस समय कृषि की जो स्थिति है, आज किसान जमीन बेचते जा रहे हैं। किसानों के लिये खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है। उसका कारण यह है कि उसको खेती में घाटा हो रहा है। उसको आय कम हो रही है और खर्चा अधिक है। वह खर्चा कैसे कम हो, उसकी आय कैसे बढ़े। उसकी फसल का पूरा दाम उसको मिले, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है इसके कारण से आज किसान लोन तो ले लेता है फिर कभी प्राकृतिक आपदा आ गयी, कुछ और कारण हो गये, इसके कारण से वह कर्जा भी नहीं चुका पाता। इसके कारण कई बार आत्महत्या भी करता है। अभी भी राजस्थान में कुछ घटनाएं हुई हैं। एक-दूसरे को आरोपित करने से आत्महत्या नहीं रुकेगी। हमको सोचना पड़ेगा कि वह आत्महत्या कैसे रुके, किसान की आय कैसे बढ़े और उसके लिये सरकार ने कई बार कहा कि कर्ज माफी कर देंगे। यह कर्ज माफी कहेंगे बहुत अच्छी है, करनी भी चाहिए। शोर्ट टर्म नीति के साथ-साथ लोंग टर्म नीति के बारे में भी विचार करना पड़ेगा। शोर्ट टर्म नीति में थोड़ा-बहुत हो सकता है और वह भी किसानों के कर्जा माफ करने के लिये किसान बड़ा उत्साहित होता

(श्री वासुदेव देवनानी)

है कि हमारा कर्जा माफ हो जाएगा। माफ कितना होता है? आपको कर्जा माफ करना था 99 हजार 600 करोड़ का 59 लाख किसानों का, आप केवल अभी तक जो बता रहे हैं वह 19 लाख किसानों का सीमित कर्जा माफ किया है। आपके पास पैसा नहीं है और किसानों के कर्जे माफी के कारण अब बाकी सारे डिपार्टमेंट से अनौपचारिक बात करो तो कहते हैं कि साहब, वेतन देने के लिये भी, पैसे देने का जुगाड़ भी हमको हर महीने करना पड़ता है। उसकी पहले व्यवस्था करो। घोषणा करना बहुत सरल है लेकिन उसको निभाना और किसानों को उसका लाभ देना बड़ा कठिन है इसीलिए किसानों से जुड़ी समस्याओं के बारे में हमें लोंग टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। उसके लिये प्रधान मंत्रीजी ने कहा है कि हम इनकी आय दोगुनी करेंगे और दोगुनी आय में राज्य किस प्रकार से सहयोग करे, उसको सशक्त कैसे बनाया जाए। इस पर यदि पॉजिटिव बात हमारे यहां की सरकार सोचेगी तो निश्चित रूप से उसमें हम कुछ कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, फिर हम कहते हैं समर्थन मूल्य देंगे। समर्थन मूल्य देना चाहिए और कम से कम 25 प्रतिशत सरकार उत्पादन का समर्थन मूल्य पर लेगी। यह वास्तव में 25 प्रतिशत ले रही है क्या? यदि आंकड़ों का पता करेंगे तो केवल 10 से 12 प्रतिशत ही माल खरीदकर सरकार इतिश्री कर लेती है। इसके साथ-साथ व्यापारियों को भी मंडियों के समर्थन में लेने के लिये बाध्य नहीं करती इसलिए कई बार किसानों को मजबूरन आधे मूल्य पर व्यापारियों को बेचकर जाना होता है। और करते क्या हैं? व्यापारी कई बार फसलों को आधे मूल्य पर खरीदकर चौगुने मूल्य पर बेच देते हैं तो उनसे सही मूल्य पर उनकी परचेजिंग हो, इसकी सही ढंग से व्यवस्था हो और इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

फिर इसमें कहा गया है कि आप कृषि उपज खरीद केन्द्र उपलब्ध करवाएंगे। आप क्या करा रहे हो? जरा जमीन पर तो जाओ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अजमेर शहर में बात कर रहे थे कृषि उपज मंडी समिति फलसब्जी अजमेर के अधीन गौण मंडी यार्ड माकड़वाली का निर्माण 2014-15 में कराया गया था। उस पर ढाई करोड़ की राशि व्यय की गयी जिससे समस्त आधारभूत सुविधाओं का निर्माण भी कराया गया लेकिन पांच वर्ष के समय में भी मंडी समिति द्वारा वहां पर एक भी भूखण्ड आबंटित नहीं किया गया। कृषि मंत्रीजी, जरा सोचिए। मैंने पहले भी एकाध बार प्रश्न उठाया था। पहले भी उठाया था।

(श्री वासुदेव देवनानी)

उस मंडी में यदि आप भूखण्ड आबंटित करेंगे तभी तो व्यापार प्रारम्भ होगा, नहीं तो वहां पर व्यापार ही प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है और ढाई करोड़ रुपये आज बेकार हुए, इसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। हो क्या रहा है कि असामाजिक तत्व वहां पर बैठकर, वहां पर कई प्रकार की जो बातें हो रही हैं, उसे रोकने की आवश्यकता है। किसानों की आय को कैसे बढ़ाएंगे, वह तो आगे का विषय है।

दूसरा मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपने एक बार मंडी टैक्स माफ करने की बहुत वाहवाही ली थी और मंडी टैक्स किस पर था? मंडी टैक्स किसानों पर नहीं था, वह आढ़तियों पर था। उन आढ़तियों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। आढ़तिये उससे क्या करते थे, कई बार संविदा पर आदमी रख लेते थे, बिजली-पानी की, सफाई की आदि व्यवस्थाएं होती रहीं। आज वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर न पानी की व्यवस्था है और न ही कोई सफाई हो रही है इसलिए कहीं न कहीं इस पर सोचना चाहिए कि किस प्रकार से मंडियों की सफाई हो, मंडियों का रख-रखाव हो तब जाकर चीजें उससे ठीक बनेंगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा वहां पर कई प्लेटफार्म बने हुए हैं। उस प्लेटफार्म का भी उपयोग किसानों को नहीं करने देते और वहां पर व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है और व्यापारी प्लेटफार्मों पर कब्जा करके अपना माल वहां डाले रखते हैं और किसानों का जो माल है, वह बरसात में भी सड़कों पर भीगा हुआ मिलता है। इन प्लेटफार्मों को व्यापारियों से छुड़ाकर किसानों के लिये आरक्षित रखें। इस प्रकार की यदि व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को कुछ लाभ होगा इसलिए किसानों को पूरा लाभ मिले और वह आगे बढ़े।

इसके अलावा मैं एक बात के लिये और आग्रह करना चाहूंगा कि आप किसानों के बारे में जरूर विचार करें तो उस समय जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे आज लगभग 106 प्रकार के मसाले तैयार होते हैं, उसमें से 63 मसालों का उपयोग राजस्थान के अंदर अपन करते हैं। उन मसालों का उत्पादन कैसे बढ़े। अब इसके लिये अनुसंधान केन्द्र भी हैं। तबीजी में भी भारत सरकार का एक अनुसंधान केन्द्र है। साथ में विश्वविद्यालय में भी कई प्रकार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, वहां कई प्रकार के अनुसंधान होते हैं। वह अनुसंधान केवल वही लैब तक रह जाते हैं या उन किसानों तक पहुंचते नहीं हैं तो किस प्रकार से उन अनुसंधानों को किसानों तक पहुंचाया जाए और

(श्री वासुदेव देवनानी)

वे उसका प्रयोग करने लग जाएं, इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। नहीं तो उसका उपयोग नहीं करेंगे और फार्मेलिटी में, जैसा आपने इसमें भी लिखा है कि उसकी संगोष्ठियां आयोजित करेंगे, उसकी पब्लिसिटी के लिये खर्चा करेंगे। खर्चा करने के लिये आप बजट भेज दोगे, खर्चा हो जाएगा। उसका मूल्यांकन करते हो क्या कि आज मेरे उदयपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या बीकानेर की यूनिवर्सिटी में जो कुछ अनुंसधान पिछले पांच वर्षों में किसानों के लिए हुए, वह किसानों तक किस प्रकार से पहुंचे और पहुंचकर वहां पर क्रियान्विति कितनी की, उसमें आने वाली कौन-कौनसी कठिनाइयां हैं, उसका समाधान कैसे हो सकता है? यदि हमने इसकी व्यवस्था की तो आज हमारी यूनिवर्सिटीज में, महाविद्यालयों में, अनुसंधान केन्द्रों में जिस प्रकार के कोई अन्वेषण हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं वे वास्तव में किसान तक पहुंचेंगे। किसान तक पहुंचेंगे तो उनकी फसल भी कम जमीन में अधिक सीमा से होगी, कम संसाधनों से होगी और फिर उसको फसल का मूल्य भी ज्यादा मिलेगा। वह आर्थिक दृष्टि से सक्षम होगा तब जाकर यह किसान हमेशा करेगा, नहीं तो अपनी जमीन बेचता जा रहा है, वहां पर कुछ और व्यापारी खरीदते जा रहे हैं, बिचौलिये खरीदते जा रहे हैं और खेती योग्य जमीन कम होती जा रही है।

(15.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जिसकी आज आवश्यकता है कि खेती बचेगी तो हम बचेंगे, खेती नहीं बचेगी तो आप और हम सब जितनी बातें कर रहे हैं, हम भी नहीं बचेंगे इसलिए केवल घड़ियाली आंसू बहाने की तुलना में हम धरातल पर कुछ काम करें, किसानों का कर्जा माफ करना है, वास्तविक कर्जा माफ करें, सभी का करें। केवल वोट लेने की राजनीति में किसानों का उपयोग न करें। भारत सरकार की नीतियों में राजस्थान सरकार सहयोग प्रदान करे और उनको केवल फुटबाल नहीं बनाए कि यह योजना तो उनकी है, यह योजना उनकी है। किसान परेशान हैं इसलिए किसान परेशान न हो, आपके द्वारा दिए हुए पैसे का भी सदुपयोग हो और केन्द्र के पैसे का भी सदुपयोग हो और प्रधान मंत्री की जो सोच है कि किसानों की आय दोगुनी हो, उसको साकार करने में हम सब सहयोगी बनें तो ही यह एक हजार करोड़ का कल्याण कोष वास्तव में सार्थक होगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): नहीं तो यह भी औपचारिकता पूरी करके केवल वाहवाही लूटने का एक साधन नहीं बने, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। यदि इस ओर करेंगे तो निश्चित रूप से आज की बहस कुछ सार्थक होगी। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां। (अनुपस्थित) श्री मदन दिलावर। (व्यवधान) विराजिए, विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, देवनानी साहब ने यह नहीं कहा है कि इसको जनमत जानने के लिए भेज दो। नहीं, यह नहीं कहा है इन्होंने अपने भाषण में, यह नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाए। यह लिखा है, यह लिखा हुआ है। मैं जिस पर बोल रहा हूं उस पर लिखा है, मेरा नाम इसमें पुकारा गया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए, इसके लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि किसान का सबसे बड़ा साथी बैल रहा है, बैल जिसे गौमाता ने हमारे को पालने के लिए, खाद्यान्न पैदा करने के लिए सहर्ष किसान को संभला दिया है। मैं समझता हूं कि बैल हमारी सहायता नहीं करता तो हम कभी के भूखों मर जाते।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बैल होता है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां, बैल।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बैल। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): बैल। (व्यवधान) बैल, बैल।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): साहब, यह क्या जाने, बैल को क्या जाने। बैल हमारा भगवान है जिसने हमको खाद्यान्न पैदा करके दिया है।

श्री सभापति: बैल की बजाय आपके मुंह से सांड ज्यादा अच्छा लगता है। आपके मुंह से सांड शब्द ज्यादा अच्छा लगता है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज उसकी क्या दुर्गति हो गई है।

श्री सभापति: प्रकृति के हिसाब से सांड बोलिए आप, सांड।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): गौमाता को और बैल को बचाने के नाम पर हमने सेस लगाया, शराब पर लगाया, हमने स्टांप ड्यूटी पर लगाया, हमने पैट्रोल-डीजल पर लगाया और हजारों करोड़ रुपये कमाये लेकिन हमने उसकी सहायता के लिए उसको खर्च नहीं किया है। वह आज मजबूर होकर इधर-उधर घूमता रहता है, तस्कर आते हैं और बूचड़खाने ले जाते हैं। उसको काट देते हैं परंतु वह पैसा यह लोग खा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, चाहिए यह था इन्होंने बजट में जो वादा किया था कि नंदी गौशालाएं खोलेंगे, क्यों नहीं खोलीं, कहां गया पैसा? नंदी गौशालाएं खोलना तो दूर, उसके लिए जमीन तक नहीं ढूंढी, जमीन का पता नहीं किया। एक पैसे का बजट में प्रावधान नहीं किया। यह गौमाता का अपमान है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह काहे पर बोल रहे हैं?

श्री सभापति: ये सांड पर बोल रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं, आपके और मेरे काका जी पर, बैल पर, जो भगवान है। (व्यवधान) हां, विधेयक पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज। ये सांड पर बोल रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां, यह सांड आ गये, साहब, इस पर बोल रहा हूं। यह सांड हो रहे हैं यहां आकर। किसानों की हमको चिंता करनी चाहिए थी। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा। विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में ताकली बांध है, वह निर्माणाधीन है, उसमें लगभग दस गांवों की जमीन डूब में आ गई है। किसानों को मुआवजा देना था, किसान 15 साल से दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बांध का काम आगे नहीं बढ़ रहा है, हजारों किसान पानी का इंतजार कर रहे हैं, जमीन में पैदा नहीं होने के कारण से हजारों किसान भूखों मरने की स्थिति में हैं लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं देने के कारण से बांध का निर्माण भी नहीं हो पा रहा है और किसान की पैदावार भी नहीं बढ़ पा रही है। सिंचाई विभाग ने सारा तखमीना बनाकर, सारे पक्षों से बातचीत करके वित्त विभाग को मसौदा भिजवा दिया है और उसको पूरे को वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है, वह मंत्रिमंडल में जाना है। अब मंत्रिमंडल में क्यों नहीं जा रहा है या मंत्रिमंडल उसको स्वीकृति क्यों नहीं दे रहा?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो-चार लाइनें बिल पर भी बोल लो। दो-चार लाइन इस बिल पर भी बोल दो।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): किसानों का 21 करोड़ रुपया नहीं देने के कारण से आज वह बन नहीं पा रहा है। मेरा इस सरकार से निवेदन है कि 21 करोड़ रुपये का मुआवजे का तुरंत भुगतान करे ताकि वह किसानों को मिले और ताकली बांध का निर्माण आगे बढ़े।

माननीय सभापति महोदय, यह किसानों की बात करते हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा था, ये किसानों की हितैषी है क्या? किसानों को लूटा है। राजस्थान के हर काश्तकार की जेब से दस हजार रुपये इस सरकार ने निकाल लिए हैं, उनकी जेब काट ली है। पूर्व सरकार ने हर किसान को बिजली में छूट दी थी कि उसके बिल का दस हजार रुपया सरकार जमा कराएगी, उसको देने की जरूरत नहीं है। आखिर में क्यों लूटा, आपका किसान ने क्या बिगाड़ा? यह इतने असत्य सरकार, इतनी नाकारा सरकार...

श्री सभापति: अब आप बिल पर बोलिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां बिल पर है, किसान पर ही है।

नाकारा सरकार यह कहती है कि हम पांच साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, चोरी-छिपे लगातार बढ़ाते रहे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलेंगे?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): बिल पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति: आप बिल पर बोलिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह किसान से संबंधित बिल है।

श्री सभापति: आप बिल पर बोलिए। आपको बिल पर बोलना है?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां, बिल पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति: आप तो बोलिये, विचारार्थ लिया जाए। जो भी कुछ करना है करिए आगे। यह क्या तरीका है?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं बिल पर बोल रहा हूं। इनको उनका दाम नहीं बढ़ाना चाहिए था, किसान को परेशान नहीं करना चाहिए था।

श्री सभापति: आप तो कहो जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। समाप्त करें, आगे बढ़ें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): श्रीमान, ऐसे गुस्सा नहीं करें।

श्री सभापति: नहीं ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसे।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं यह कह रहा हूं कि इनको नहीं बढ़ाना चाहिए था, उनके साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है, सभापति महोदय। यह नहीं होना चाहिए था।

किसान खेत से अपना अनाज मंडी तक कैसे ले जाए? आज रास्ते खराब हैं और मेड़, जो उसके खेत की बाउंड्री होती है, इतनी छोटी हो गई है कि किसान निकल नहीं सकता है। हजारों केस रेवेन्यू कोर्ट में अटके पड़े हैं, उनका सुलटारा होना चाहिए पर अभी नहीं हो रहे है इसलिए किसानों के इतने लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं कि किसान परेशान हैं। खेत से मण्डी तक उपज ले जाने के लिए सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है। आखिर कृषि उपज मण्डी का पैसा जाता कहां है, उस पैसे को कौन ले जाता है, क्या करते हैं? उस पैसे का उपयोग सड़कें बनाने में क्यों नहीं हो रहा है? आखिर हम लोगों को यह सोचना चाहिए न, पर नहीं सोच रहे। एक भी पैसा रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में, जबकि रामगंज मण्डी की कृषि उपज मण्डी एशिया की धनिया की सबसे बड़ी मण्डी है जो पूरे देश में ही नहीं विदेश में उसकी महक महकती रहती है लेकिन उसके बावजूद भी वहां के किसान भी परेशान हैं, वहां के लोग भी परेशान हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): साहब, ऐसा थोड़े ही होता है। आप तो दरियादिल हैं।

श्री सभापति: ऐसे ही होता है। अब आप समाप्त करिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था ...

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री। आप विराजिए, विराजिए। प्रभारी मंत्री।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): साहब, ऐसे गुस्सा होते हैं क्या। ऐसे गुस्सा नहीं होते।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कब्जे के आधार पर हजारों केस, जो किसानों की जमीनों पर कब्जे हैं उन पर हजारों केस चल रहे हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है ...

श्री सभापति: आप तो जनमत जानने के लिए बोलिए। मैंने प्रभारी मंत्री जी का नाम बुला लिया।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि यदि हजार साल तक भी किसी का कब्जा रह जाता है तब भी वह मालिक नहीं हो जाता।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: आप जनमत जानने के लिए बोलिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए, विराजिए। प्लीज, विराजिए। प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, यह कम से कम मेरे लिए तो खुशी की बात है कि 16 माननीय सदस्य इस पर बोले लेकिन इन 16 सदस्यों ने कहीं पर भी संशोधन नहीं दिया। कोई अमेंडमैंट पेश नहीं किया। सिर्फ एक बात, जो एक चलन चला आ रहा है कि जनमत के लिए भेज दो, प्रवर समिति के लिए भेज दो, बस जो एक रटी-रटाई बात है, वह इन्होंने कही है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

शुरुआत में सबसे पहले अशोक लाहोटी साहब बोले। उनका पहला वर्ड यह था कि सरकार की मंशा बिलकुल सही लगती है। बोला आपने? सरकार की मंशा बिलकुल सही लगती है लेकिन आपने फिर 2-3 सवाल पूछ लिए।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य तौर पर जब लाहोटी जी ने यह कहा कि यह काम तो पूर्व में भी चल रहा था। पूर्व में जो काम था वह सिर्फ उत्पादन से विपणन तक था। अब जो कृषक कल्याण कोष बनाया गया है, उसमें कई चीजें शामिल की गई हैं। वह आपने अच्छी तरह से देख ली हैं। कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पूर्व में किसान कल्याण कोष में मंडी शुल्क 5 परसेंट लिया जाता था, जो औसतन करीब 25 करोड़ रुपये हुआ करता था। प्रति वर्ष सिर्फ 25 करोड़ रुपये। अब इससे पर्याप्त राशि कोष में आ सकेगी। उप नेता महोदय राठौड़ साहब ने कहा कि स्रोत क्या होंगे?

श्री सभापति: कृपया शांत रहें माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह तो शुरुआत है। शुरुआत में कोई भी कोष बनाया जाता है तो लिमिटेड अमाउंट उसमें रखा जाता है। जैसे-जैसे वक्त गुजरता जाता है और जैसे-जैसे आवश्यकताएं महसूस होती जाती हैं, वह कोष बढ़ता जाता है। यह कोई निश्चित नहीं है लेकिन कोई भी सोर्स हो सकता है। जैसे बैंकों का ऋण लिया ही गया है। सैस है। सीएसआर की एक्टिविटीज हैं, डोनेशंस हैं वगैरह। कई इस तरह के आएंगे क्योंकि कोष तो अब बना है। अब बना है तो आगे बढ़ेगा।

माननीय सदस्य बिहारीलाल जी ने बोला, हैं बिहारीलाल जी। सभापति महोदय, यह पाबंदी होनी चाहिए। बस यहां बोल करके चल देते हैं। मीटिंग पाइंट पर इकट्ठे हो जाते हैं। खैर, उन्होने पूछा कि पूर्ववर्ती किसान कल्याण कोष में ग्रेडिंग और पैकिंग के प्रावधान पहले से तय थे, फिर इसकी क्या जरूरत पड़ी? इसका जवाब मेरा यह है कि राज्य सरकार द्वारा इस कोष से होलिस्टिक पालिसी बनाई गई है, जिसमें एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनस, विपणन, वैल्यू एडिशन आदि से, इन तीनों को कवर करता हुआ किसानों की

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आय में यह कल्याण कोष वृद्धि करेगा। माननीय सदस्य बिहारीलाल जी ने यह भी पूछा कि चुकारा किस प्रकार से किया जाएगा? राज्य सरकार ने इसकी सिक्योरिटी दी है। राज्य सरकार ही ब्याज और मूल का भुगतान करेगी।

माननीय सदस्य धर्मनारायण जी जोशी ने पूछा कि जिंसों की प्रोसेसिंग का क्या किया जाए? बैठे हैं आप? कांग्रेस सरकार द्वारा एग्रो प्रोसेसिंग और एग्रो बिजनस, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 बनाई गई है। जोशी साहब सुन रहे हैं आप? पहली बार किसानों को यूनिट लगाने पर एक करोड़ रुपये की पूंजीगत और एक करोड़ रुपये तक के ब्याज का अनुदान देय होगा। जिंसों के निर्यात में भी 20 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा।

किरण जी, आपने कहा कि पद खाली पड़े हैं। अब आप पदों की कह रही हो और यहां कल्याण कोष की बात हो रही है। आप पदों पर जा रही हो। पद चाहिए। देखिए 106 पद जूनियर मार्केटिंग और मार्केटिंग आफिसर्स के जो रिक्त हैं, वह प्रक्रियाधीन हैं। भर्ती उनकी प्रक्रियाधीन है। एक बात। आप बैठो, बैठो मैडम, उठो मत।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, प्लीज, आप विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं कह दूंगा आपसे उठने के लिए। आप बैठो। फूड प्रोसेसिंग प्रपोजल्स के लिए आपने कहा कि एक भी प्रपोजल नहीं आया है। वह 8 आए हैं। वह आपके पास भिजवा दूं। 8 प्रपोजल्स आए हैं, जिनका परीक्षण हो रहा है। एक बात।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय मंत्री जी, मेरा कहना है...

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय। माननीय सदस्या, अब आप विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए आपने बोला।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। आपने जो कुछ पूछा उसका जवाब दे रहे हैं। नहीं, अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: प्लीज विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप कई बार इस हाउस में आ चुकी हैं। कम से कम इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस राजस्थान की सरकार तय नहीं करती है, केन्द्र की सरकार तय करती है। यह पहली बार है कि भारत सरकार के द्वारा जो खरीद की गई, उसका भुगतान पहली बार 3 दिन के अंदर-अंदर किया जा रहा है।

श्रीमती अनिता भदेल: वह भी चली गई। यह बोलकर चले जाते हैं। सभापति महोदय, इसको आपको देखना चाहिए। यह जवाब देवनानी जी पहुंचा देंगे उन तक लेकिन यह उलटा पहुंचा देंगे। इन दोनों के भी अनबन है।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री सभापति: कुछ भी अंकित नहीं होगा इनका। माननीय मंत्री महोदय। प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): श्रीमती अनिता भदेल जी ने कहा कि बजट प्रावधान इस वर्ष 2020-21 में 21 करोड़ रुपये का ही है। फिर कहां से पैसा आएगा? वित्त विभाग द्वारा री-पेमेंट शिड्यूल द्वारा बजट प्रावधान किए जाते हैं। मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जो आपने कहा तो मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई कृषक कल्याण बोर्ड से तैयार नहीं होगा। उसके लिए अलग चीज होती है।

माननीय सदस्य गिरधारीलाल जी, आपने कहा कि मार्केट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कृषि जिंसों की शत-प्रतिशत खरीद हो। इस पर तो भारत सरकार ने ही पाबंदी लगा रखी है कि 25 परसेंट तक ही खरीद सकते हो। इससे ज्यादा खरीद ही नहीं सकते। भारत सरकार से कहिए आप। इनसे कहिए, यह बैठे हुए हैं वहां। इनसे कहो कि यह बात वहां तक पहुंचाएं।

माननीय सदस्य मदन प्रजापत जी ने कहा कि बाड़मेर में जीरा मंडी विकसित हो सकती है। इसके प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए निश्चित तौर पर प्रयास किए जाएंगे। बाड़मेर जिले में अनार के व्यापार के लिए भी बाजार विकसित किया जाएगा।

माननीय सदस्य नारायण सिंह जी देवल ने कहा, तो मैं उनसे कहना

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

चाहता हूं कि यह फ्लेक्सीबल है। कृषक कल्याण के कार्यों की दृष्टि से आवश्यकतानुसार फंड की अवलेबिलिटी इंक्रीज की जाएगी। जैसे-जैसे आवश्यकता पड़ेगी, वैसे-वैसे अवलेबिलिटी इंक्रीज की जाएगी। इसी तरह से बाड़मेर में दो व्यक्ति जो टिड्डी के प्रकोप से मरे हैं, उनको सरकार सहायता देगी। फसल बीमा में भी कृषकों को सहायता देगी। लैबोरेटरी स्थापित करने की जो बात कही है, उसको जरूर देखा जाएगा। इसको गंभीरता से देखा जाएगा कि लैबोरेटरी स्थापित हो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उन्होंने तो बोला ही क्या, वह तो सांड पर बोले हैं। सांड पर क्या बोले, सांड पर तो हमारे भरत सिंह जी रोज बोलते हैं। क्या समझे आप? आप उनसे कोटा की प्रोब्लम पूछो। कितनी जबर्दस्त प्रोब्लम है? सांड पर तो बोलेंगे वह।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): देवनानी साहब ने कहा कि माकड़वाली गौण मंडी में भूखंड आबंटन की कार्यवाही अंडर प्रोसेस है। फसलों के पीक सीजन में मंडियों के प्लेटफार्म पर व्यापारियों द्वारा माल रखे जाने पर लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं। आप बता देना अपने ही आदमियों को, लाइसेंस निरस्त हो जाएंगे। वही लोग रखते हैं। यह सब जितने भी माननीय सदस्य बोले, उनके बाबत मैंने शोर्ट में अपना जवाब पेश कर दिया।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। विराजिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपकी बात में कोई दम ही नहीं था। आपकी बात का कोग्निजेंस लेना मैंने उचित ही नहीं समझा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, अंकित नहीं होगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, डिवीजन, डिवीजन ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वी वांट डिवीजन। (व्यवधान) वी वांट डिवीजन ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

...(व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिए, ...(व्यवधान) बिलकुल नहीं। (व्यवधान) हो गया। (व्यवधान)

खण्डश: विचार

खण्ड 2 व 3 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किए जाएं?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किए गए।

...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ऐसा मत करो माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, हम इसमें डिवीजन चाहते हैं।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियमों के नियम 86 ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : थर्ड रीडिंग पर बोलना है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक को पारित करने से पहले मुझे भी कुछ कहना है। (व्यवधान)

श्री सभापति : थर्ड रीडिंग पर बोलना है, बोलिए आप, बिलकुल। (व्यवधान) लेकिन विधेयक पर ही बोलेंगे आप लोग। (व्यवधान)

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ...(व्यवधान) मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 के पक्ष में मैं अपने सुझाव देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यहां सदन में किसान को लेकर बड़ी-बड़ी बातें भी चल रही हैं। जैसे मेरे साथी गिरधारीजी ने बात कही थी, किसान

(श्री बलवान पूनियां)

अगर 35 क्विंटल पैदा कर अनाज मण्डी में ले जाए, 25 क्विंटल तोला जाएगा, 10 क्विंटल वापस लेकर जाएगा। माननीय सभापति महोदय, उसके बाद उसका उपज का खरीदने का तरीका क्या है, उसकी शक्ल देखते हैं। आपने देखा होगा कभी सरसों में, कभी मूंग में उसकी शक्ल देखते हैं। वह इंस्पैक्टर जिसने कभी खेत में भी गेहूं नहीं देखा, सिर्फ रोटी देखी, वह गेहूं की क्वालिटी पर चर्चा करता है। माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि किसान का एक-एक दाना जो खेत में पैदा हो, प्रकृति की सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खेती के साथ जमीन की किस्म के बावजूद, जैसा भी अनाज पैदा हो, जो खेत में पैदा होता है, सरकार उसका एक-एक दाना तोले।

माननीय सभापति महोदय, मेरे इधर वाले साथी, विपक्ष के साथी बात कर रहे हैं कि 2022 में आय दोगुनी कर दी जाएगी, आज 25 क्विंटल अनाज खरीदने की शर्त अगर केन्द्र की सरकार लगा दे, एफसीआई को फेल करने का प्रोग्राम बना ले, कृषि उपज मण्डी पर शर्तें लगा दे, राज्य की सरकार पर शर्तें लगा दे कि इससे फालतू अनाज आप खरीद नहीं सकते तो मैं समझता हूं कि 2022 में आय दोगनी नहीं होगी, आय घटेगी। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि एक हजार करोड़ नहीं 5 हजार करोड़ करो लेकिन किसान का एक-एक दाना तौलो। उनकी बातें चाहे मत मानना धारीवालजी, लेकिन हमारी बात जरूर मानना कि ग्वार, मूंग, मोठ पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान की पूरी की पूरी महत्वपूर्ण खेती, आज इसको राजस्थान की सरकार तय करे। जैसे बड़ी वाली सरकार नहीं चाहती लेकिन दिल्ली की सरकार, वहां की सरकार ने जिद कर ली कि ये चीजें हम जनता के लिए करेंगे। इसी तरह से आप तय कर लें कि राजस्थान के किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ग्वार हम खरीदेंगे। यह रह जाएंगे नाचते-नाचते 22-22 करते यूं ही रह जाएंगे। आप चाहे गुस्से में ही यह कह दो कि तोलेंगे, हम करेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विधेयक पर ही बोलिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, हां, विधेयक पर आ रहा हूं। यह विधेयक की ही बात है क्योंकि हमने सबसे ज्यादा कृषि उपज मण्डी के ये हाल देखे हैं कि पिछली सरकार वाले साथी बोल रहे हैं, मूंग कभी बगैर लड़े नहीं तुला था, मूंगफली कभी लड़े बगैर नहीं तुली थी, कभी भी सरसों और गेहूं लड़े बगैर नहीं तुले थे। इसमें कोई दोराय नहीं कि पेमेंट दो-दो महीने बाद फिर धरनों से मिला था। आज यह पोजीशन है कि केन्द्र के हर्डल

(श्री बलवान पूनियां)

के बाद चाहे अनाज चाहे 25 क्विंटल खरीदा गया लेकिन हमने कोशिश करके एक-एक दाना तुलवाने का प्रयास किया है। मैं राज्य सरकार से, माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि किसान की यह फसल मुख्य रूप से तोली जाए। कृषि उपज मण्डियों की हालत सुधारने के लिए, इसमें से कुछ बजट जरूर खर्च किया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र, भादरा में तेज अंधड़ आया, मण्डी का शेड उड़ गया लेकिन अभी तक उसको ठीक करने का प्रावधान नहीं क्योंकि सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ये व्यवस्थाएं आप सुधारेंगे और मण्डी में जो किसान अन्न लेकर आता है उसके लिए भी इसमें प्रावधान करें कि उसके रहने की, खाने की, सारी की सारी व्यवस्था सरकार करे। यह विधेयक सरकार पास करते हुए किसान की माली हालत को सुधारने का काम करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया। (व्यवधान) माननीय सदस्य, श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर पक्ष-विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैं सुनकर हैरान रह गया, बड़े प्यारे शब्द, सब लोग किसानों के हितैषी थे। आज दिन तक किसानों को क्या-क्या सुविधा दे दी। आपने कृषक कल्याण कोष का गठन तो कर दिया। इस बिल के अंदर आपने चार नम्बर पर लिखा है, बोर्ड सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किन्ही अन्य स्रोतों से निधि जुटा सकेगा। तो वह स्रोत कौन-कौनसे हैं, वह थोड़ा खुलासा कर देते तो मेरे जैसे अनपढ़ आदमी को सुविधा हो जाती। माननीय सभापति महोदय, कृषकों के बारे में कृषि उपज मण्डी किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। मैं जब से विधान सभा में आया हूं 14 मार्च से एक फूटी कौड़ी भी सरकार ने खर्च नहीं की। पूर्व में जो सरकारें थीं, उनके अंदर या तो माननीय शिवचरणजी माथुर के समय में बोर्ड में पैसा इकट्ठा किया था, आपकी आदत है कृषि उपज मण्डी का पैसा बोर्ड में इकट्ठा करके मुझे पता नहीं किस जगह आप खर्चा करते हो, क्या करते हो, विकास की आपकी सोच बिलकुल ही ठप है। ग्रामीण क्षेत्र में किसान के खेती का काम करते हुए कोई चोट लग जाए, कोई ट्रेजडी हो जाए, कोई डैथ हो जाए तो उसको सहायता दी जाती है। उसमें अगर आप पैसा बढ़ाते तो हम मानते कि उसमें आप संशोधन सार्थक कर रहे हो। अब कोष बना दिया, उसके गांठ लगा

(श्री रामप्रताप कासनियां)

दी। खोलने की बात नहीं कही। सभापति महोदय, गांवों में रास्तों पर पुल बनाना, छोटे-छोटे रोड के टुकड़े बनाना, कृषकों के लिये कोई रहने की व्यवस्था मण्डी में करना, कृषक जो माल मण्डी तक लाये, उसकी रक्षा करना, नाममात्र की भी कोई सुविधा नहीं। खाली किसान से कृषक करना, इससे कोई किसान का पेट भरेगा? नहीं भरेगा।

सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, यह भाषण सुनते-सुनते मेरे कान पक गये। कहीं तो हृदय से बोलें। कुछ तो करके दिखाएं, कोई तो तीर मारकर दिखाएं। आप पूर्ववर्ती सरकार को कोस रहे हैं। बैठे हैं हम तो इधर। आप भी मरेंगे क्या इनकी देखा-देखी? कुछ तो करके दिखाएं। किसान का नाम आपके नेता महोदय बहुत लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि किसान क्या है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): एक तो साहब, मैं शब्दों का जानकार नहीं। आप मेरी लय तोड़ देते हैं चलते-चलते।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह भी कोई षड्यंत्र है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): यहां बात खरीद-फरोख्त की सब हो रही है। मैं बिलकुल सही कह रहा हूं कि अगर किसी ने थोड़ा-बहुत कुछ करके दिखाया है तो उसका नाम है नरेन्द्र मोदी। तुमने तो बेड़ा गर्क कर दिया किसानों का। दो वर्ष से आप अपने हिस्से की राशि जमा नहीं करवा पाये, इस कारण से किसानों को बीमा नहीं मिला। दो-दो वर्ष हो गये किसानों के पैसे काट लिये और आपने अपने हिस्से की राशि जमा नहीं करवायी इसलिए किसान आज रोता फिर रहा है। आप ताज्जुब करेंगे, 2019-20 चल रहा है, अभी तक 2018-19 का बीमा का क्लेम आपके कारण नहीं हो रहा है और कोस रहे हैं नरेन्द्र मोदी को। जिसने आपको मजबूर कर दिया, किसानों का नाम लेना सिखा दिया, उसका नाम है नरेन्द्र मोदी।

श्री सभापति: अब समाप्त करें। प्लीज सहयोग करें। श्री निर्मल कुमावत।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा। श्री निर्मल कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): सभापति महोदय, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं, चुनाव से पहले जनता के बीच गये और किसानों के लिये लोक-लुभावनी बातें कीं और मुख्य मंत्री जी ने बजट पर घोषणा की कि एक हजार करोड़ रुपये का हम कृषक कल्याण कोष बनाएंगे और आज जब नया बजट आने वाला है, सरकार बैक डोर एंट्री से किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा जो वे कृषि मण्डियों में लेकर आते हैं, जो पैसा व्यापारियों के ऊपर लगता है, उस पैसे से यह कोष बनाकर सरकार मूर्ख बनाने का काम कर रही है।

अभी जब मंत्री जी अपना जवाब दें, तब यह भी बताएं कि यह जो एक हजार करोड़ रुपये आप कृषि मण्डी से लेकर जाने की बात कर रहे हैं, इसे कहां खर्च करेंगे? कितने किसानों का चयन आप लोग करने वाले हैं? किस रूप में उन्हें लाभ देने वाले हैं? आप प्रीमियम की राशि चुकाने वाले हैं या जो टिड्डी दल का घाटा हो गया, वह चुकाने वाले हैं। यह सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी से बचना चाहती है और किसानों का पैसा वापस किसानों को दिलाना चाहती है। खुद की जेब से एक रुपया सरकार देने वाली नहीं है। अत: मेरा इस पर घोर विरोध है और सरकार इस पर बेवकूफ बनाने का काम कर रही है।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): धन्यवाद सभापति महोदय। जिन किसानों के भले के लिये यह संशोधन विधेयक आया है, एक हजार करोड़ रुपये का कृषक कल्याण कोष बनाएंगे और उसके आधार पर उनकी सेवा करेंगे, उस किसान की हालत क्या है, मैं बयान करना चाहता हूं। उसकी उपज की खरीद कृषि मण्डियां कब शुरू करती हैं, जब व्यापारी लोग सस्ते दामों पर लगभग सारा खरीद चुके होते हैं। उसके बाद कृषि मण्डियां आ जाती हैं। जो बचा-खुचा माल उनके पास आता है, उसे भी जब किसान लेकर आता है तो उसे लाइन में लगना पड़ता है। आदर तो उसे बिल्कुल नहीं मिलता। आपका कोई अफसर तमीज से बात करने को तैयार नहीं होता। कोई उसे बैठने को नहीं कहता, चाय-पानी तो बहुत दूर की बात है। सर्दियों में ठण्डी रातों में भी वहां उसे बैठना पड़ता है। गर्मियों में जलती लू में उसे बैठना पड़ता है।

पिछली सरकार ने किसान भवन बनाया था हर मण्डी में। उस भवन का उपयोग किसान के अलावा सभी कर रहे हैं। शादियों में उसका उपयोग

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

किया जा रहा है। अफसरों के शादी-ब्याह उसमें हो रहे हैं। अफसरों की पार्टियां उसमें हो रही हैं लेकिन किसान को उसमें घुसने की अनुमति नहीं है। इस कृषक कल्याण कोष के माध्यम से क्या सरकार सदन को आश्वस्त करेगी कि उस पैसे से उन किसानों को वहां आने पर बैठने की सुविधा मिलेगी? उन्हें चाय-पानी, नाश्ते, भोजन की व्यवस्था मिलेगी? ऐसा कुछ करने की हम कल्पना करें तो यह संशोधन लाना उचित है। वर्ना इसका कोई उपयोग हमें नजर नहीं आ रहा है।

किसान के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना हम कब सीखेंगे, यह कृषक कल्याण कोष की स्थापना से भी ज्यादा जरूरी है। किसान के साथ सम्मानजनक तरीके से हम बात करना सीखें। किसान के लिये मण्डी में सुविधाजनक तरीके से उठने-बैठने की व्यवस्था हम करें और किसान को मण्डी में आते समय लगे कि वह अपने घर में, अपने संस्थान में आया है, यह माहौल देने की हम कोशिश करें ताकि किसान खुश रहकर अपना काम कर सके। उसका बेचान पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होना चाहिए। अधिकारी की मर्जी से ऊपर-नीचे नहीं हो जाए। किसी का पहले तुलवा दिया, किसी का बाद में तुलवा दिया, ये नजारे अक्सर देखने को मिलते हैं।

पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उसे टोकन मिल जाए और उस क्रम से उसकी खरीदी हो जाए, तुलाई हो जाए। इस प्रकार की व्यवस्था हमें बनानी चाहिए। किसान के प्रति एक सम्मानजनक माहौल का हम निर्माण कर सकें, यह इस कल्याण कोष के माध्यम से हम कर सकें, यह हम सरकार से उम्मीद करते हैं, पर हमें वह उम्मीद अभी तक नजर नहीं आ रही है। अफसरों के रवैये में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। केवल किसान के नाम पर वाहवाही लूटने की जो बात हो रही है, उसकी मैं भर्त्सना करते हुए फिर एक बार आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि इस कोष को व्यवस्थित रूप से स्थापित करके वास्तव में किसानों का कुछ भला करने का प्रयास करें। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मेरा बहुत ज्यादा अनुभव तो नहीं है, पर मैं थोड़ा-बहुत जो कुछ भी समझा हूं मैं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह जानना चाहता था कि यह जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके पीछे भाव क्या है? यह जो आपका राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 है, इसमें आपने लिखा है कि विद्यमान शीर्षक 'किसान कल्याण कोष' के स्थान पर शीर्षक 'कृषक कल्याण कोष'। पहले क्या था कि आपको इस शब्द को नया बदलने के कारण से अब क्या-क्या नये चमत्कार इसमें हो जाएंगे जो पहले नहीं थे और क्या उस शब्द के द्वारा भी अगर हम इसे चाहते थे तो उस शब्द को रखते हुए भी इस एक हजार करोड़ रुपये को लेकर आपने स्ट्रैंथन किया, उसे स्ट्रैंथन करने में कोई दिक्कत आ रही थी या लोन पहले किसान के नाम से ले रखा था और इससे ले नहीं पा रहे थे इसलिए एक नया नाम तैयार करके लेने के लिये भाव है क्या?

कृपा करके इतना समझा दीजिएगा कि इस नाम में परिवर्तन करने के पीछे क्या सोच थी? किस बुद्धिमान व्यक्ति ने इसके पीछे क्या दिमाग लगाया कि इस शब्द को बदलने के बाद क्या नये चमत्कार होने वाले हैं जो कि पहले नहीं हो सकते थे। यह थोड़ा-सा समझाने का प्रयास करें।

दूसरा, मैं यह सोचता हूं कि आपकी, मेरी, सबकी, जो भी यहां जन प्रतिनिधि आता है, वह किसान के प्रति हमेशा हमदर्द होकर अपनी बात कहता है। लगातार जब से हम विधान सभा के फ्लोर पर बैठ रहे हैं, जब भी चर्चा होती है, इस बारे में चर्चा होती है। वह अन्नदाता है, वह यह है, वह वो है लेकिन किसी ने भी 72 सालों में झांककर नहीं देखा कि अन्नदाता का वह ठेगरे का नेकर खतम हुआ कि नहीं हुआ। उसके नाम से कमाखाने वाले लोगों को तो बहुत अच्छा जिंदगी में आनंद मिल गया लेकिन सच में उस आदमी को जो मेहनत और पसीना बहा रहा है, जो भूखा रहकर भी आपका और मेरा पेट भर रहा है, उसको वास्तव में हमने 72 सालों में कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास किया है या नहीं। इसके पीछे भाव तो यही है कि एक हजार करोड़ रुपये का यह जो हम फण्ड बनाएंगे इसमें अन्य सोर्सेज से भी इसमें फण्ड डालकर इस पैसे को इतना बढ़ाएंगे कि किसान की समस्याओं के निदान में उस पैसे का सदुपयोग करके उसकी जिन्दगी को बेहतर बनाने का और उसकी जो उपज हुई है उस उपज का अच्छे से अच्छा दाम आए, उसको स्टोरेज में रखकर भी वह अपने आपको बचा सके। उसका प्रोसेसिंग प्लांट लगाकर भी कुछ दो पैसे कमा सके, उसकी आमदनी बढ़े, भावना तो इस प्रकार की है पर मैं यह जानना चाहता हूं कि इस भावना को आप लोगों ने 54 वर्ष तक दिल्ली

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

में राज किया, पर नहीं समझा। मुझे ईमानदारी से बता दो कि 54 वर्ष में क्या किसान की फसल का बीमा हो सकता है? आदमी का हो सकता है, गाड़ी का बीमा हो सकता है लेकिन किसान की फसल का बीमा हो सकता है, जिस पार्टी को आप पानी पी-पीकर गालियां देते हो न, उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार हिन्दुस्तान में फसल बीमा को लागू किया। आप और मैं भी यहां खूब भाषण देकर हमेशा यह मांग करते थे कि कम से कम किसान को बचाने के लिए उसकी फसल के बीमा की कोई न कोई योजना लेकर आओ। वहां लागू हो जाने के बाद भी राजस्थान में आपकी सरकार थी लेकिन उसके बाद भी राजस्थान में आपकी पूर्व सरकार ने उस बीमा योजना को राजस्थान में लागू नहीं किया। आपने और हमने, सबने भाषण दिया कि मौसम आधारित जो बीमा अटल जी ने किया उसमें कई ऐसी कमियां थीं जिनके कारण से किसान को जो लाभ देना चाहते थे वह यूनिट इतनी बड़ी थी कि उसमें मौसम खराबी का रिकार्ड रखना और उसको समझना किसान के आधार में नहीं था लेकिन उस बात को देश के इस प्रधान मंत्री ने, आप भले ही मन से चाहे या मत चाहो, चाहे जितना कहना हो वह कहो लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान के उस किसान को इस फसल बीमा के द्वारा थोड़ा-बहुत सुरक्षित करने का काम किसी ने किया तो इस व्यक्ति ने किया। उस मौसम आधारित फसल बीमा का हटाकर उन्होंने, आपने देखा होगा कि यह जो नई फसल बीमा योजना लेकर आये इसके तहत खरीफ की फसल में दो परसेंट किसान को देना है, चार परसेंट केन्द्र सरकार अपना हिस्सा देती है, चार परसेंट राज्य सरकार अपना हिस्सा मिलाती है और उस व्यक्ति का 100 रुपये का बीमा हो जाता है। 100 रुपये के बीमा में केवल दो रुपये किसान को देना है और बाकी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार वहन करती है। इसको अगर आप लाख में परिवर्तित कर दो तो दो हजार रुपये किसान को देना है, बाकी चार हजार केन्द्र को देना है, चार हजार राजस्थान सरकार को देना है और उसका एक लाख का बीमा हो जाता है। इतनी बड़ी सोच लेकर जिसने किसान के बारे में किया उसके बारे में आपके पास जितने पत्थर हैं उतने निकालकर फेंकने का काम करते हो। मैं सोचता हूं कि इतना नेगेटिव सोचकर आप कभी भी किसान का भला नहीं कर सकोगे। अपने मन को संतुष्ट कर सकते हो कि हमने उसके माथे पर एक पत्थर मार दिया लेकिन मैं सोचता हूं कि उस व्यक्ति ने इस बात को देखा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अभी आज सवेरे जो प्रश्न लगा न, उस प्रश्न में आपने देखा कि इस बीमा पालिसी के कारण से 2017, 2018 और 2019 की रबी और खरीफ में आपके स्वयं के जो फीगर थे, राजस्थान के किसान को 2100 करोड़ रुपये तो मिल चुके हैं और कुछ बाकी हैं जो पिछले वर्षों का है। मंत्री महोदय, मेरी आपको चुनौती है, आप आज बजट रख रहे हो, आप अब तक इस राजस्थान में बीमा के आधार पर किसान को मिली हुई राशि को जोड़ लो और केवल और केवल इन दो सालों 2017 और 2018 की जो दोनों ही फसल रबी और खरीफ की दे चुके हैं उस सारी फसल को जोड़ लो तो उस आंकड़े को देखकर यह जो साढ़े चार हजार करोड़ रुपया जो किसान को फसल बीमा का गया, क्या यह उसकी मदद नहीं थी? क्या उसको स्ट्रेंथन करने का काम नहीं था? आप लोगों ने जितने भाषण दिये न, जितना चुनाव में इस भोले प्राणी को गुमराह करने का प्रयास किया उसके आधार पर आज उसकी जेब में इन 14 महीनों में 14 पैसे भी डाले हैं क्या? इसका हिसाब बताओ। 14 पैसा भी डाला है क्या? केवल भाषण देना एक अलग चीज है लेकिन यह जो पैसा, जिसको मंत्री महोदय सवेरे बोल रहे थे कि हमने 2017 के पैसे दिये, इसमें निहाल क्या किया? उसकी अपनी किश्त जमा करायी हुई थी, इंश्योरेंस कम्पनी के पास पैसा था। चार परसेंट केन्द्र सरकार ने मिलाया, चार राज्य ने मिलाया उसके बाद भी पैसा अगर देर से चुकता है तो सरकार की ढिलाई है, देना तो इंश्योरेंस कम्पनी को है, आपकी जेब से थोड़े ही देना है, आपको तो जो देना था वह दे दिया लेकिन उसके बाद भी आप उसको समय पर नहीं दिला रहे हो यह आपकी एफिशिएंसी बताती है। इस बार आपने भाषण ठोके थे, मैंने उस समय भी पूछा था कि इस बार सबसे बड़ा नुकसान अगर इस सरकार ने आने के बाद कोई किया तो किसान का फसल बीमा का किया है। मैंने उस समय भी कहा था कि न आपने खरीफ का पैसा जमा कराया, न वह अपनी किश्त जमा कराता, न उसका लोनिंग का री-लोनिंग हुआ, उसके कारण से उसको नहीं मिला। रबी का पैसा भी जमा नहीं हुआ क्योंकि 31 दिसम्बर उसकी लास्ट तारीख थी और आज आपने प्रश्न के द्वारा राजस्थान की जनता को यह दिखा दिया कि वास्तव में जब से आपकी सरकार आई है तब से आपने अपने शेयर का पैसा जो आपको इंश्योरेंस के पेटे जमा कराना था वह आज की तारीख 18 फरवरी तक राजस्थान की सरकार को अपनी तरफ से जो किश्त जमा करानी थी न वह किश्त जमा नहीं करायी और जब किश्त जमा नहीं करायी तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इंश्योरेंस कम्पनी को आप बाध्य कैसे कर सकते हो? आपको जिन शर्तों के आधार पर पैसे जमा कराना था वे पैसे ही आपने जमा नहीं कराये तो फिर आप किस आधार से पैसा लेना चाहते हो? यह जो फण्ड क्रिएट किया है न, यह केवल और केवल एक और झांसा राजस्थान को है। एक हजार करोड़ रुपये को लेकर आप सवेरे बोले थे कि हमने इसमें से 500 करोड़ रुपये का लोन लेकर किश्त जमा कराने में डाल रहे हो, इसका मतलब समझ में आया? जब यहां भाषण ठोक रहे थे तब कुछ और बात कह रहे थे और एक हजार करोड़ रुपये का यह आपने फण्ड बनाकर इस राजस्थान के किसान को एक और धोखा देने का काम किया है। आपकी एक बात सत्य साबित नहीं हुई।

मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि इस 14 महीने में राजस्थान के किसान से इस सरकार के आने के बाद जो-जो वादे आपने किये, हम दस दिन में कर्जा माफ कर देंगे उसके बारे में आप आधे रास्ते में घुसे हो। आपने सारा कर्जा माफ किया उस समय भाषण नहीं दे सकते थे कि अगर केन्द्र की सरकार पैसा देगी तो ही जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनका कर्जा माफ होगा। आपने क्या माफ किया है कुछ थोड़ा-सा हिसाब लगाकर देख लो। हमने 50 हजार रुपये तक का कर्जा अक्टूबर और नवम्बर, 2018 में माफ कर दिया था। आपने जो 31 तारीख लगाई थी उसका मतलब समझ में आया? ओवर-ड्यूज, ओवर-ड्यूज कौनसा होता है, जो पैसा छह महीने से अधिक लिया हुआ लोन रह जाता है उसको ओवर-ड्यूज कहते हैं। उस दिन ओवर-ड्यूज उतना ही था, हमने जो 50 हजार तक तो जमा करा दिया और उससे जो एक्सेस रह गया, किसी का 70 हजार था, किसी का 72 हजार था और यह जो 22 हजार रुपया रहा न, यह आपके खाते में आया है। आप क्या चक्कर दे रहे हो? क्यों भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो?

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को कहता हूं कि भगवान के लिए आप सच बोला करो, धोखा देकर किसान को ठगने का धंधा बन्द कर दो। पहले भी उसके नाम से कि तू अन्नदाता है, तू अन्नदाता है और उसका बच्चा छेकले का नेकर पहनकर स्कूल जा रहा है, अन्नदाता का यह उपयोग किया हमने 54 साल तक। आप और हमको दर्द नहीं होता है। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं, आप किसी भी गांव में चले जाओ, एक चौथी के बच्चे को गैरू का डिब्बा और एक कूंची पकड़ा दो और कहो कि इस गांव में घूम और घूमकर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जहां टेढ़ा-बांका मकान मिले, जहां खपरेल मिले न, उसके आगे लिख देना यह किसान है और इसके अगर पक्का है तो लिख देना कि यह व्यापारी या सरकार का कोई नौकर है। जो हमने दशा बना दी है.... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): केवल और केवल गुमराह करने का धंधा करते हैं। मैं चाहता हूं, चाहे आप हो चाहे हम हो, हम उतना कहें जितना हम कर सकते हैं। जितना सम्भव हो उतना कर सकते हैं। एक के बाद एक नये धोखे को तैयार मत करो। किसान तो पहले से ही परेशान है और उस परेशानी का कुछ हल करने का प्रयत्न तो करो लेकिन केवल और केवल उसके नाम से दिखाकर आप इसको हल करने का प्रयास कर रहे हो। मैं सोचता हूं कि आपने कर्जे के नाम से भी डुबोया, फसल बीमा के नाम से किसान को बर्बाद किया और आज आपको गारंटी से कहता हूं कि यह पहली बार था, भले ही आप कुछ भी कहो, वसुन्धरा जी की उस समय मेहनत थी जब हमारे यहां ओलावृष्टि हुई और फसल खराबा हुआ आपमें से कई लोग सदन में थे, हमने दो दिन सदन स्थगित किया और कहा कि सब अपने-अपने क्षेत्र में जाकर फसल के हुए खराबे को देखकर रिपोर्ट लेकर आओ और उसके आधार पर वह जो रिपोर्ट बनी थी, वह सारे राजस्थान में बहुत ही दुखदायी रिपोर्ट बनी थी। हम उस रिपोर्ट को लेकर केन्द्र के गृह मंत्री के पास गये, केन्द्र के वित्त मंत्री के पास हम दोनों लोग गये। हमने कहा कि इतना बड़ा नुकसान हो गया, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए आप यह जो 50 परसेंट से अधिक का खराबा, जब से कांग्रेस राज में आई तब से लेकर जब यह हुआ न 33 परसेंट का खराबा और हिन्दुस्तान में अगर किसी ने किसान के लिए यह लागू किया तो इसका श्रेय वसुन्धरा जी को और राजस्थान सरकार को है। आलोचना करने के लिए आलोचना कर लेना लेकिन पहले हमको जितना मुआवजा मिलता था, उससे हमने जस्ट डबल करके मुआवजा दिया। मेरी यह चुनौती है, आप 1952 से सरकार में हो, ईमानदारी से आपके पास सारे बेड़े पड़े हुए हैं, ये अधिकारी आपके पास बैठे हैं। 1952 से लेकर आपका राज जितने साल रहा, उतने साल में आपने किसान को फसल खराबे का जितना पैसा दिया, उसको जोड़ लो और मेरे केवल इन चार सालों को जोड़ लो। मेरा दावा है कि हमने 7300 करोड़ रुपया इस किसान को फसल खराबे के रूप में दिया, जो हिन्दुस्तान में और हमारे राजस्थान में है। आप केवल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और केवल भ्रमित करने का प्रयत्न करते हो। एक बार एक झटके से निकलते हैं, दूसरा कर देते हो। दस दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो कहा केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिख दी। यह पहले ही लिख देते न, कह देते न भाषण में कि हम जब केन्द्र सरकार को एक चिट्ठी लिखेंगे, प्रेम की, वो देगा तो दे देंगे और यहां जाकर अटक गये और न फसल बीमा का पैसा देते हो, न उसको आगे का एडवांस देते हो, न वह खाद बीज खरीद सके।

दुर्भाग्य है हमारा कि जो केन्द्र सरकार ने एक किसान सम्मान निधि, जिसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है। किसान सम्मान निधि केवल राजस्थान के किसानों को नहीं दे रहे हैं, हिन्दुस्तान के 15 करोड़ किसानों को हर साल 6 हजार रुपये देने का मतलब समझ में आता है, 90 हजार करोड़ रुपया हर साल किसान के पास बिना मांगे, हर चौथे महीने के बाद, उसकी किश्त उसके खाते में चली जाएगी। इतनी बड़ी योजना, आप 54 साल तक बैठे रहे, कभी ध्यान में आया? एक फूटी पाई भी किसान को दी क्या? एक फूटी पाई भी दी क्या? मैं आपसे चुनौती इसलिए करता हूं।

मैं आपको यह कहता हूं कि आप किसान के लिए आंसू बहा सकते हो, भाषण ठोककर और फिर आपने ऐसे मंत्री जी को दे दिया, जो मजाक-मजाक में बात उड़ाते रहते हैं। किसान के दर्द को समझने का प्रयास करो, भले आदमी, कितनी मेहनत करके कमाकर खाता है। हम उसके ऊपर एहसान थोड़े ही कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं अगर हिन्दुस्तान के किसान इकट्ठे हो गये न, तुमको और हमको घुटने से चलाएंगे, घुटने से चलाएंगे, दुर्भाग्य है हमारा, हम उसका मजाक तमाशा करते हैं। हम उसके दर्द को समझकर जितना हम कर सकें, कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही दिन में उसको सब हल कर देंगे...

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज विराजिए, विराजिए। प्लीज विराजिए आप। अंकित नहीं होगा।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजिए। माननीय मंत्री महोदय, विराजिए। प्लीज-प्लीज, माननीय मंत्री महोदय। अंकित नहीं होगा, किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: संसदीय कार्य मंत्री महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, बैठाइये आप इनको। विराजिए, विराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा नहीं है। (व्यवधान) अभी तक इन फेफड़ों में इतना दम है, एक घंटे तक ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, बैठाइये इनको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं हंस-हंस कर बोलने का आदी नहीं हूं।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। यह बड़ा अशोभनीय है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट, आसन पैरों पर है। बार-बार कहने के बावजूद माननीय मंत्री महोदय आप इस तरह से जो हैं, बैठ नहीं रहे हैं। वो जो भी बोल रहे हैं, उनका अधिकार है बोलने का, आप उनको गाइड नहीं कर सकते। बिलकुल गाइड नहीं कर सकते। विराजिए आप। यह कोई तरीका नहीं है। सारी संसदीय परम्पराओं का यह उल्लंघन है। थोड़ी-बहुत मर्यादा होनी चाहिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। कोई अधिकार नहीं है आपका, आप इस तरह बीच में इंटरवीन करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, समाप्त करें प्लीज। आप भी समाप्त करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं न तो पक्ष और विपक्ष से....

श्री सभापति: शांति रखिए आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि सच्चाई से इस पीड़ा को समझो, जितना हल कर सको, जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में ही गारंटी दे दो कि सब हल हो जाएगा। ऐसा मैं भी नहीं मानता हूं, चाहे सरकार आपकी हो, चाहे मेरी हो। सब कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ अपने पास साधन हैं, उसके आधार पर करेंगे लेकिन केवल उसको गुमराह करके और उससे अपना उल्लू सीधा कराना, ये उसके साथ धोखा है।

श्री सभापति: समाप्त करिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उस धोखे को, मैं बार-बार इस बात के लिए कह रहा हूं। आपको किसने सौगंध दिलायी थी आप कह देना कि नंदीशाला हम खोल देंगे। हमने तो नहीं कहा था। आपने ही नंदीशाला का कहा था न और आज के प्रश्न के उत्तर ने आपको पूरा खोलकर रख दिया या

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं रख दिया। अब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद झांसा इस तरह से मत करो।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): भगवान के लिए मैं आपसे प्रार्थना यही करता हूं कि सच में अगर वास्तव में हम एक हजार करोड़ का, ये जो शब्दों का जाल है किसान में और कृषक में, इस बीमारी को समझाने का प्रयत्न करो। जिस मंशा-भावना से आप इस फण्ड को बना रहे हो, इसमें कई प्रकार के फण्ड को जोड़कर, इसको स्ट्रेंथन करो।

(15.55 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

स्ट्रेंथन के आधार पर किसान को मदद करके, उसके जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करो। इसमें किसी का कोई विरोध नहीं हो सकता है और न होना चाहिए, मैं सोचता हूं। लेकिन, केवल और केवल उसको सब्जबाग दिखाकर अपना काम निकालने का धंधा करोगे, यह उसके साथ न्याय नहीं करोगे।

मैं बार-बार कह रहा हूं। मैं जब पहली बार एमएलए बनकर आया था, सन् 1977 में, भैरोंसिंह जी को आज भी याद करता हूं। काम बहुत छोटा था लेकिन उस आदमी ने किसान का लगान माफ किया तो लगान दो रुपया, आठ रुपया, बारह रुपया साल का आता था लेकिन किसान उस आठ रुपये के लिए उलझा रहता था। माफ करके, उस आदमी ने जिस प्रकार का काम किया, पैसा बहुत ज्यादा नहीं था पर उसकी भावना क्या थी कि जिसके पास पहले लंगोटी पहनने के लिए नहीं है, उससे ये आठ रुपये और बीस रुपये इकट्ठा करके मैं क्या सरकार चलाऊंगा और क्या मेरी सरकार चलेगी। इस भावना से लगान उस आदमी ने माफ किया। आपने देखा 14 कलम का टैक्स लगता था, वह उस व्यक्ति ने माफ किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जिस भावना से लाये हो, वह भावना इसमें से प्रकट नहीं हो रही है। एक हजार करोड़ रुपया लेते ही, 500 करोड़ रुपया तो आप इसमें से निकाल करके केवल इंश्योरेंस के जमा कराने का कर रहे हो। वह भी आपका वन फोर्थ भी नहीं है पैसा, आपको 1400 करोड़ रुपया जमा कराना है और दो फसलों का मिलाकर लगभग 2000 करोड़ रुपया जमा कराना है आपको और आप ये 500 करोड़

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रुपया निकालकर कुछ दिन के लिए ठण्डे छींटे दे सकते हो कि हम तुम्हारे लिए यह कर रहे हैं। हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। सच में इसमें से परिणाम नहीं निकलेगा। जिस भावना से फण्ड बनाया, मैं चाहता हूं कि और कई तरीके से पैसे को इकट्ठा करके इस फण्ड को आप स्ट्रेंथन करें। इसमें पैसा रखो और जब जैसी किसान की आवश्यकता महसूस हो, उसके अनुसार आप उसको देने का प्रयत्न करो, यह तो समझ में आ सकता है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि जिस भावना से आप इसको लेकर आए हो, यह किसान के साथ एक और धोखा होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इससे प्रकट होकर ही रहेगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी। कोई नहीं, not allowed. It is my privilege. Enough is enough. माननीय मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं प्लीज, आप बैठें। अध्यक्ष को चैलेंज नहीं कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): चैलेंज थोड़े ही.. आपसे अनुरोध।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, प्लीज बैठें। कोई रिकार्ड नहीं होगा। माननीय मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: आपका अनुनय, विनय सब मान्य। विराजें आप। सब मान लिया, आप विराजें। सब खारिज, सब खारिज, आप विराजें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप बहुत सीनियर हैं। माननीय सदस्य बहुत सीनियर हैं। ये मेरा प्रिविलेज है, कितना डिबेट का किसको टाइम देना है, कितना वक्त देना है। आपकी मनमर्जी से नहीं चल सकता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हम जब डिवीजन मांगते हैं तो डिवीजन नहीं देते। हम केवल यह मैसेज देना चाहते हैं, राजस्थान की जनता को आप इस प्रकार की...

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। कटारिया जी, आप बैठें। आप जब डिवीजन देंगे, डिवीजन पर भी स्पीकर की रूलिंग है। स्पीकर को क्या करना, डिवीजन

(श्री अध्यक्ष)

मांगना, जब मैं अपने विवेक से, जो प्रोविजन है, उसको फालो करूंगा। माननीय मंत्री जी जवाब दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अपने 2019-20 के बजट में, किसान भाइयों के लिए 'ईज आफ डूइंग' बिजनस की लाइन पर, उसी तर्ज पर 'इज आफ डूंइग फार्मिंग' की ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए, 1000 करोड़ रुपये के कृषक कल्याण कोष, के-3 बनाने की घोषणा की थी। 'ईज आफ डूइंग बिजनस' तो हो नहीं पाया लेकिन मुख्य मंत्री जी की मंशा साफ थी कि हम इस कल्याण कोष से 'ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग' जरूर करके रहेंगे। ये हमारा वादा था, जनता के साथ। पूर्व में जो किसान कल्याण कोष आपने बनाया था उसमें मुख्य तौर पर "post-harvest management activities from production to marketing stage." का ही समावेश था जबकि इस नये कल्याण कोष के-3 में पुरानी एक्टीविटीज के साथ-साथ, पुरानी एक्टीविटीज भी ली हैं हमने, जो पहले आपकी एक्टीविटीज चला करती थी किसान कल्याण कोष की, उसके साथ-साथ एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनस, एग्रो एक्सपोर्ट प्रमोशन, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए प्रोम्प्ट पेमेन्ट की व्यवस्था भी की है इसमें। आपने पूछा था उसमें और इसमें फर्क क्या है। मैं फर्क बता रहा हूं आपको सारा का सारा, ये सब चीजें उसमें नहीं थीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): शब्द का अंतर बता दो कि किसान और कृषक में क्या अंतर है? (व्यवधान)

(16.00 बजे)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वो सब मैं बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। आखिर, मैं आपके वचन भी बता रहा हूं। आपने क्या-क्या कहा था। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए प्रोम्प्ट पेमेंट की व्यवस्था की गई है। यदि किसान की फसल का बाजार भाव गिर जाता है तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, हस्तक्षेप योजना लागू करके किसानों को हानि से बचाने के लिए खरीद की व्यवस्था भी इसमें की गई है जो पहले नहीं थी। किसानों की उपज का भाव कम होने पर जबरदस्ती बेचने से बचाने के लिए उसकी धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसकी फसल को गिरवी रखकर प्लेज्ड फाइनेंसिंग ऋण की व्यवस्था

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इस कल्याण कोष के द्वारा राशि जो उपलब्ध होगी उससे किसानों के कल्याण से संबंधित अन्य कार्य और स्कीमों को भी लागू किया जाएगा। इतने सारे फर्क मैंने बता दिये आपको जो उसमें नहीं थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): किसान कल्याण कोष और कृषक कल्याण कोष शब्द के कारण से क्या नया है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैंने आपको बताया न कि उसमें तो सिर्फ यह था। जो प्रोविजन था मैंने आपको बता दिया कि उसमें सिर्फ पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट एक्टिविटीज के बाबत शामिल थी। अभी इतनी सारी एक्टिविटीज हैं इसके लिए बदला है तो हमने वैसे थोड़े ही बदला है, साहब। राजीव गांधी सेवा केन्द्र को ढाई सौ रुपये में पोत कर और अटल बिहारी सेवा केन्द्र लिख दिया। ऐसे थोड़े ही बदला है हमने। एक कुर्सी भी लगाई क्या आपने उसमें? एक इलेक्ट्रोनिक आइटम भी दिया क्या उसमें? ऐसे नहीं किया हमने। यह सब चीजें डालकर हमने नया कोष बनाया है।

अध्यक्ष महोदय, 16 दिसबर को अध्यादेश लाया गया था। कृषि कल्याण की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति की जा सके और पूर्ववर्ती किसान कल्याण कोष में वर्णित वित्तीय प्रावधानों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य स्रोतों से निधि की व्यवस्था हो सके। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जैसा बताया गया कि 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति इसमें दी गई है। इसके अतिरिक्त 2018-19 के दौरान जिन डिग्गियों का निर्माण कार्य लंबित था जो आप लोग छोड़कर गए थे उनका दायित्व भी हम पर छोड़ गए आप उसके भुगतान के लिए भी 116 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें भारत सरकार से सिर्फ 58 करोड़ 50 लाख रुपये ही मिलने थे जो अभी तक नहीं मिले हैं।

इसी के साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, जैसे आपने बताया, अभी बलवान जी पूनियां ने कहा कि साहब, 5000 करोड़ रुपये का कोष होना चाहिए। मैं आज यह घोषणा कर रहा हूं कि इसमें 1000 करोड़ रुपये तो ऋण लिया ही गया है पहले ही और 1000 करोड़ रुपये और लिया जा रहा है।

निर्मल जी कुमावत ने कहा कि इस कोष में किसानों और किसान मंडियों का नवीन अंशदान नहीं है, किसी को भी आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार इस भार को वहन करेगी।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इसी तरह से कासनियां साहब ने बोला कि कोष का स्कोप ओपन रखा गया है। समय-समय पर आवश्यकतानुसार काम अलाउ किए जाएंगे।

जोगेश्वर गर्ग जी ने कहा कि किसान भवन में समुचित व्यवस्था हो। व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, इसमें कोई दोराय नहीं है।

कटारिया साहब, आपने हमसे तो यह कहा कि साहब, किसानों के लिए झूठे आंसू रोते हो। आंख में प्याज की दो बूंद डालकर किसानों के सामने हम रोते हैं कि हमें सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट करो लेकिन किसानों के साथ आपने क्या व्यवहार किया? जिस वक्त हाड़ौती में 75 आत्महत्याएं हो रही थीं तब आपने यह कहा था कि +++ आप आपदा प्रबंधन मंत्री थे उस वक्त। आप थे आपदा प्रबंधन मंत्री। आपके यह शब्द थे किसानों के प्रति। आज आप किसानों के लिए झूठे आंसू रो रहे हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर मेरे यह शब्द हों तो निकाल दो, मैं यह सदन छोड़कर चला जाऊंगा अगर मेरे शब्द यह हों तो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये आपके शब्द ही हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): +++ ये शब्द हैं। +++ (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये आपके शब्द हैं +++ व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कह रहा हूं अगर मेरे शब्द हो तो बोल दो। अगर मेरे शब्द हों तो बोलो ...(व्यवधान) यों-यों क्या होता है? (व्यवधान) +++ बोलने के अलावा ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये आपके शब्द हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर मेरे शब्द हों तो रिकार्ड से निकालो। मेरे शब्द हों तो रिकार्ड से निकालकर लाओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह विधान सभा का रिकार्ड बताता है यह विधान सभा का रिकार्ड निकालकर बताओ। विधान सभा का रिकार्ड निकालकर बताओ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इस तरह से बोलने से काम नहीं चलेगा। इस विधान सभा का रिकार्ड निकालकर बताओ, अगर मेरे शब्द हों तो मैं यह हाउस छोड़कर चला जाऊंगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपके शब्द हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे से चुनाव +++ असत्य बोलते हो और असत्य बोलकर भाषण करते हो। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपके शब्द हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) असत्य बोलते हो, अगर हो तो रिकार्ड निकालो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपके शब्द हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर हों तो रिकार्ड निकालो। यह विधान सभा का रिकार्ड तो यहीं रहता है यह विधान सभा का रिकार्ड मेरे घर नहीं जाता है। विधान सभा का रिकार्ड निकालो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नीचे बैठिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): विधान सभा का रिकार्ड निकालकर बताओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया।

बहिर्गमन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) मैं और मेरा दल सदन से वाकआउट करता है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020, मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, विधेयक पेश करें।

विधेयक पर विचार

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी। श्री राजेंद्र राठौड़। श्री बिहारीलाल।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं खड़ा हूं न, साहब।

श्री अध्यक्ष: जरूरत नहीं है। आप जाइए अपने।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं खड़ा हूं यहीं पर ही। मैं यहीं पर तो खड़ा हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: हां, तो आप बोलो न फिर।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): तो माइक चालू हो तभी तो बोलूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए फिर। चलिए, श्री धर्मनारायण जोशी। श्री जोगेश्वर गर्ग। श्रीमती किरण माहेश्वरी। श्रीमती अनिता भदेल। श्री संयम लोढ़ा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं यहीं पर खड़ा हुआ था, साहब।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। बैठें आप। श्री संयम लोढ़ा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था।

श्री अध्यक्ष: संयम लोढ़ा जी, बोलिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार अपनी बजट घोषणा के अनुरूप राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020 लेकर आई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। संयम लोढ़ा जी, अपनी बात बोलिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इस योजना से ...(व्यवधान) पहले भामाशाह योजना में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई जरूरी नहीं है। आप बाहर जाइए। नहीं, जरूरी नहीं है। संयमजी, आप बोलिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...(व्यवधान) ज्यादा योजनाओं को लाभान्वित करने के लिए यह लेकर आई है और माननीय अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, नहीं चलेगा। जाइए। डोंट डिक्टेट मी। नहीं चलेगा। बोलिए, संयम लोढ़ा जी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): भामाशाह कार्ड क्या था, ये बीजेपी के लोग इन्होंने राजस्थान की जनता के गाढ़े पसीने की कमाई अपने प्रचार में खर्च करने का काम किया। भामाशाह कार्ड में वसुन्धरा राजे का फोटो लगा दिया और राजस्थान की जनता की गाढ़े पसीने की कमाई से खुद की पार्टी का प्रचार करने का काम किया और उस भामाशाह कार्ड में कमल के फूल का निशान लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है, उसको भामाशाह कार्ड में लगा दिया। एक तरफ परिवार की मुखिया का नाम उस भामाशाह कार्ड पर था। लोग पूछते हैं, यह दूसरी महिला कौन थी, जिसका नाम उस भामाशाह कार्ड पर लगाया। राजस्थान की जनता के 400 करोड़ रुपये इस भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने बर्बाद करने का काम किया। वसुन्धरा राजे का इतना बड़ा फोटो भामाशाह कार्ड पर लगा दिया। कमल के फूल का निशान लगा दिया। दो कलर का झंडा लगा दिया। राजस्थान की जनता की ओर से पूछना चाहते हैं कि जो 400 करोड़ रुपये का धन बर्बाद किया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वे एक नयी सोच के साथ यह जन आधार कार्ड लेकर आये हैं। पहले अगर किसी परिवार की बेटी शादी करके जाती थी तो उसको उसका कोई लाभ नहीं मिलता था। मैं पिण्डवाड़ा का एक किस्सा बताऊं। गोगुंदा से एक महिला शादी करके आयी। डिलीवरी में थी, पर उसका नाम पीहर में अपने पिता के भामाशाह कार्ड में था लेकिन ससुराल के कार्ड में नहीं था। माननीय

(श्री संयम लोढ़ा)

अध्यक्ष महोदय, उसको उसका लाभ नहीं मिला। अब इस योजना में मुखिया के साथ-साथ परिवार के सदस्य को भी 11 नंबर की पहचान दी गयी है और हर सदस्य की इस पर सीधी आइडेंटिटी होगी। आयुष्मान भारत का, दूसरी 56 योजनाओं का सीधा लाभ जो उनमें मिलता था, वह मिलेगा। इसके अलावा आगे आने वाले वक्त में और अधिक योजनाओं का लाभ इसमें मिल सकेगा। इसी तरह के गलत कामों की वजह से इनको पराजय का मुंह देखना पड़ा है। मैं राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वे यह नई योजना लाये हैं। आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के मित्रों को भी कहता हूं कि हर अच्छे काम का समर्थन करना चाहिए, हर जगह राजनीति नहीं करनी चाहिए। (व्यवधान) मैंने जो अपना संशोधन दिया है, वह मैं वापस लेता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)। श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020, जो अभी माननीय सदस्य श्री लोढ़ा जी ने कहा कि सरकारें आती हैं, जाती हैं लेकिन भामाशाह में पार्टी और खुद का फोटो लगाकर करोड़ों रुपये बर्बाद किये और मैं लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जन आधार लाकर इनसे बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया है। मैं मांग करता हूं कि भामाशाह कार्ड के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों ने जो भारी घपला और घोटाला किया है, माननीय मंत्री, इनकी जांच करवायी जाए। (व्यवधान) एक मरीज के उनके साथ वाले दो भामाशाह कार्ड के नाम से जो भारी घोटाला किया है, मेरा आरोप है कि शह देकर हास्पिटल को कमाई का जरिया बना दिया था। आज विधेयक, 2020 माननीय मुख्य मंत्री जो लाये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरा संशोधन वापस लेता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री अभिनेश महर्षि (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)। श्री वासुदेव देवनानी (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)। श्री मदन दिलावर (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)। श्री सतीश पूनियां (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

प्रश्न यह है कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किए जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 45, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 45 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 45 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020 पारित किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 19 फरवरी 2020 के प्रात: 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 16:16 बजे बुधवार, दिनांक 19 फरवरी 2020 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

121. श्री जौहरीलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ की तहसील रैणी व लक्ष्मणगढ़ में दिल्ली से मुंबई कोरिडोर एनएच-18 का कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त कॉरिडोर के कार्य के कारण तहसील रैणी व लक्ष्मणगढ़ के आसपास के गांवों की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं? क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की डेरा से प्रागपुर, रेहडिया से बारां भडकोल वाया माचडी, रैणी (सीआरपी योजना) रैणी से उकेरी वाया भूडा, पिनान से चिमरावली, मौजपुर से अजमेरी वास होते हुए रोवीजा जाट एवं महवा लक्ष्मणगढ, जालुकी रोड, गोविन्दगढ़ (रामगढ़) की सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं सौन्दर्यीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि तहसील रैणी व लक्ष्मणगढ़ में दिल्ली से मुम्बई कोरिडोर एनएच-148-एन का कार्य प्रगति पर है।

यह भी सही है कि उक्त एनएच-148-एन के लिए निर्माण सामग्री परिवहन से कुछ ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत समयबद्ध रूप से करेगी।

(2) विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ की डेरा से प्रागपुर, रेहडिया से बारां भडकोल वाया माचडी, रैणी (सीआरपी योजना) रैणी से उकेरी वाया भूडा, पिनान से चिमरावली, मौजपुर से अजमेरी वास होते हुए रोवीजा जाट एवं महुवा लक्ष्मणगढ़, जालुकी रोड़, गोविन्दगढ़ (रामगढ) की सड़कों की नियमित मरम्मत हेतु रुपये 22.00 लाख की राशि स्वीकृत कर कार्य करा दिया गया है। उक्त सड़कों का नवीनीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य राज्य सरकार वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर करायेगी।

डी.एम.एफ.टी. कोष से विकास कार्यों पर व्यय राशि

125. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान एवं विगत वितीय वर्ष में प्रदेश के विभिन्न जिला खनिज प्रतिष्ठानों (डीएमएफटी) के कोष में कितनी राशि जमा हुई तथा कितने विकास कार्य करवाये गए हैं तथा उक्त जिला खनिज प्रतिष्ठानों (डीएमएफटी) के कोष में कितनी राशि शेष है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वित्तीय वर्ष में प्रदेश के विभिन्न जिला खनिज प्रतिष्ठानों (डीएमएफटी) द्वारा कितने कार्य प्रारम्भ व कितने कार्य नवीन स्वीकृत किये गये? उक्त कार्यों की लागत क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान एवं विगत वित्तीय वर्ष में प्रदेश के विभिन्न जिला खनिज प्रतिष्ठानों (डीएमएफटी) के कोष में जमा हुई राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर तथा उक्त वित्तीय वर्ष में जिला खनिज प्रतिष्ठानों (डीएमएफटी) में करवाये गये विकास कार्यों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। वर्तमान में जिला खनिज प्रतिष्ठानों (डीएमएफटी) के कोष में शेष रही राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है।

(2) उक्त वित्तीय वर्ष में प्रदेश के विभिन्न जिला खनिज प्रतिष्ठानों (डीएमएफटी) में प्रारम्भ किये गये कार्य व नवीन स्वीकृत किये गये कार्य एवं उनकी लागत का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में बसों का संचालन

136. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पथ परिवहन निगम की बसें संचालित की गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में भी परसाद, चणावदा, जावर माइन्स होती हुई उदयपुर तक बस संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र झाड़ोल, परसाद, खाखा, चासदा, उमरणा पडूणा, टीडी बारापाल पाई, उन्दरी अलसीगढ़, गोगुन्दा, सलूम्बर आदि क्षेत्रों से मजदूर मजदूरी करने आते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में अतिरिक्त बसों का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा कोई नई ग्रामीण बसें संचालित नहीं की गई हैं।

उदयपुर से जावर माइन्स वाया टीडी होकर वर्तमान में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा दो परिचक्र (एक अप/एक डाउन) संचालित किये जा रहे हैं।

सरकार की घोषणा "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर संचालन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) राजस्थान परिवहन निगम द्वारा वर्तमान में झाड़ोल, गोगुन्दा, सलूम्बर, डूंगरपुर मार्ग पर संचालित वाहनों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

उक्त ग्रामों से उदयपुर शहर हेतु निजी वाहन स्वामियों को 100 परमिट स्वीकृत किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(परिवहन मंत्री)

निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त संचालित वाहनों के अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है किन्तु ग्रामीण परिवहन सेवा से राज्य के विभिन्न ग्रामों को जोड़ा जाना वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निजी विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय पर्व मनाने हेतु दिशा-निर्देश

137. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में प्रदेश के कुछ अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों द्वारा गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस पर विद्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता है? यदि हां, तो क्या ऐसे विद्यालयों पर विगत एक वर्ष में किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार बच्चों में राष्ट्रीय भावना बनाये रखने के लिये प्रदेश के सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के लिये कोई दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश के निजी विद्यालयों द्वारा गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस पर विद्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) राष्ट्रीय भावना बनाये रखने के लिये प्रदेश में सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के लिये मनाये जाने वाले दिवसों के लिये दिशा-निर्देश पूर्व ही जारी किये हुए हैं और इनका आयोजन शिविरा पचांग के अनुसार किया जा रहा है।

परन्तु इनके साथ-साथ ही 26 जनवरी, 2020 से भारत के संविधान की उद्देशिका में निहित मूल्यों से परिचित कराने एवं भारतीय संविधान के संबंध में जागरूकता को प्रोत्साहन के लिये ''भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना)'' का मूल पाठ प्रार्थना सभा के साथ-साथ प्रतिदिन वाचन करने के भी निर्देश जारी किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

महिला बन्दियों को महिला जेल में स्थानान्तरण

109. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में प्रदेश की जेलों में महिला बंदियों की संख्या कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा महिला बंदियों हेतु पृथक् से महिला जेल का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जेलों के निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय की गई?

(4) क्या यह सही है कि महिला जेल के निर्माण के उपरान्त भी महिला बंदियों को उक्त जेलों में नहीं रखा जा रहा है? यदि हां तो क्यों? सरकार कब तक इन्हें उक्त जेलों में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश की जेलों में दिनांक 31.01.2020 को 546 महिला बंदी निरूद्ध हैं। विवरण परिशिष्ट-"अ" में संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य में महिला बंदियों हेतु पृथक् से पूर्व में दो महिला बंदी सुधार गृह जयपुर एवं जोधपुर में संचालित थीं। इसके अतिरिक्त राज्य के 05 संभाग मुख्यालयों- भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा एवं अजमेर पर पृथक् से नवीन महिला बंदी सुधार गृहों का निर्माण करवाया गया है।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य के 05 संभाग मुख्यालयों- भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा एवं अजमेर पर पृथक् से नवीन महिला बंदी सुधार गृहों के निर्माण पर 2668.71 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

(4) जी नहीं। राज्य के 05 संभाग मुख्यालयों- भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा एवं अजमेर पर पृथक् से नवीन महिला बंदी सुधार गृहों को निर्माण उपरान्त प्रारम्भ किया जा चुका है एवं महिला बंदी निरूद्ध रखी जा रही है। विवरण परिशिष्ट-"ब" में संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति के दर्ज प्रकरण

110. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनवरी, 2019 से जनवरी, 2020 तक एसीबी ने कितने प्रकरण आय से अधिक सम्पत्ति एवं अन्य अनियमितताओं के ट्रेप किये? एसीबी थानों में दर्ज प्रकरणों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में दर्ज उक्त प्रकरणों में कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनसे कितनी राशि प्राप्त की गई एवं न्यायालय द्वारा कितने अधिकारियों व कर्मचारियों को बरी किया तथा कितनों को सजा हुई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एसीबी के प्रयत्न से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये तथा कार्यवाही करने हेतु सरकार कोई कठोर कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जनवरी 2019 से जनवरी 2020 तक आय से अधिक सम्पत्ति, अन्य अनियमितताओं एवं ट्रेप के निम्नानुसार प्रकरण दर्ज किए गए हैं:-

दर्ज प्रकरणों का विवरण	जनवरी, 2019 से जनवरी, 2020 की अवधि में दर्ज प्रकरणों की संख्या
आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के	28
पद के दुरुपयोग के (अन्य अनियमितताओं)	91
ट्रेप के	326
कुल दर्ज प्रकरण	445

प्रकरणों का जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-क में अंकित है।

(2) आलोच्य अवधि में दर्ज प्रकरणों में से 293 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनसे रिश्वत राशि के रूप में कुल 1,60,95,715/- रुपये बरामद किए गए।

(गृह मंत्री)

उक्त दर्ज प्रकरणों में से 66 प्रकरणों का माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणों से संबंधित किसी अधिकारी/कर्मचारी को सजा देने या बरी करने का फैसला अभी नहीं किया गया है।

(3) जी हां। राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कटिबद्ध है एसीबी के कार्यों की दिनांक 27-11-19 को उच्चतम स्तरीय समीक्षा बैठक ली गई जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अनेक निर्णय लिये गये। मुख्य सतर्कता अधिकारियों की भूमिका को और सशक्त बनाये जाने का निर्णय लिया गया। एसीबी से प्राप्त प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण एवं आय से अधिक सम्पत्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये, साथ ही भ्रष्ट एवं अक्षम अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

जनता द्वारा एसीबी को गोपनीय सूचना/शिकायत देने हेतु एक यूनिफाई टेलीफोन नं. जारी किया गया है। भ्रष्ट लोक सेवकों की शिकायत करने एवं टेप करवाने वाले व्यक्तियों का संबंधित विभाग में उत्पीड़न न हो, इस संबंध में ग़ह विभाग द्वारा परिपत्र जारी किया गया है। जो परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर में अनार मण्डी की स्थापना

111. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत बजट में कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई थी? यदि हां, तो उक्त कोष से अब तक क्या-क्या कार्य किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला बाड़मेर में अनार मण्डी की स्थापना करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट घोषणा के अनुसार राशि 1000 करोड़ रुपये के

(कृषि विपणन मंत्री)

कृषक कल्याण कोष की स्थापना की जा चुकी है। इसमें से 500 करोड़ रुपये प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए राज्यांश प्रीमियम के रूप में स्वीकृत किये जा चुके हैं। आदेश दिनांक 12.02.2020 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। बाड़मेर जिले में कृषि उपज मण्डी समिति बाड़मेर द्वारा मुख्य मण्डी प्रांगण में फल एवं सब्जी के क्रय-विकय के लिये समुचित आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा चुका है, जहां पर अनार का क्रय-विक्रय भी होता है। इसी तरह बाड़मेर जिले में कृषि उपज मण्डी समिति बालोतरा के मुख्य मण्डी प्रांगण में ही पृथक से फल सब्जी प्रांगण विकसित किया जा रहा है, इसलिए वर्तमान में जिला बाड़मेर में पृथक से अनार मण्डी स्थापित किया जाना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

देवली-उनियारा में नई पुलिस चौकियों की स्थापना

112. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में वर्तमान में कुल कितने पुलिस थाने एवं पुलिस चौकियां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नवीन पुलिस चौकियां खोलना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में वर्तमान में कुल 08 पुलिस थाने एवं 10 पुलिस चौकियां संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के अन्तर्गत नवीन पुलिस चौकियां खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास में विधायक कोष के तहत करवाये गये कार्य

113. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2018 तक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष के तहत किन-किन कार्यों की सिफारिश की गई तथा उनमें से कौन-कौनसे कार्य कहां-कहां व कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सिफारिशों पर कितनी राशि व्यय कर कौन-कौनसे कार्य पूर्ण किये गये और कौन-कौनसे कार्य अपूर्ण रहे? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विगत पांच वर्षों में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत विभिन्न कार्यों पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वर्षवार अभिशंषित कार्यों (268) तथा उनमें से स्वीकृत कार्यों (256) व स्वीकृत राशियों का विवरण परिशिष्ट-1 के अनुसार है।

(2) उक्त अनुशंषाओं पर स्वीकृत कार्यों पर व्यय राशि व कार्यों की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण) का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 अनुसार है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विगत पांच वर्षों में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत कुल राशि रुपये 884.76 लाख व्यय हुए है। विवरण परिशिष्ट-1 के अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत उपखण्ड में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

114. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली के सोजत उपखण्ड में वर्ष 2017 से जनवरी, 2020 तक कौन-कौनसी ग्रामीण सड़कों का निर्माण पुन: करवाया गया तथा कौन-कौनसी सड़कों की मरम्मत कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई? उक्त

(श्री कान्ति प्रसाद)

कार्य किस-किस संवेदक द्वारा करवाया गया? उक्त समयावधि के दौरान कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई? सड़कवार व ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपखण्ड बर में झाला की चौकी से कलालिया जाने वाली सड़क का निर्माण किस संवेदक द्वारा कब करवाया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़क गारण्टी अवधि से पूर्व ही क्षतिग्रस्त होने से सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त सड़क के क्षतिग्रस्त होने की जांच करवाकर सड़क का पुनर्निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या सरकार जिला पाली की ग्राम पंचायतों की सड़कों को पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी समयावधि में एवं क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले के सोजत उपखण्ड में वर्ष 2017 से 2020 तक पुनर्निमित सड़कों का संवेदक के नाम सहित मय स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। उक्त समयावधि में कोई सड़क क्षतिग्रस्त नहीं हुई है।

(2) उपखण्ड बर में झाला की चौकी से कलालिया जाने वाली सड़क का निर्माण/नवीनीकरण का विवरण संवेदक के नाम सहित परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) संवेदक की गारण्टी समयावधि के दौरान सड़क क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। वर्तमान में सड़क संतोषजनक है।

(4) वर्तमान में सड़क की स्थिति संतोषजनक है।

(5) सम्पूर्ण जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण/मरम्मत करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डीडवाना के सड़क सुविधा से वंचित ग्राम

115. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में 250 से अधिक आबादी के ऐसे कितने गांव हैं जो सड़क सुविधा से वंचित हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना (जिला नागौर) में जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 250 से अधिक आबादी के 5 गांव सड़क सुविधा से वंचित हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सभी डामर सड़क से वंचित गांवों को सड़क से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खानपुर में विधायक कोष के तहत स्वीकृत कार्य

116. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खानपुर में वर्तमान में विधायक कोष से स्वीकृत कार्यों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त स्वीकृत कार्यों को कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में विधायक कोष से कुल 69 कार्य स्वीकृत हैं जिनमें से दो कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं। अप्रारम्भ कार्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से अप्रारम्भ दो कार्यों की निविदा की

(ग्रामीण विकास मंत्री)

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर कार्य प्रारम्भ कर दिये जायेंगे। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान

117. श्रीमती जाहिदा खान (कामां): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र में अधिकतम विद्युत उत्पादन तथा न्यूनतम कीमत पर आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए क्या कोई कार्य योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में घरों में सौर उर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नई सौर ऊर्जा नीति-2019 के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2024-25 तक 30,000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। आम व्यक्ति रुफटाप योजना के अन्तर्गत स्वयं के ऊर्जा उपयोग हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकता है।

(2) जी हां। नवीन एवं नवीकरणीय, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 1 किलोवाट से 3 किलोवाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों पर 40 प्रतिशत तथा 3 किलोवाट से अधिक-10 किलोवाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों पर 20 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

शेरगढ़ में कार्मिकों के रिक्त पद

118. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में विभाग के विभिन्न सेवा संवर्ग के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत, कितने पदों पर कार्मिक पदस्थापित तथा कितने पद कब से रिक्त हैं? कार्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सृजित खण्ड/उपखण्ड कार्यालयों में विभिन्न सेवा संवर्ग के कार्मिकों के कुल स्वीकृत, पदस्थापित एवं रिक्त पदों के संबंध में कार्यालयवार वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) **सहायक अभियन्ता** के पद सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से क्रमश: 50:50 के अनुपात में भरे जाते हैं। सहायक अभियन्ता के विभाग में सीधी भर्ती के 312 पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा दिनांक 05.04.2018 को विज्ञप्ति जारी कर मुख्य परीक्षा माह दिसम्बर, 2019 में आयोजित की जा चुकी है तथा चयन की कार्यवाही आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त सहायक अभियंता के पदोन्नति कोटे से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर चयन हेतु वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 की डी.पी.सी. के प्रस्ताव तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर **कनिष्ठ अभियन्ताओं** के 177 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विभाग द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को पत्र दिनांक 27.03.2018 द्वारा अर्थना प्रेषित की गई। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत एवं सामान्य श्रेणी के आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के निर्देशानुसार उक्त वर्गों को देय नवीन आरक्षण के अनुरूप पदों का वर्गीकरण किया जाकर, दिनांक 02.05.2019 को संशोधित अर्थना विभाग द्वारा भेजी गई।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 29.08.2019 द्वारा विशेष योग्यजनों को सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान लागू होने के फलस्वरूप पत्र दिनांक 07.10.2019 द्वारा नवीन नियमानुसार विशेष योग्यजनों को देय संशोधित पदों की सूचना बोर्ड कार्यालय को भिजवा दी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2020 हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिये दिनांक 13.02.2020 को विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद को पदोन्नति से तथा कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद को सीधी भर्ती व अनुकम्पात्मक नियुक्ति से भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लोहागल ग्राम (अजमेर) में नई टंकी का निर्माण

119. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अजमेर के लोहागल गांव में घर-घर नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति किये जाने की योजना कब प्रारम्भ हुई? उक्त योजना पर कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त गांव एवं आस-पास की आवासीय कालोनियों में कितने अन्तराल से पेयजल आपूर्ति की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त गांव में स्थित पानी की टंकी से पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार पर्याप्त क्षमता की नई टंकी बनवाने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले की पंचायत समिति श्रीनगर की ग्राम पंचायत माकड़वाली के ग्राम लोहागल को पाइप्ड जल योजना अंतर्गत घर-घर जल संबंधों से लाभान्वित किये जाने हेतु योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 196वीं बैठक दिनांक 20.10.2015 द्वारा राशि रुपये 358.21 लाख तथा तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), जयपुर द्वारा राशि रुपये 295.05 लाख की दिनांक 15.02.2016 को जारी की गई।

उक्त स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु मैसर्स सुल्तान अहमद मंसूरी, अजमेर को राशि रुपये 290.78 लाख का कार्यादेश (योजना के 10 वर्ष तक संचालन एवं संधारण कार्य सहित) दिनांक 03.08.2016 को जारी किया गया। योजना में प्रावधित विभिन्न साइज एवं व्यास की डी.आई. के-7 वितरण पाइप लाइनों को बिछाने एवं जोड़ने का कार्य पूर्ण किया जाकर ग्राम में घरेलू जल संबंधों द्वारा माह फरवरी, 2017 से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की गई।

उक्त योजना की पूर्ण क्रियान्विति पर रुपये 351.01 लाख की राशि का व्यय किया गया।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) ग्राम लोहागल में नारी निकेतन के पास निर्मित एक आर.सी.सी. उच्च जलाशय (जल भण्डारण क्षमता-150 किलो लीटर) तथा उपरली मोडी ढाणी में निर्मित भू-तल जलाशय (जल भण्डारण क्षमता-30 किलो लीटर) से सम्पूर्ण ग्राम में घरेलू जल संबंधों द्वारा 55 लीटर प्रति व्यक्ति की दर से 72 घण्टे के अंतराल में बीसलपुर के स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

(3) जी नहीं। उपरोक्तानुसार। ग्राम लोहागल की वर्ष 2021, 2031 एवं वर्ष 2041 की अभिकल्पित जनसंख्या क्रमश: 3660, 4497 एवं 5526 जन हेतु प्रतिदिन अभिकल्पित पेयजल मांग 0.20, 0.30 एवं 0.33 मिलियन लीटर की मांग के अनुरूप, कुल 180 किलो लीटर जल भण्डारण हेतु उक्तानुसार स्टोरेज उपलब्ध है जो वर्ष 2041 तक ग्राम की अभिकल्पित पेयजल मांग की आपूर्ति हेतु पर्याप्त है।

इस प्रकार जल संग्रहण एवं वितरण हेतु ग्राम में नवीन उच्च जलाशय के निर्माण की वर्तमान परिपेक्ष्य में आवश्यकता नहीं है।

कोटा शहर में हाईटेंशन लाइनों से दुर्घटना में लोगों की मृत्यु होने पर मुआवजा

120. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा शहर में बिजली की हाईटेंशन लाइनों के कारण विगत 4 वर्षों में कितने लोगों की मृत्यु हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शहर में विगत 5 वर्षों में सार्वजनिक स्थान पर बिजली का करन्ट लगने से कितने लोगों की मृत्यु हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त घटनाओं में मृतक लोगों के परिजनों को कोई मुआवजा दिया गया? यदि हां, तो कब व कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार कोटा शहर के आबादी क्षेत्रों में से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) विगत 5 वर्षों में कोटा शहर में आबादी क्षेत्र से कितनी हाईटेंशन लाइनों को हटाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षो में कोटा शहर KEDL के अधीन में हाईटेंशन लाइनों के कारण दो आमजन की मृत्यु हुई है, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध हैं।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) कोटा शहर में उक्त दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को निम्नानुसार मुआवजा दिया गया है:-

मृतक का नाम	मुआवजा राशि दिनांक
श्री महेन्द्र सिंह	रु. 7 लाख / दिनांक 02.08.2019
श्रीमती हिरामनी	रु. 5 लाख / दिनांक 23.02.2018

(4) विद्युत वितरण निगमों द्वारा हाईटेंशन लाइनें नियमानुसार स्थापित की जाती हैं। तदुपरान्त विद्युत लाइनों के नीचे/नजदीक, भवन/संस्थान आदि का अवैध रूप से निर्माण कर लिया जाता है, जिसके लिए विभाग द्वारा समय-समय पर नोटिस जारी किया जाता है। यदि कोई संस्था/निकाय विद्युत लाइन को दूर हटवाने हेतु आवेदन करता है, तो नियमानुसार रास्ता उपलब्ध होने पर व इस कार्य के लिए व्यय राशि का 50 प्रतिशत आवेदित व्यक्ति/संस्था द्वारा वहन करने पर लाइन को दूर किया जाता है। शेष 50 प्रतिशत राशि विभाग के द्वारा वहन की जाती है। इस संबंध में M/s KEDL द्वारा लगभग 375 मामलों में उपभोक्ताओं को लाइन शिफ्ट करवाने हेतु नोटिस जारी किए गए हैं।

(5) विगत पांच वर्षों में कोटा शहर की आबादी क्षेत्र से हाईटेंशन लाइन हटाने हेतु किसी भी संस्था/निकाय द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं करवाई गई है। अत: किसी भी हाईटेंशन लाइन को नहीं हटाया गया है। तथापि सुरक्षा के मद्देनजर प्रमुख स्थानों पर गार्डिंग लगाकर व 9 स्थानों पर लाइनों की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना (नागौर) में रंग धर्मशाला पर व्यावसायिक मार्केट का निर्माण

121. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अशोक डोगरा)

(1) क्या यह सही है कि डेगाना रेलवे स्टेशन के सामने स्थित रंग धर्मशाला को तोड़कर व्यावसायिक मार्केट का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त धर्मशाला का मालिक कौन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नगरपालिका डेगाना के द्वारा व्यावसायिक मार्केट बनाने की अनुमति दी गई है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? आवेदन प्राप्त होने से अनुमति जारी करने तक के दस्तावेज, साइट प्लान, प्राप्त राशि सहित समस्त दस्तावेजों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। डेगाना स्टेशन के सामने स्थित श्री रंग धर्मशाला (प्राइवेट ट्रस्ट) को तोड़कर धर्मशाला व पूर्व में निर्मित दुकानों को तोड़कर पुन: दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। नगरपालिका में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार श्री रंग धर्मशाला के मालिक श्री रंग धर्मशाला डेगाना प्राइवेट ट्रस्ट गांव डेगाना है जिसके ट्रस्टी श्री राजेन्द्र मल बाफना हैं। दस्तावेजों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। नगरपालिका डेगाना के द्वारा पुरानी दुकानों को तोड़कर नई दुकानें व धर्मशाला बनाने की अनुमति एकीकृत भवन विनियम 2017 के तहत जारी की गई है। आवेदन प्राप्त होने से अनुमति जारी करने तक के सभी दस्तावेज, साइट प्लान, प्राप्त राशि सहित समस्त दस्तावेजों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना में स्वीकृत धनराशि

122. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर में चल रही स्मार्ट सिटी परियोजना में अब तक कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई है व कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजना के लिये कितने कर्मचारी और अधिकारियों का पदस्थापन या नियुक्ति की गई है तथा कितने कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर हैं व कितने अधिकारी और कर्मचारियों के पास उक्त परियोजना का पूर्णकालिक कार्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्मार्ट सिटी परियोजना उदयपुर को अब तक केन्द्र सरकार द्वारा 500 करोड़, राज्य सरकार द्वारा 300 करोड, नगर निगम उदयपुर द्वारा 100 करोड एवं नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा 100 करोड़ रुपये राशि स्वीकृत की गयी है। उसमें केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत, राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत, नगर निगम उदयपुर द्वारा 10 प्रतिशत हिस्सा राशि सम्मिलित है। उक्त योजनान्तर्गत आज दिनांक तक राशि रुपये 337.45 करोड़ व्यय की जा चुकी है।

(2) उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अन्तर्गत योजनान्तर्गत विभिन्न पदों पर पूर्णकालिक एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

आमेर में हैरिटेज लाइटों को दुरुस्त करवाने का कार्य

123. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आमेर के वार्ड 91 में हास्पिटल वाली गली से सागर रोड व खेड़ी दरवाजा से आमेर महल जाने के मार्ग पर हैरिटेज स्ट्रीट लाइट्स रखरखाव के अभाव में खराब पड़ी हैं? यदि हां, तो क्यों व उक्त लाइट्स को कब तक दुरुस्त करवा दिया जायेगा व इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। हैरिटेज स्ट्रीट लाइट्स आमेर विकास प्राधिकरण द्वारा लगायी गई थी। उक्त लाइट्स केबल खराब होने एवं बन्दरों के द्वारा तोड़ दिये जाने के कारण खराब हो गई है। नगर निगम, जयपुर द्वारा उक्त लाइटों को सही करने हेतु राशि 57.97 लाख रुपये तकमीना बनाकर स्वीकृति जारी की जाकर निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्यादेश जारी होने के पश्चात् कार्य करवाया जाएगा। आमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अक्टूबर 2019 में हैरिटेज स्ट्रीट लाइट्स नगर निगम जयपुर को स्थानान्तरित की गई थी।

पशुओं की देशी प्रजातियों के संरक्षण हेतु कार्ययोजना

124. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(1) प्रदेश में गाय एवं भैंस की स्थानीय नस्लें कौन-कौनसी हैं? उक्त नस्लों का औसत दुग्ध उत्पादन क्या है?

(2) सरकार ने गाय, भैंस, बकरी, ऊंट व भेड़ की देशी प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए वर्तमान एवं विगत वित्तीय वर्ष में क्या-क्या कार्य किए हैं व उक्त कार्यों पर कितना बजट आबंटित किया एवं वास्तविक व्यय कितना हु आ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किसानों की आय वृद्धि के लिए पशुपालन, विशेषत: देशी प्रजाति के पशुपालन के लिए कोई प्रोत्साहन योजना चला रही है? यदि हां, तो क्या वर्तमान एवं विगत वित्त वर्ष में योजनाओं पर व्यय व लाभार्थियों की संख्या, बजट आबंटन से संबंधित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में गौवंश एवं भैंस वंश की स्थानीय नस्लों एवं उनका औसत दूध उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:-

गौवंश की नस्ल		**भैंस वंश की नस्ल**	
नस्ल का नाम	**औसत दूध उत्पादन (कि.ग्रा.)/ ब्यात**	**नस्ल का नाम**	**औसत दूध उत्पादन (कि.ग्रा.)/ब्यात**
कांकरेज	1738	मुर्रा	1752
नागौरी	603	सूरती	1667
राठी	1560	-	-
साहीवाल	2325	-	-
थारपारकर	1749	-	-
गीर	2110	-	-
मालवी	915	-	-

(2) प्रदेश में गाय, भैंस, बकरी, ऊंट व भेड़ की देशी प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए किये गये कार्य संबंधित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में किसानों की आय वृद्धि के लिए पशुपालन प्रोत्साहन योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम से लाभार्थी

125. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा "कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम" वर्ष 2019-20 में आयोजित किया गया है? यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम किस-किस जिले में आयोजित किया गया? उक्त कार्यक्रम में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों पर मेले, संगोष्ठियां आदि आयोजित किये गये? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर तथा उक्त कार्यक्रमों में कितने लोगों की सहभागिता रही तथा कितने लोग लाभान्वित हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर कृषि खण्ड में 17 दिसम्बर, 2019 को "कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम" का आयोजन विद्याधर नगर स्टेडियम, जयपुर में किया गया। उक्त कार्यक्रम में अब तक रुपये 2,41,65,403/- (दो करोड़ इकतालीस लाख पैंसठ हजार चार सौ तीन) व्यय हुए। राज्य के शेष 9 कृषि खण्डों में "कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम" अन्तर्गत मेले, संगोष्ठियां आयोजित किये जाने प्रस्तावित हैं।

(2) जी हां। विद्याधर नगर स्टेडियम, जयपुर में मेले व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के समस्त जिलों से 25,238 कृषकों की सहभागिता रही। लाभान्वित कृषकों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़मेर में विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों के अनुदान के लम्बित प्रकरण

126. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में किसानों की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान राशि के प्रकरण लम्बित हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हमीर सिंह भायल)

(2) उक्त जिले में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 20 जनवरी, 2020 तक किसानों के कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया एवं कितने लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर जिले में किसानों की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान हेतु उपलब्ध राशि से अधिक पत्रावलियां होने, भारत सरकार से निर्धारित केन्द्रीयांश राशि प्राप्त नहीं होने, निर्माण कार्य एवं भौतिक सत्यापन प्रक्रियाधीन आदि के कारण अनुदान राशि के कतिपय प्रकरण लम्बित हैं।

(2) बाड़मेर जिले में वित्तीय वर्ष 2018-19 से अब तक किसानों की निस्तारित एवं लम्बित पत्रावलियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही में गौ संवर्धन योजनाओं के लक्ष्य

127. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सिरोही की गौ-शालाओं में संधारित गौ-वंश को चारा-पानी पशु आहार, नाकारा सांड व बछड़ा बधियाकरण, सांड पंजीकरण वध से बचाये गये गौ-वंश की सहायता, गौ-शाला प्रतिनिधियों को सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक नि:शुल्क आवासीय प्रशिक्षण जिले की उत्कृष्ट गौशालाओं को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने के लिए विगत दो वर्षों से जनवरी, 2020 तक के लिये निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है उक्त जिले में उक्त कार्यक्रमों में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियां नगण्य रही हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सिरोही की गौ-शालाओं में संधारित गौ-वंश को चारा-पानी पशु आहार, नाकारा सांड/बछड़ा बधियाकरण, सांड पंजीकरण वध से बचाये गये गौ-वंश की सहायता, गौ-शाला प्रतिनिधियों को सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक नि:शुल्क आवासीय प्रशिक्षण जिले की उत्कृष्ट गौशालाओं को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने के लिए गत दो वर्षों से जनवरी, 2020 तक के लिये लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(गोपालन मंत्री)

(2) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुंझुनूं जिले में अवैध खनन पर शास्ति वसूली राशि

128. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनूं जिले में अवैध खनन के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में अवैध खनन रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई और किन-किन पर कितनी शास्ति अधिरोपित की गई? शास्ति की किन-किनसे वसूली की जा चुकी है तथा किन-किन पर बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला झुन्झुनूं में विगत तीन वर्षों में अवैध खनन के 48 प्रकरण सामने आये हैं। प्रकरणवार स्थानवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त प्रकरणों में अवैध खनन रोकने के लिये प्रकरणवार की गई कार्यवाही, अधिरोपित शास्ति, वसूल की गई तथा बकाया राशि का विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर ग्रामीण में अन्त्योदय अन्न योजना के तहत परिवारों को चीनी का वितरण

129. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रता के लिये शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा तय करने के क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में अन्त्योदय अन्न योजना के तहत वर्ष में कितने परिवारों को चीनी वितरित की गई?

(श्री फूल सिंह मीणा)

(3) क्या सरकार द्वारा सभी लाभार्थियों को चीनी वितरित कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या प्रदेश के सभी जिलों में सभी राशनकार्ड धारकों को केरोसीन दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो किन-किन जिलों में कब से नहीं दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 3(2) के अन्तर्गत जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश दिनांक 20 मार्च, 2015 के बिन्दु संख्या 17 के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना में चयन की सीमा वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुपात में (ग्रामीण क्षेत्र में 69.09 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 53.00 प्रतिशत) निर्धारित की गई है।

(2) जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक चीनी प्राप्त करने वाले अन्त्योदय परिवारों की त्रैमासिक संख्या निम्नानुसार है:-

जनवरी, 2019 से मार्च 2019	**अप्रैल, 2019 से जून 2019**	**जुलाई, 2019 से सितम्बर 2019**	**अक्टूबर, 2019 से दिसम्बर 2019**
2306	1869	2654	2828

(3) वर्तमान में वर्ष 2019 में उचित मूल्य दुकान पर चीनी प्राप्त करने हेतु गये अन्त्योदय परिवारों का विवरण बिन्दु संख्या दो में अंकित है।

(4) प्रदेश में जिलों में उन सभी राशनकार्ड धारकों को 2.5 लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड केरोसीन दिया जा रहा है जिनके पास घरेलू गैस कनेक्शन नहीं हैं। वर्तमान में प्रदेश में घरेलू कनेक्शनों की उपलब्धता एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण मांग नहीं होने से जिन जिलों में केरोसीन का आबंटन नहीं किया जा रहा है, की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर में भामाशाह कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने के आवेदन

130. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री शंकर सिंह रावत)

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के उपखण्ड कार्यालय ब्यावर में भामाशाह कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना से लिंक कराने हेतु कितने-कितने आवेदन जनवरी, 2018 से 20 जनवरी, 2020 तक प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदन पत्रों में कितने भामाशाह कार्ड को कब-कब लिंक किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त कितने आवेदन पत्र कब से किस कारण से लम्बित हैं? उक्त आवेदन पत्रों का कब तक निस्तारण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा तय करने के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपखण्ड कार्यालय ब्यावर में जनवरी, 2018 से अब तक भामाशाह कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना से लिंक कराने का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) भामाशाह कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना से लिंक कराने का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) भामाशाह कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना से लिंक कराने का कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

(4) भारत सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 3(2) के अन्तर्गत जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश दिनांक 20 मार्च, 2015 के बिन्दु संख्या 17 के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना में चयन की सीमा वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुपात में (ग्रामीण क्षेत्र में 69.09 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 53.00 प्रतिशत) निर्धारित की गई है। सन्दर्भित आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीडूंगरगढ़ में बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालय

131. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गिरधारीलाल)

(1) क्या सरकार पंचायत मुख्यालयों को राज्य परिवहन निगम की बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है?

(2) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कितने पंचायत मुख्यालय निगम की बस सेवा से जुड़े हुए हैं तथा कितने वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के वंचित मुख्यालयों को निगम बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार की घोषणा "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर संचालन हेतु कार्यवाही प्रकियाधीन है।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के राजस्थान परिवहन निगम की बस सेवा से जुड़े/वंचित ग्राम पंचायतों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(3) जी हां। सरकार की घोषणा "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर संचालन हेतु कार्यवाही प्रकियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शहीद सैनिकों के परिवारों को सहायता

132. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि देश सेवा में शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है? यदि हां, तो विगत एक वर्ष में प्रदेश के कितने शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत एक वर्ष में सरकार द्वारा कितने शहीदों के आश्रितों को क्या-क्या सहायता प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत एक वर्ष में प्रदेश के कुल 17 शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गई है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) विगत एक वर्ष में 51 शहीदों के आश्रितों को विभिन्न सहायता दी गई, जिनका विवरण परिशिष्ट 'ख' पर तथा 89 शहीदों के नाम से विद्यालय नामकरण किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में शहीद/स्थाई विकलांग सैनिकों के आश्रित 3 बच्चों को छात्रवृत्ति से एवं शहीदो के आश्रित दो बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश से लाभान्वित किया है, जिनका विवरण परिशिष्ट-'घ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मनोहरथाना के विद्यालयों में चारदीवारी का निर्माण

133. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के किन-किन विद्यालयों में भवन खण्डहर घोषित किये जाने के उपरान्त भी कक्षायें संचालित की जा रही हैं? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के चारदीवारी से वंचित विद्यालयों में कब तक चारदीवारी की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के किस-किस विद्यालय में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है? उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करवा दी जायेगी? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में किन-किन विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के रिक्त पद हैं? उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में कोई भी विद्यालय खण्डहर घोषित नहीं है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बिशनखेड़ी का भवन इस वर्ष बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे खण्डहर घोषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस भवन में कक्षायें संचालित नहीं की जा रही हैं।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत 11 विद्यालयों एवं प्रारम्भिक शिक्षा के तहत 98 राजकीय विद्यालय चारदीवारी से वंचित हैं।

समग्र शिक्षा अन्तर्गत विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण हेतु बजट का कोई प्रावधान नहीं है। चारदीवारी बनवाने का कार्य एसडीएमसी द्वारा मनरेगा, जनसहयोग एवं समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से करवाने हेतु अधिकृत उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण संबंधी प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झालावाड़ को प्रेषित किये गये हैं। जिला परिषद द्वारा बजट प्रावधान उपलब्ध कराये जाने पर चारदीवारी का निर्माण किया जाना संभव हो सकेगा।

(3) यू-डाईस 2018-19 के अनुसार 21 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पेयजल सुविधाविहीन विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। ऐसे विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था करायी जा रही है।

14वें केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग-पंचम के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा शहरी क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पी.एच.ई.डी. द्वारा भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।

(4) माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना जिला झालावाड़ में संचालित राजकीय विद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संवर्गवार विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर तथा विभागीय पदोन्नति से पात्र आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों की पूति की जा सकेगी।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

मनोहरथाना विधानसभा क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन संचालित राजकीय विद्यालयों में विभिन्न संवर्गो के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 31000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों को माध्यमिक शिक्षा विभाग से पदोन्नति/आरपीएससी से नव चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीपल्दा के विद्यालयों में कक्षा-कक्ष व खेल मैदान का निर्माण

134. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण एवं खेल मैदान विकसित करने हेतु निर्धारित नीति अनुरूप ही कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के विद्यालयों में स्वीकृत नीति के अनुरूप एवं आवश्यकतानुसार कक्षा-कक्ष तथा खेल मैदान आदि नहीं है? यदि हां, तो कितने विद्यालयों में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालयों के पर्याप्त संख्या में निर्धारित माप के कक्षा-कक्ष निर्मित नहीं होने एवं खेल मैदान विकसित नहीं होने की सरकार द्वारा कब तक जांच करवाई जायेगी?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के विद्यालयों में निर्धारित नीति एवं आदेशों की अनुपालना में कक्षा-कक्षों का निर्माण तथा खेल मैदानों का विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। समग्र शिक्षा अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। योजना के प्रावधानुसार प्रतिवर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष कक्षा-कक्षों की स्वीकृति जारी की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य किया जाना सम्भव हो सकेगा।

समग्र शिक्षा अन्तर्गत खेल मैदानों के विकास हेतु बजट का प्रावधान नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत उपलब्ध खेल मैदानों के विकास हेतु मनरेगा, स्थानीय विकास योजनाओं एवं अन्य स्रोतों से आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।

(2) जी हां। समग्र शिक्षा अभियान की रिपोर्ट के अनुसार विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के 59 राजकीय विद्यालयों में नीति अनुरूप एवं आवश्यकतानुसार कक्षा-कक्षों की कमी है तथा 160 राजकीय विद्यालयों में खेल मैदान अनुपलब्ध है, जिनका विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) समग्र शिक्षा अन्तर्गत प्रतिवर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावों एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर कक्षा-कक्षों की स्वीकृतियां जारी की जाती हैं। अत: उक्त विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में कक्षा-कक्षों की उपलब्धता समग्र शिक्षा अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृतियां प्राप्त होने पर किया जाना संभव है।

(4) जी हां। समग्र शिक्षा अन्तर्गत प्रस्तावों एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आगामी वर्षों में उक्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा-कक्ष स्वीकृत किये जाने पर निर्माण कार्य करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत उपलब्ध खेल मैदानों के विकास हेतु मनरेगा, स्थानीय विकास योजनाओं एवं अन्य स्रोतों से आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र/आदेश की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कार्यरत होमगार्ड

135. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने होमगार्ड कार्यरत हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त होमगार्डों से क्या-क्या काम लिये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि होमगार्ड के जवानों को पिछले कुछ समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या प्रदेश में कार्यरत होमगार्ड्स की ड्यूटी नियमित रूप से लगाई जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार द्वारा होमगार्ड व उनके परिजनों को कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है? यदि हां, तो क्या?

(6) वर्तमान में होमगार्ड को कितना वेतन एवं कौन-कौन से परिलाभ एवं सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या सरकार होमगार्डों का वेतन पुलिस कर्मचारियों के समकक्ष करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में नियोजित होमगार्ड की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) विभिन्न विभागों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/मण्डलों/निगमों में नियोजित गृह रक्षा स्वयं सेवकों से निम्नानुसार कार्य लिया जाता है:-

1. पुलिस विभाग में रात्रि गश्त, यातायात ड्यूटी, मेले-त्योहार में कानून एवं व्यवस्था तथा पुलिस का सहयोग।
2. खनिज विभाग में विभिन्न डयूटी पॉईन्ट पर सुरक्षा प्रहरी का कार्य कर अवैध खनन कार्य रोकना।
3. जेल विभाग में प्रहरी/मुख्य प्रहरी के रिक्त पदों के विरुद्ध जेल सुरक्षा डयूटी करना।
4. वन विभाग में वन एवं वन्य जीव सुरक्षा हेतु।
5. अन्य एजेन्सियों में सुरक्षा ड्यूटी हेतु।
6. न्यायालय/कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्य लिया जाना।

(राज्य मंत्री, गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा)

7. नगर निगम/नगर परिषद में सुरक्षा डयूटी तथा अतिक्रमण हटाये जाने वाले जाप्ते के साथ तैनात किया जाना।

(3) गृह रक्षा स्वयंसेवकों को एजेन्सियों द्वारा नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। कुछ सरकारी विभागों, जैसे भारत संचार निगम लिमिटेड, कारागार विभाग द्वारा भुगतान में बजट अनुपलब्धता के आधार पर विलम्ब होता है, जिनसे भुगतान के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) राजस्थान होमगार्ड्स रूल्स 1962 में स्वयंसेवकों को नियमित रूप से ड्यूटी पर लगाये जाने का प्रावधान नहीं है। विभाग का मूल उद्देश्य सदस्यों को प्रशिक्षित कर आपातकाल एवं शान्तिकाल में आवश्यकतानुसार एवं मांग अनुसार नियोजन किया जाता है। वर्तमान में लगभग 40 प्रतिशत होमगार्ड डयूटी पर नियोजित हैं जिन्हें रोटेशन के आधार पर ड्यूटी पर लगया जाता है।

(5) (I) गृह रक्षा विभाग द्वारा स्वयंसेवकों को ड्यूटी के दौरान दुर्घटना/घायल/बीमार होने पर राज्य सरकार के चिकित्सा नियम के अनुसार नियोजनकर्ता एजेन्सी द्वारा चिकित्सा पुनर्भरण राशि दी जा रही है।

(II) स्वयंसेवक की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 1.50 लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है।

(III) राज्य सरकार द्वारा होम गार्डस स्वयं सेवक के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा कराया जाता है। जिसकी देय राशि 1.50 लाख रू. होती है।

(IV) ड्यूटी के दौरान आकस्मिक/दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित को 20.00 लाख रुपये तक अनुदान (एक्सग्रेसिया) दिया जाता है।

(6) गृह विभाग के आदेश दिनांक 03.04.2018 द्वारा होम गार्ड्स जवानों को पुलिस कांस्टेबल के समान नियोजित करने एवं वाहन चालक का कार्य करने पर रु. 693/- दैनिक मानदेय एवं इनके अतिरिक्त अन्य कार्य हेतु नियोजन हेतु रु. 590/- प्रतिदिन की दर से मानदेय दिया जा रहा है। स्वयं सेवकों को नियमानुसार विराम भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। होम गार्डस स्वयं सेवकों को दैनिक मानदेय के अतिरिक्त (350/- रु. जयपुर के लिए) तथा (250/- रु. अन्य जिलों के लिए) नियमानुसार विराम भत्ता, 20/- रु. प्रतिदिन

(राज्य मंत्री, गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा)

परिवहन भत्ता एवं 75/- रु. प्रति माह वर्दी धुलाई भत्ता देय है। इसी प्रकार विभाग के बोर्डर होम गार्ड स्वयंसेवकों/गार्ड्स मैन एवं लांसकारपोरल को स्थाई कांस्टेबल के समान वेतन श्रृंखला एल-3 (बेसिक रु. 682/- प्रति दिवस) एवं सार्जेन्ट स्थाई हैड कांस्टेबल के समान वेतन श्रृंखला एल-5 (बेसिक रु. 779/- प्रति दिवस) की दर से नियोजन अवधि की गुणा में मानदेय देय है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)